बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
की
डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (शिक्षा)
उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशिका
डॉ० (श्रीमती) अन्जना राठौर
उपाचार्य - शिक्षा विभाग
बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी

शोधार्थी
नरेन्द्र कुमार सिंह यादव
(एम० एस-सी० ,एम० एड०, एम० फिल०)
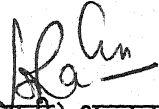
सन् - 2000

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यार्थी *नरेन्द्र कुमार सिंह यादव* ने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रणयन मेरे पर्यवेक्षकत्व में किया हैं वे उक्त गवेषणात्मक कार्य के लिये मेरे साथ दो सौ दिन की अपेक्षिताविधि तक उपस्थित रहे हैं।

अनुसंधाता नरेन्द्र कुमार सिंह यादव के इस मौलिक प्रयास से शोधार्थियों एवं समीक्षकों को अनुसूचित जाति के बालिका शिक्षा के अनुशीलनार्थ नवीन दिशा दृष्टि उपलब्ध हो सकती हैं मैं इनके कृतित्व से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।

मैं इनके स्वर्णिम भविष्य एवं गवेशणात्मक पथ पर निरन्तर अग्रसर रहने के लिये हार्दिक कामना करती हूँ।
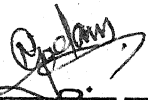
डॉ0 (श्रीमती) अन्जना राठौर
(उपाचार्य)
शिक्षा विभाग
बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी.

घोषणा-पत्र

मैं नरेन्द्र कुमार सिंह यादव घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत पी-एच0डी0 शोध प्रबन्ध **अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन** मेरा मौलिक कार्य हैं जिसे मैंने किसी अन्य उपाधि हेतु किसी भी संस्था में प्रस्तुत नहीं किया है और यह आज तक अप्रकाशित है।

नरेन्द्र कुमार सिंह यादव
पी-एच0डी0 (छात्र)

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

पृष्ठ क्र0

द्वितीय अध्याय

तृतीय अध्याय

चतुर्थ अध्याय

पंचम अध्याय

परिशिष्ट

तालिका (सारणी) एवं ग्राफ

आभार स्वीकृति

विकासशील राष्ट्र में सभी विकासात्मक क्रियाओं में विशेष रूप से अत्याधिक आवश्यकता बालिकाओं (महिलाओं) के विकास की है स्वतन्त्रता के पश्चात यह अनुभव किया गया कि स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये बिना देश की प्रगति संभव नहीं है क्योंकि एक शिक्षित स्त्री ही अपने कर्तव्यों का भंली भांति निर्वाह कर सकती हैं अर्थात स्त्रियों की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पुरुषों की। यद्यपि हमारी सरकार के द्वारा स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं फिर भी शिक्षित स्त्रियों का प्रतिशत बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा की सुविधाएं मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों दृष्टि से अपर्याप्त हैं सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा और उसमें भी विशेष वर्ग अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं। इसलिये शोधकर्ता ने **"अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन"** समस्या पर अध्ययन किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध हेतु **डा0 (श्रीमती) अन्जना राठौर** उपाचार्य शिक्षा विभाग बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी के प्रति आभारी हूँ जिनके सानिध्य में स्नेहपूर्ण पथ प्रदर्शन तथा स्वस्थ निर्देशन के द्वारा यह शोधकार्य अपनी पूर्णतः को प्राप्त कर सका।

शोधकर्ता **डा0 (श्रीमती) मृदुला भदौरिया**, उपाचार्य श्री छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय, कानपुर का उल्लेख किये बिना भी नहीं रह सकता जो कि इस कार्य की मूल प्रेरणा स्रोत रहीं। जिन्होने समय–समय आवश्यक मार्ग निर्देशन देने की कृपा की।

शोधकर्ता **डा0 जे0 एल0 वर्मा** एवं **डा0 कमलेश शर्मा** का विशेष आभारी है कि इन्होने ——— शोधकार्य हेतु मुझे प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया एवं आवश्यक निर्देशन प्रदान किया।

तत्पश्चात् मैं प्राथमिक विद्यालयों के उन समस्त प्रधानाचार्यो, बालिकाओं एवं अभिभावको का आभारी हूँ जिन्होने शोधकार्य हेतु आवश्यक आंकड़े प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान किया।

अन्त में अपने परिवार जनों एवं मित्रों व सहयोगियों का हृदय से आभारी हूँ जिनके प्रोत्साहन तथा उदारतापूर्ण सहयोग ने मुझे शोध कार्य पूर्ण करने में सहायता प्रदान की। साथ ही मैं फ़िरोज खान, प्रोपराइटर–प्रिन्ट पैलेस, इलाइट, झाँसी का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अथक प्रयास से ये शोध प्रबन्ध समय से टाइप हो सका।

नरेन्द्र कुमार सिंह यादव

पी-एच0डी0 (छात्र)

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

शिक्षा मानव की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता हैं जो उसके बौद्धिक विकास, समाज के, गाँव के, जिले के, प्रदेश के और देश के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में सहायक होती है शायद इसलिए यह कहा जाता हैं कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अद्‌भुत निवेश है।

लॉक का मत हैं – "पौधो का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है" बालक जन्म के समय असहाय एवं अबोध होता है।
अरस्तु के अनुसार – "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, शिक्षा के आभाव में मानव जीवन की कल्पना करना असम्भव है।"

आज देश में लोकतन्त्र के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित स्त्रियों की है मनुष्य की जन्म जाति शक्तियों के स्वाभाविक और सामन्जस्यपूर्ण विकास में सहयोग देती है उसकी वैयक्तिता का पूर्ण विकास करती हैं उसे अपने वातावरण से सामन्जस्य स्थापित करने में सहायक हैं उसे नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिये तैयार करती हैं और उसके व्यवहार, विचार एवं दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती हैं जो समाज देश और विश्व के लिये हितकर होता है। समाज व देश के विकास का उत्तरदायित्व परिवार पर आता हैं, वर्तमान में यह दायित्व विद्यालयों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के कन्धों पर आ गया हैं लेकिन परिवार का महत्व कम नही हुआ परिवार शिक्षा का प्रथम केन्द्र बिन्दु है। परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि हैं शिक्षित माता के अभाव में परिवार की शिक्षा एक दिवास्वप्न के समान होगी। अतः स्त्री (माता) शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती हैं माता ही ऐसे बालक के निर्माण में सक्षम होती हैं जो समाज और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के समर्थ होते हैं अर्थात शिक्षित नारी समूह (माताएं) ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाती हैं।

यदि समाज में प्रत्येक पुरुष की शिक्षा को स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक स्त्री की शिक्षा के महत्व को भी व्यवहारिक रूप में स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार वर्तमान प्रजातन्त्र में वर्ग भेद के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षा सुविधाओं से वंचित नही किया जा सकता। उसी प्रकार लिंग भेंद के आधार पर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नही की जा सकती है। समाज

में किसी स्त्री को पुरूष के समान ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है समाज की उन्नति एवं प्रगति के लिए पुरूषेां के समान ही स्त्रियों का सहयोग भी अत्याधिक आवश्यक है स्त्रियों में चेतना पैदा करने के लिए तथा घर एवं समाज में अपने उत्तरदायित्व के निभाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना आवश्यक है।

बालिका शिक्षा का महत्व

प्रत्येक समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। शिक्षित बालिका के बिना किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की कल्पना नही की जा सकती है। लोकतन्त्र में बालक एवं बालिका दोनो को समान रूप से शिक्षा देते है किन्तु नेहरुजी ने स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व इसलिए दिया है। कि जिस तरह की माँ होती है। उसी तरह के संस्कार बच्चों में पड़ते है। पुरूष अपने परिवार के जीवन यापन के लिए घर से प्रायः बाहर रहते है। तथा स्त्रियों का समय घर पर ही बच्चों की देख रेख में व्यतीत होता है। जिससे माँ का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। वैसे भी वर्तमान समय में बालिका (स्त्री) के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अधिक हो गये है। क्योकि संयुक्त परिवार अधिकांशतः नही है। अकेले उसे परिवार के समस्त सदस्यों की देखरेख करनी पड़ती हैं घर की उचित देख रेख तभी कर सकती है। जब वह शिक्षित होगी, शिक्षित होने पर वह परिवार के समस्त लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितयों को समझकर उनका निवारण कर सकेगी।

महात्मा गाँधी ने बालिका शिक्षा को बालक की शिक्षा से किन्ही भी अर्थो में हेय दृष्टि से नही देखा, स्त्री के त्याग के बिना पुरुष के सुख पाने का सपना कभी पूरा नही हो सकता। बालिका (स्त्री) त्याग की साक्षात मूर्ति हैं कोई बालिका (स्त्री) जब किसी कार्य में जी जाँन से लग जाती है। तो पहाड़ को भी हिला देती है। स्त्री शिक्षा पर गाँधी जी ने कहा था ''बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नही किया जा सकता हैं जब तक कि स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से न लिया जाये।''

स्वामी विवेकानन्द ने बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए कहा है। कि ''एक पंख से पक्षी कभी नही उड़ सकता है। उसे उड़ने के लिए दोनो पंख आवश्यक हैं।सामाजिक व्यवस्था केवल पुरूष शिक्षा से ही नही चल सकती हैं। दोनों (बालक–बालिका) को शिक्षित होना आवश्यक है।''

"देवि माँ सहचरि प्राण" – भारतीय परम्परा में नारी के इतने रूप बताएं है। कविवर पन्त ने। पर क्या पुरूष ने नारी के इन रूपों का सम्मान करके उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की हैं? स्वामी विवेकानन्द ने इसी उत्तर के रूप में नारियों के लिए कहा है कि "नारियों को सदैव असहायता और दूसरों पर दासता निर्भरता की शिक्षा दी गयी है। यह शिक्षा देकर ही पुरूष युगों–2 से नारी पर शासन करता आ रहा है। उसने सहस्त्रो वर्षो से नारी को सरस्वती की वन्दना से विमुख रखा है। और उसे ज्ञान के आलोक से बाहर घसीट कर अज्ञानता से आवृत्त रखने में ही अपने कर्तव्र्यो की इति श्री समझी है। तभी से नारी विवशता की जंजीर में जकड़ी हुई अपनी शिक्षा की बाँह जोह रही है। आज इस जंजीर की कड़िया चटख चटख कर टूट रही है। नारी घर की चाहर दीवारी के अन्दर घुट – घुटकर जिन्दगी के दिन काटने वाली गुड़िया नही है। आज वह शिक्षित महिला के रूप में बाह्य जगत में प्रवेश कर रही है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों से होड़ ले रही है।"

स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा है। "एक बालक को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है। जबकि एक बालिका को शिक्षित करना सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है।"

जय शंकर प्रसाद जैसे सर्वोच्च कवि की लेखनी ने बालिका (स्त्री) शिक्षा को श्रृद्धा का प्रतीक माना है।

"नारी तुम केवल श्रृद्धा हो विश्वास रजत नग पग बल में।
पीयूष श्रोत ही बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में।।"

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है। " स्त्रियो की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की अवनति व उन्नति निर्भर है।"

शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) ने स्त्री (बालिका) – शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा हैं। "हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिणामों की उन्नति और बाल्य काल में अत्याधिक सरलता से प्रभावित होने वाले वर्षो में बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरूषो की शिक्षा से कही—————————अधिक है।"

आयोग ने यह भी कहा है कि ''अगर दोनो बालक – बालिका (स्त्री – पुरूष) में किसी एक को शिक्षित करना हो तो स्त्री को शिक्षित किया जाना चाहिए।''

विश्वविद्यालय आयोग ने बालिका (स्त्री शिक्षा) के महत्व को इस प्रकार बतलाया है। शिक्षित स्त्रियों के अभाव में शिक्षित व्यक्ति नही हो सकते है। इसलिए स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योकि ऐसी दशा में शिक्षा को निश्चित रूप से अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

स्त्रियों ने स्वतन्त्रता के पश्चात् सामाजिक राजनैतिक , चिकित्सा, व्यवसाय, शिक्षा देश की सुरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रो में ख्याति प्राप्त की है। इनमें डा0 नजमा हेपतुल्ला (राज्यसभा – उपसभापति) कु0 जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, उमाभारती , किरण बेदी , संतोष यादव और मदर टेरेसा के नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में नारी अनेक रूपों को ग्रहण किये हुए है। इस काल में नारियों को जहाँ एक तरफ भोग विलास की वस्तु , सन्तानोत्पत्ति का साधन, पूजी–पतियों, जमीदारों को अपनी झोली भरने का निमित्त तथा विज्ञापन, फिल्मो आदि के द्वारा जनता जनार्दन के मनोरंजन के साधन में आर्य (धन) के लिए मजबूरन नंगे रूप में प्रदर्शित की जाती है। वही दूसरी ओर प्राचीन काल की महिलाओं ने ————विविधि ा क्षेत्रो में मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है। इनमें मुख्यत :– झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, सरोजनी नायडू, एनीविसेन्ट, कमला नेहरू, कस्तूरबा गाँधी तथा इन्दिरा गाँधी जैसी विदुषियों ने युद्ध कौशल, सामाजिक सुधार और आर्थिक नियोजन में भारी योगदान दिया है। आज भी भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। अतः आधुनिक काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान विकास की सुविधाएं और अवसर देकर प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का शिक्षण देना चाहिए। वह कुशल इंजीनियर शिक्षक चिकित्सक प्रचारक एवं अधिवक्ता बनकर राष्ट्र की समृद्धि में भारी योगदान दे सकती हैं स्त्री शिक्षा का इतना महत्व होते हुए भी वह आज बहुत पिछडी हुई है। और उसके लिए विशेष प्रयास करने को कहा जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्त्री शिक्षा के महत्व पर विशेष महत्व देते हुए कहा गया है। कि ''लड़कियों को केवल इस वजह से शिक्षित करना महत्वपूर्ण नही है। कि उन्हें सामाजिक

न्याय मिल सके, बल्कि इस कारण महत्व-पूर्ण है। कि लड़किया समाज में बदलाव की गति प्रदान करती है।[1]''

अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा

आधुनिक भारत के इतिहास में मोहनदास कर्मचन्द्र गाँधी पहले व्यक्ति थे जिन्होने कहा कि ''भारतीय समाज का पुर्ननिर्माण करने के लिए वर्ग भेद की नीति समाप्त करनी होगी'' जिन्होने सभी लीको से हटकर महिलाओं एवं दलितों जिन्हे वह हरिजन कहा करते थे के उत्थान के लिए समझौता हीन संघर्ष का श्री गणेशाय किया और अपने अभियान को चरम स्थिति तक पहुँचाया। परिवर्ती काल में भी एक व्यक्ति के रूप में कोई इन प्रयासों में उनके मुकाबले नही ठहरता। वस्तुतः गाँधी जी ने अपने जीवन का एक कण हरिजन उत्थान आन्दोलन को समर्पित कर दिया था इसकी लगन उनके दिल में अचानक ही पैदा नही हुई, बल्कि बचपन से ही इनमें स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध बिद्रोह के बीज रूप में पनप चुका था। अनुसूचित जातियों (अस्पृश्य) की बड़ी दयनीय अवस्था इनकी अनेक नियोग्यताएँ थी यह किसी को छूँ नही सकते , समीप नही आ सकते, सवर्णो की बस्ती में प्रवेश नही कर सकते तथा अच्छे मकान नही बना सकते थें गाँवो में अस्पृश्यता प्रायः भूमिहीन श्रमिक है। इसलिए जमींदार इनसे बेगार लेते है। तथा इनकी लाचारी का दुरूप्रयोग करते है। उच्च जाति के व्यक्तियों के आने पर उनका कर्तव्य है। कि खड़े होकर उनका स्वागत करना , सार्वजनिक जीवन में सड़को पर चलना, कुँओ पर पानी भरना, विद्यालय में पढ़ना, छात्रावासों में रहना आदि सभी स्थानों पर उनके लिए प्रतिबन्ध था। इस पर गाँधी जी बचपन से लेकर इस संसार से विदा लेते समय तक बहुत व्यथित रहे। एक आदमी अपने जैसे ही दुसरे को छूने से इन्कार कर दें पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई पाप नही हो सकता, ऐसा उनका दृढ़ विचार था।

मानवीय मूल्यो के प्रति अगाध श्रृद्धा और संवेदन शील सामाजिक चेतना होने के कारण महात्मा गाँधी ने अस्पृश्यता को कभी अपने पास फटकने नही दिया , उन्होने जबानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही संकल्प ले लिया था कि वह इस अमानवीय प्रथा के विरूद्ध जहाँ भी रहेंगे जीवन भर सघर्ष करते रहेगे। गाँधीजी ने महिलाओं के लिये भारतीय शास्त्रों

---

1. इण्डिया ए रिफरेन्स एनुवल नई दिल्ली योजना आयोग 1968, पेज 61–62

में इस्तेमाल किये गये विशेषणों अर्द्धांगनीय, सह धर्मिणी पर बहुत जोर देते थे दलितों के प्रति सामाजिक चेतना को एक सिरे बदलने के लिये गाँधी ने उन्हें हरिजन की संज्ञा दी थी हरिजन अर्थात ईश्वर के निकटस्थ व्यक्ति।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से कोड़ी है। आर्थिक दृष्टि से वह गुलामों से भी बदतर है। धार्मिक दृष्टि से उन्हें उन स्थानों पर जिन्हें हम भ्रम से भगवान का घर कहते है। में प्रवेश निसिद्ध था इन्हें प्रारम्भ से ही शूद्र कहा जाता था इसे दूर करने के लिए गाँधी 1933 में वर्धा आश्रम से एक ऐसे अभियान पर निकले थे जो हरिजनों की पीड़ा को दूर करने और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने को ही समर्पित था वह यात्रा अभियान उनके महान यज्ञ के रूप में प्रसिद्धि हुआ और उनके जीवन की परिवर्तिन–कारी घटना बन गया ऊँच नीच जैसी विकृतियों से समाज को मुक्त करने का उद्देश्य उन्हे उतना ही प्रिय था जितना भारतीय स्वतन्त्रता और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष करना।

गाँधी जी ने हरिजनों के बीच बैठने , उनसे मिलने जुलने उन्हे सम्बोधित करने और उनमें चेतना जगाने का भी कार्य किया। वह हरिजनों के घेरों में ठहरे उनके ही चौकों में बैठकर भोजन किया और उन्हे सार्वभौम प्रेम का सन्देश दिया, इसी के साथ गाँधी जी ने समाज के दूसरे वर्गो को, जो जाति के मिथ्या अहंकार से ग्रसित थें , समझाने – बुझाने, पत्थर दिलो को पिघलाने का भी प्रयास किया। गाँधी जी ने उन लोगो के साथ ही मगजपच्ची की, जो आँखे होते हुए मानवीय समानता की तरफ अन्धे थे और जिनके ह्रदय संवेदनाओं से रीते थे। लेकिन जब वह कहते थे। कि समाज के दूसरे वर्गो ने हरिजनों के साथ शताब्दियों तक अमानवीय व्यवहार करके जो पाप कमाया , अब उन्हे उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए तो उन पर पत्थर फेंके गये, उन्हे अश्लील गालियाँ दी गयी।

समाज के रूढ़िवादी दकियानूसी वर्गो ने पहले तो महात्मा गाँधी के इन प्रयासों की सच्चाई पर विश्वास ही नहीं किया बल्कि उन्होने यह देखा कि गाँधी जी सचमुच इस अभियान में बहुत गम्भीर हैं तो उनके आश्चर्य एवं उलझन की कोई सीमा नहीं रही बहुत शीघ्र यह उलझन गाँधी जी के प्रति नफरत में बदल गयी। और गाँधी जी के विरोध में जन आन्दोलन शुरू हो गये, अनेक स्थानों पर उन्हे काले झण्डे दिखाकर ''गाँधी वापस जाओं'' के नारे लगाये गये। एक बार नही सैकडो बार महात्मा गाँधी को हरिजन उत्थान एवं छुआ-छुत निवारण के प्रश्न पर अपमानित किया गया। लेकिन अश्लील से अश्लील विरोध का महात्मा गाँधी पर

कोई प्रभाव नही पड़ा, वह इस धारणा पर कि कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेने के कारण ही छूने योग्य अथवा न छूने योग्य हो जाता हैं जन्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नीचा या ऊँचा समझा जाता हैं। हस्ते हुए अपनी घृणा प्रकट करते थे। महात्मा गाँधी सामान्य लोगों को यह भी समझाया करते थे। कि अमानवीय अत्याचार तो होता ही है। तथा कथित उच्चवर्ग भी अपना खुद का और राष्ट्र का स्वाभिमान पूर्ण विकास नही कर सकता है। सम्पूर्ण समाज की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अर्थात जाति प्रथा को चलते रहने से हमारे देश की शिक्षा दुनिया से बहुत पिछड़ जायेगी।

महात्मा गाँधी अछूतोद्धार के लिए पैसे का चन्दा भी माँगते थे विरोध के बाबजूद भी अनेक स्थानों पर लडंकिया तथा महिलाएं गाँधी जी के जादू से प्रभावित होकर अपने मूल्यवान आभूषण भी उन्हे दे डालती थी। प्रार्थना सभाओं में गाँधी जी अक्सर हरिजन बच्चो से भजन गाने को कहते थें, उनका विश्वास था कि अगर हरिजनों को छल कपट के बिना प्रशिक्षण दिया जया तो वह बहुत शीघ्र प्रगति करने की क्षमता दिखा देगे। " हजारो साल तक हरिजनो का उत्पीड़न होता रहा फिर भी वह दृढ़ता के साथ हिन्दू धर्म के साथ जुड़े रहे, यह मामूली बात नही है इस ओर सभी का ध्यान जाना चाहिए "अर्थात यदि हरिजनो को पर्याप्त सुविधाओं के साथ शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाये खास कर बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये तो हरिजनो पर होने वाले अत्याचार केवल अतीत की घटना मात्र रह जाए तो हमारा देश बहुत ऊपर उठ सकता है। अर्थात भारतीय समाज के समृद्धिपूर्ण विकास के लिये सभी वर्गो का सहयोग वांछनीय हैं ऐसी स्थिति में अनुसूचित जातियों को सम्बर्द्धन और विकास होना नितांत आवश्यक हैं इन जातियों का विकास खासकर बालिका (स्त्री) शिक्षा पर निर्भर करता है। अर्थात महात्मा गाँधी ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए पुरूषो के साथ–साथ विशेष रूप से बालिका (स्त्री) शिक्षा को महत्व देते हुए अनेक क्रान्तिकारी कदम उठाये, उन्होने इस जाति विशेष की समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए हरिजन नामक समाचार पत्र का भी श्रीगणेश किया उस समाचार पत्र में हरिजनो से सम्बन्धित समस्याएं एवं उनके निराकरण के उपाय भी बताए जाते थें। इस प्रकार महात्मा गाँधी इस वर्ग को अन्य वर्गो के समकक्ष में लाने के लिए एवं स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए जीवन पर्यन्त प्रयास करते रहे।

महात्मा गाँधी ने इन हरिजन सम्बन्धी प्रयासों से अनुप्रभावित होकर जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल और स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने भी अनुसूचित

जाति में खासकर स्त्री शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्न शील हो गये। सरदार पटेल ने भी एक अवसर पर कहा था कि "जब तक प्रत्येक हरिजन हिन्दुस्तान के ऊँचे से ऊँचे आदमियों के साथ बराबरी का दावा या अधिकार नही पा लेता तब तक भारत की आजादी अधूरी रह जायेगी"

गाँधी जी ने जो कार्य अखिल भारतीय पैमाने पर किया , उसी को डा0 अम्बेडकर ने दलित वर्गो के क्षेत्र में किया। अपने जातीय नेता अम्बेडकर की अध्यक्षता में हरिजनों ने अपने राजनैतिक , सामाजिक एवं आर्थिक मांगो को सरकार तथा जनता के समक्ष रखा और उनको उपलब्ध किया। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि हरिजनो में जागरण का सूत्रपात करने का श्रेय महात्मा गाँधी के पश्चात् अम्बेडकर को ही प्राप्त है। इनके विकास के लिए बालिका (स्त्री) शिक्षा अतिआवश्यक है। क्योंकि स्त्री ही भावी देश के नागरिकों का निर्माण करती हैं तो निर्माण करने वाली वस्तु जैसी होगी वैसे ही हमारे भावी नागरिक होंगे अतः "एक शिक्षित स्त्री सैकड़ों शिक्षित पुरूष ही नही बल्कि सैकड़ो शिक्षको के बराबर कार्य करेगी" इसी सन्दर्भ में बालिका (स्त्री) शिक्षा के महत्व को व्यक्त करते हुए पेस्टोलॉजी ने कहा है। कि ——

" एक शिक्षित माता सौ शिक्षको के बराबर होती है।"

प्राथमिक शिक्षा का महत्व

किसी भी देश की प्रगति वहाँ के जनसाधारण की शिक्षा पर निर्भर करती है साधारणतया किसी देश के विकास में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कई कारण भी उसकी उन्नति में अपना योगदान देते है। फिर भी यदि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा तो वह देश के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पूर्णतया सजग होगा।

जिस प्रकार बालक के विकास क्रम में शैश्वावस्था का अत्याधिक महत्व होता है। उसी प्रकार शिक्षा के औपचारिक क्रम में प्राथमिक शिक्षा का महत्व होता है। प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा व विधिवत् शैक्षिक ढाँचे का प्रथम स्तर है। प्राथमिक शिक्षा स्तर में बच्चे किसी संख्या में नियमित ढंग से विद्याध्ययन आरम्भ कर देते है अतः कक्षा एक से लेकर पाँच तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता हैं प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध किसी विशेष वर्ग के बालक, बालिकाओं से न होकर वरन् देश की सम्पूर्ण जनसंख्या से होता है। भारत में हमने प्रजातन्त्र

प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। यह सत्य है। कि अंग्रेजी शासन काल में सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा की गयी परन्तु आज के प्रजातन्त्र देश तथा सरकार की सफलता उसके नागरिको पर निर्भर करती है। जो देश और सरकार के कार्यो में भली – भांति अपना योगदान दे सके। जब तक सम्भव नही है जब तक कि देश में प्रत्येक नागरिक, शिक्षित न हो ऐसा इसलिए है। कि सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से किसी राष्ट्र में चेतना लाने का शिक्षा ही एक ऐसा——————— साधन होती है। शिक्षा बच्चों के जन्मजात गुणों के विकास का साधन है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु हैं। यह पहली सीढ़ी है। जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना धन्ष्ठि सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नही है। राष्ट्रीयविचार धारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनैतिक या शैक्षणिक गतिविधियों का नही है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इसका हर 'कदम पर हर व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता है।

राबर्ट ब्राउनिग के अनुसार –" हम सबको अपना बचपन एक भूले हुए गीत की तरह याद आता हैं और पाठशाला किसी परी कथा के खलनायक की तरह। "मान लिया जाय कि ब्राउनिग का सामाजिक परिवेश कुछ दूसरा था और हमारे देश की शिक्षा दीक्षा का कुछ खास अन्दाज न था फिर भी वह अपने प्रारम्भिक दिनो को किस तरह याद करतें है।यह गौर करने की बात है। हममें से जिनको अपने स्कूली दिनों की आज भी याद है। वे आम तौर पर इसे प्रतीको की रेखाओं से रचे गये एक धुंधले दृश्य के रूप में पाते है। ज्यादातर यादे बरगद, नीम, आम या पीपल के पेड़ों के तले घास को छूँकर आती गीली हवा के स्तर में घुलीमिली 'अ' से अनार और 'आ' से आम की आवाजो से जुड़ी हो या सरकारी इमारतो में ठूंस–ठूंस कर भरे बच्चों के आप्त वाक्यों और गाँधी के कलेण्डरों से निकाली गयी तस्वीरों के नीचे लगी कक्षाओ के बिम्ब मन में उभरते है। लेकिन शिक्षा के उन प्राथमिक दिनों की उपलब्धि में हम अक्षर ज्ञान ,बडे इन्तजार के बाद आने वाले खेल या छुट्टी के घण्टे की खुशी के अलावा कुछ नही जोड़ पाते है।

प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की आधार शिला है। यह देश के राष्ट्रीय जीवन का अंग है। यह सांस की तरह है जिसके बिना हम जीवन को धारण नही कर सकते। तात्पर्य यह

है कि यह शिक्षा देश के लिए जीवन मरण के सवाल से जुड़ी हुई है।

सौभाग्य से भारतीय समाज में पठन पाठन की परम्परा दीर्घकाल से चली आ रही है। यदि कोई चीज देश में ऐसी हे जिस पर हम वास्तव में गर्व कर सकते है। तो वह शिक्षा की अविछिन्न परम्परा ही है हर चीज इस देश में इस व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। भारत का कलाकार, दस्तकार , कुम्भकार जुलाहा, कपडो का डिजाइनर, सोने का आभूषण बनाने वाले (सुनार) संगीतकार, नर्तक एवं जन कलाकार सब दूसरी व्यवस्था एवं परम्परा के साथ जुड़े हुए है। यह भी सत्य है। कि हमारी घड़ी बनाने वाला घड़ी साज , हीरो को तराशने वाला जौहरी ,हमारे मैकेनिक एवं बढ़ई सबके सब इसी व्यवस्था के अंग हैं अतः इन सब के लिए प्राथमिक शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है।

समस्या का औचित्य

प्राथमिक शिक्षा के मामले मे पूरा देश पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ यह समस्या और विकट होती जा रही है। बाल मजदूरों के लिए काम कर रही दिल्ली की संस्था सेन्टर ऑफ कन्सर्न फाँर चाइल्ड लेवर ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला, कि सन् 2002 तक 6 से 10 वर्ष के बीच के सभी बच्चो को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 4लाख 40 अरब रूपये का——————प्रावधान करना पड़ेगा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 6 से 10 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये 4 अरब 40 लाख रुपये का प्राविधान करना पड़ेगा रिपोर्ट में कहा गया हैं कि देश में 6 से 10 वर्ष के बीच के साढ़े दस करोड़ में से 3 करोड 20 लाख बच्चे स्कूल नही जा पाते। स्कूल न जा पाने वाले बच्चो में 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के है। देश के करीब 4800 गांवो में प्राथमिक शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध नही है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शिक्षा पर व्यय को नौवी योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। जो अभी केवल 3.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में हर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए सन् 2005 तक 2 करोड़ 40 लाख बच्चो के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने होगे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही देश में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को देश के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये गये हैं संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्राविधान भी किया गया इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया गया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षानीति 1991 तथा राष्ट्रीय शिक्षानीति की कार्य योजना 1992 में भी देश के सभी 1 वर्ष तक के बच्चों को 21वी शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किये जाने हेतु भरसक प्रयत्न करने के बात कही गयी। बाद में वर्ष 1993 के ''उन्नीकृष्णन केश'' पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और इसलिये इसे मूल अधिकार में सम्मलित किये जाने हेतु सरकार को निर्देश भी जारी किये गये, इस सम्बन्ध में वर्ष 1997 में 83वाँ संविधान संशोधन बिल भी राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक—————— अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया।

हमारे देश में 1951 में महिलाओं में साक्षरता की दर 8.86 प्रतिशत थी जो कि 1991 में बढकर 39.19 प्रतिशत हो गयी, यह सन्तोषजनक नही है। आज भी देश की 60 प्रतिशत महिलाए निरक्षर है। जिसका प्रभाव देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए यह परमावश्यक है। कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर सर्वाधिक बल दिया जाय। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिये कि समस्त योजनाओं में शिक्षा योजना और शिक्षा योजना में स्त्री शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं प्राथमिक स्थर पर खासकर अनुसूचित जाति की बालिकाओ को जहाँ घर के काम काज के लिए स्कूल छुड़ा दिया जाता है। हमारे समाज के पौढ़ वर्ग में यह धरणा बहुत गहराई तक समाई हुई है। कि बालिकाओं का कार्य क्षेत्र घर की चाहर—दीवारी के अन्दर है। अतः उन्हे पढ़ने लिखने के स्थान पर घर को काम काज करना चाहिए, यह धारणा बालिकाओ की शिक्षा में एक बहुत बड़ी वाधा है।

यद्यपि बालिकाओं की साक्षरता की गति थोड़ी बढ़ी है। पर आज भी उनके अध्ययन के क्षेत्र और विषयों के चयन में माता पिता की अपनी रुचियां ही होती हैं बच्चों की रुचियों

एवं इच्छाओं का ध्यान नहीं दिया जाता हैं, आज भी बहुत से लोगो में अशिक्षा होने से उनके विचारों में रूढ़िवादिता का समावेश है। रूदिवादिता अधिकांशता अनुसूचित जाति के लोगो में अधिक से अधिक होने का कारण अशिक्षा है। ये लोग पुराने विचारों रीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते है। उन्हें छोडने में वे अपनी पुरानी पीढ़ी का अपमान समझते है। लेकिन शिक्षा के विकास के साथ साथ धीरे-धीरे रूढ़िवादी विचारों में कमी आती जा रही है।

भारतीय समाज के वर्तमान पतन का एक कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना भी था जबकि एक तरफ हम सभी स्वतंत्रता का 52वां वर्ष मना रहे हैं और इस युग को हम ''नारी जागरण युग'' का खिताब देते हैं किन्तु वास्तव में अब तक नारियों कि सामाजिक पराधीनता की बेढ़ियों काटकर हम फेंकने में असफल रहें हैं स्वतन्त्र भारत के संविधान में सभी क्षेत्रों में समान्ता के अवसरों की गारंटी के बावजूद अभी भी स्त्रियों को मानवीय रूपों में स्थान नहीं मिल पाया हो। खासकर एक जाति विषेश में यह समस्या विकराल रूप धारण किये हैं जबकि स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस जाति विशेष की बालिकाओं को शिक्षित होने के लिये महिला शिक्षा समितियों की स्थापना की हैं। हरिजन बस्तियों में नगरपालिकाओं एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथ्मिक विद्यालय खोले गये जिनमें इन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान किया गया। उपरोक्त संस्थाओं के द्वारा सरकार ने हरिजनों के प्रति अत्याधिक उदारता दिखलायी और अनेक नियम बनाकर उनकी शिक्षा को प्रत्येक सम्भव रीति से प्रोत्साहित किया। फिर भी अनुसूचित जाति की बालिका शिक्षा में वांछित प्रगति नहीं हुई। इस सम्बन्ध में अनेक्र कारणों जैसे निर्धनता एवं गृह कार्य के अतिरिक्त माता/पिता की अशिक्षा तथा बालिकाओं को शिक्षित करने के प्रति निरुत्साह पूर्ण दृष्टिकोण भी एक बहुत बड़ा कारण हैं अतः शोधकर्ता ने इस वर्ग विशेष के सन्दर्भ में यह जानने का प्रयास किया हैं कि वास्तव में बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में इस वर्ग विशेष के अभिभावकों एवं प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं का दृष्टिकोण कैसा हैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये शोध कर्ता ने ''अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर **बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन**'' समस्या का चयन किया हैं। इस समस्या के चुनने के निम्न कारण भी हैं।

(I) निर्धनता होने के कारण स्त्री शिक्षा की समस्या होना क्योकि वह आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करती है।

(II) मनोरंजन के साधनों की अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रो में कमी होने के कारण लोगो का मुख्य

मनोरंजन बच्चे पैदा करना ही है। जिससे परिवार बड़ा हो जाता है। इस कारण अगर शिक्षा दिलाई जाये तो बालिको को ही दिलाई जाये बालिकाओं को नही।

(III) साक्षरता भी इस वर्ग की महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम हैं।

(IV) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

(V) बालिकाओं को शिक्षित करने के प्रति निरुत्साह पूर्ण दृष्टिकोण।

समस्या का सीमांकन

समस्या के परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी सीमा को निश्चित करना आवश्यक होता है। क्योकि विविध दृष्टिकोण वाले विषयों को सम्मिलित करना असम्भव तो नही, लेकिन कठिन अवश्य है। शोधकर्ता ने सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्या "अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन" के लिए निम्नलिखित सीमाओं को निश्चित किया है।

1. प्रस्तुत अध्ययन कार्य प्रत्येक स्तर के अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों पर किया गया है। जिनकी संख्या 100 है।
2. प्रस्तुत अध्ययन कार्य केवल कानपुर (देहात) जनपद के अभिभावकों पर किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक स्तर पर किया गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) अध्ययनरत 500 बालिकाओं पर किया गया है।

समस्या के उद्देश्य

1. कानपुर (दे0) जिले में प्राथमिक स्तर (1–5) पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं में अवरोधन का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति के अभिभावको का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. कानपुर (देहात) जिले में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा—————— सम्बन्धी समस्याओं के प्रति अभिभावको के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
4. कानपुर (दे0) जिले में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का बालिकाओं के दृष्टिकोण से अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोध विषय के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में एक ऐसा सिद्धान्त बना लेता हैं जिसके बारे में वह कल्पना करता हैं कि यह सिद्धांत सम्भवतः उसके अनुसंधान का आधार सिद्ध हो सकता हैं ऐसे काल्पनिक निष्कर्ष को वह अन्तिम मानकर नहीं चलता, वरन् उसकी प्रमाणिकता को वह अपने अनुभव तथा वास्तविक तथ्यों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करता है।

परिकल्पना दो या अधिक चरों के अनुगमन पर आधारित तर्क पूर्ण, कार्य सक्षम, प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन हैं जो यह बताता हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं जांच के बाद यह कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी।

<u>जॉन डब्लू0 वेस्ट के अनुसार</u> – इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुसंधान में जहाँ पूर्ववर्ती साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते है अथवा किसी क्षेत्र विशेष में कोई नया कार्य किया जा रहा हो उस समय परिकल्पना निर्माण के बिना भी शोधकार्य किया जा सकता है चूंकि इस तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है तथा यह शोधकार्य पूरी तरह से आँकड़ों से प्राप्त विश्लेषण पर आधारित हैं अतः इस शोध समस्या हेतु परिकल्पना का निर्माण नहीं किया गया।

समस्या का परिभाषीकरण

देश व समाज की बहुमुखी उन्नति के लिए शिक्षा के स्तर का गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से उच्च होना आवश्यक है। किन्तु हमारे देश में शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय है। शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा और उसमें बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा और उसमें से मुख्यतः अनुसूचित जाति की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा सभी दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है इसलिए शोधकर्ता ने निम्न समस्या" अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन " को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसमें प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है।

1. **प्राथमिक शिक्षा** – प्राथमिक शिक्षा के अर्न्तगत कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को सम्मिलित

किया जाता है।

2. अनुसूचित जाति – अनुसूचित जाति, जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विकसित वह व्यवस्था है। जिसमें मनुष्य – मनुष्य के बीच इतना अधिक अन्तर किया जाता है। कि स्पर्श मात्र से ही उच्च जाति के लोग अपवित्र हो जोते हैं इस अपवित्रता को बचाने के लिये अस्पृश्यता (अनुसूचित जाति) के व्यक्तियेां को उच्च जाति से पृथक रहने की व्यवस्था की गयी है। इन्हे प्रारम्भ में शूद्र कहा जाता था किन्तु धीरे – धीरे पंचम वर्ग या बहिष्कार जातियों के नाम से सम्बोधित किया गया। साधारणतया इन्हे ही अनुसूचित जाति या अछूत कहते है।

   जे0 एस0 हट्टन ने अनुसूचित जातियों की नियोग्यताओं को ध्यान में रखकर अनुसूचित जातियों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आपन के अनुसार अनुसूचित जातियाँ वह है –

   1– जो ब्राहम्मणों की सेवा करने में अयोग्य हों।

   2– स्वर्ण हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयों कहारों और दर्जियों की सेवा पाने में अयोग्य हों।

   3– हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश न कर सकें।

   4– सार्वजनिक सुविधाओं जैसे – पाठशाला, सड़क आदि उपयोग करने के अयोग्य हों।

   5– घृणित पेशे से अलग होने के अयोग्य हों।

3. अभिभावक – इसका अर्थ बालिकाओं के माता पिता से है या जो उनका लालन पालन करता हैं इस शोध कार्य में पत्येक स्तर के अभिभावको को चुना गया है।

4. दृष्टिकोण – विभिन्न प्रकार के सुधारो की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है। कि समस्या के प्रति लोगो के विचार भावनाएं पूर्वाग्रह पूर्व निश्चित धारणाये, विचार तथा भय आदि सभी दृष्टिकोण के अर्न्तगत आते है।

बालिकाशिक्षा तथा संवैधानिक स्थिति

भारत का संविधान केवल वैधानिक उपबन्धो का संकलन मात्र नही है अपितु इसमें राष्ट्र की आत्मा के भी दर्शन होते है। इसमें देश की जनता की आशायें, आकाँक्षाएं और जीवन लक्ष्यों की झाँकी परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान में अतीत की महत्ता वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की उज्जवलता का संकेत प्राप्त होता है।

संविधान तो एक प्रकार का साधन है साध्य तो देश की स्वतंत्रता समानता और सुरक्षा को अक्षुण्य रखते हुए प्रत्येक देश-वासी को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करना है। जिसे देश वासियों का जीवन सुखी और समृद्धिशाली बन सके । भारत के गणराज्य का आदर्श और उद्देश्य इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना है। ''हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण सम्पन्न, लोक तन्त्रन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति श्री गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता वढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्वर 1949 ई0 को एतद् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माधित करते है।'' इस सम्बन्ध में राजशास्त्र की इस उक्ति को ध्यान मे रखना हे कि प्रत्येक देश की जनता को उसी प्रकार का संविधान स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसके वह योग्य होती है। संविधान के तन्त्र को चलाने वाले तो देशवासी ही है यदि यहाँ के निवासियों में अज्ञानता और अशिक्षा व्याप्त रही तो कथाकथित सर्वश्रेष्ठ संविधान अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा खो सकता हैं केवल लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने से ही पूर्ण लोकतंत्र की आशा करना आकाश कुसुम होगा, जबतक की देशवासियों को उसके लिये शिक्षत करके योग्य ना बनाया जायेगा।

भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को सरकार का उत्तरदायित्व घोषित किया गया है। हमारे देश के संविधान की रूपरेखा निर्धारित करने में सभी वर्गो ने अपना योगदान प्रदान किया है। सभी वर्गो के हितों से सम्बन्धित प्राविधान मौलिक अधिकारो में सन्निहित कर दिये गये है। फिर भी अपेक्षित लाभ जनता

को न मिल सके और प्राथमिक शिक्षा का समुचित विकास न हो सका।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राविधान है। कि लोकतन्त्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा एवं अतिजीवितता के लिए सभी नागिरक का शिक्षित होना अति आवश्यक है।[1] लोकतन्त्र वह शासन पद्धति होती है जिसमें सर्वोच्य सत्ता जनता के हाथ में नीहित होती है अब लोकतन्त्र के लिए सार्वजनिक मताधिकार होना आवश्यक समझा जाता है। और मताधिकार का समुचित प्रयोग करने के लिए मतदाता को कुछ सामान्य शिक्षा देना परमावश्यक है। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 50 वर्षो के उपरान्त भी प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

किसी देश में लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना पहली अनिवार्य आवश्यकता है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन तन्त्र तभी सुचार तन्त्र से चल सकता है जबकि देश में आम लोगों को कम से कम इतनी शिक्षा प्राप्त हो सके, कि वे अपने अधिकारों और कतव्यों के प्रति जागरूक हो, संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार का उचित प्रयोग कर सके और विधानमण्डल एंव संसद के लिए योग्य कर्मठ तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन सके। लोकतन्त्र जोर जबरदस्ती पर नही चलता और सभी कार्य जनमत के आधार पर ही करने पड़ते है। अतः पूरे जनवर्ग का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है।

विदेशी शासन काल में जोर जबरदस्ती का बोलवाला था शासन पाशुविक शक्ति पर आधारित था अतः अग्रेजों को शिक्षा सुधार और प्रसार की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नही थी। इसीलिए शिक्षा का जो प्रबन्ध किया गया वह प्रदेश की विशाल जनसंख्या की शिक्षा के बिल्कुल अपर्याप्त था।

प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या इतनी कम थी कि बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए भी दूर जाना पडता था[2] जागरूकता न होने से सामान्य जनता को कोई विशेष रूचि शिक्षा

---

1. कान्सटीट्यूशनल एसेम्वली डिवेट्स खण्ड – 7, 19 नवम्वर 1948, न्यू देहली गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया 1948 पृष्ठ 481
2. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, प्रोग्रेस रिपार्ट (1954–55) नई दिल्ली योजना आयोग पेज-182

के प्रति न थी। कारण स्पष्ट है विदेशी सरकार तो यह चाहती ही नही थी कि भारतीय जनता शिक्षित होकर उसके अन्यायों और अत्याचारों की ओर उंगली उठाने के काबिल बन सके।

शिक्षा की ऐसी दयनीय स्थिति में राष्ट्र की स्वतन्त्रता का उदय हुआ और लोकतन्त्र के अनिवार्य अंग के रूप में देश के कर्णधारों का ध्यान सर्व प्रथम शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की ओर गया क्योंकि स्वस्थ प्राथमिक शिक्षा के बिना आगे की शिक्षा में सुधार हो ही नही सकता था।

सन् 1947 में स्वतन्त्रता के साथ भारत को विरासत में मिलने वाली शिक्षा व्यवस्था न केवल मात्रात्मक रूप से सीमित थी अपितु उसमें क्षेत्रीय एंव ढ़ाचागत असन्तुलन भी विद्यमान थे। केवल 14 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी और प्रत्येक तीन में से एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नामांकित था शिक्षा को विकास की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार तथा पुनरसंरचना की आवश्यकता अनुभव की, इसलिए भारत के नये संविधान में जो डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जैसे महानविधि शास्त्री व राजनीति शास्त्रियों द्वारा वनाया गया था हरिजनों व अन्य दलित जातियों व समूहों द्वारा वनाया गया था। हरिजनों व अन्य दलित जातियों व समूहों के कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी। संविधान के अनुच्छेद में इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण बाते कही गयी है।

अनुच्छेद–15–	धर्म, मूलवंश, जाति,लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नही बरता जायेगा।
अनुच्छेद–16–	सरकारी नौकरियों सभी के लिए खुली होगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी।
अनुच्छेद–19–	प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यवसाय या धन्धा करने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद–28–	शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नही बरता जायेगा।

अनुच्छेद—146— केन्द्र व राज्यों में अछूतो के कल्याण हेतु समाज कल्याण एवं अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया गया हैं।

अनुच्छेद—244— अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद—330 व 335— संसद और विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियो के कल्याण की देखभाल करने के लिए विशेष कमिश्नर की नियुक्त की जाय, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को उनकी दशा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इस महत्वपूर्ण पद पर एम0ए0 श्रीकान्त व सुप्रसिद्ध गाँधीवादी व सामजिक, मानव शास्त्री डा0 एन0 के0 वोस कार्य कर चुके थे प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली कमिश्नर की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जीवन में द्रुतगति से प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाते रहे है। इन जातियों में परिवर्तन लाने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओ को प्रदान करना हमारा पहला कर्तव्य है। और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया कि बालक बालिकाओं को निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये।

स्वतन्त्रता के पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा

आज सामान्य नारी की स्थिति क्या है? यह जानने के लिए प्राचीन काल के पन्ने पलटना अनुचित न होगा। परिवर्तन शीलता के नैसर्गिक नियम के कारण भारतवर्ष में स्त्री की समाजिक अवस्था सदा एक सी नही रही । प्रारम्भ में नारी को समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। मनुस्मृति में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है – ''यत्रं नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता''। वेदकाल में सावित्री अनुसुइया तथा गार्गी आदि नारियाँ सुशिक्षित सुशील व उच्चकोटि की विदुषी थीं कई नारी रत्नों ने वेदमन्त्रो की रचना की। नारी को समाज में नर के समान महत्व प्राप्त था। वह नर की अर्धांगिनी थी। कोई भी सामाजिक अनुष्ठान नारी के बिना पूर्ण नही हो पाता था। महाभारत काल तक आते—आते नारी की

गरिमा कुछ कम होने लगी, नारी जो पूर्वकाल में नर की सहचारी थी अब मात्र सम्पत्ति बनकर रह गयी अन्यथा पाण्डव द्युतक्रीडा में द्रोपदी को दांव पर क्यो लगाते? नारी पृथ्वी के समान समझी जाने लगी और नारी के लिए अनेक भीषण युद्ध हुए।

बैदिक काल में स्त्रियो को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था वैदिक काल में नारी शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। नारियों को पुरूषो के समान स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ब्रहम्चर्य व्रत से सम्पन्न शिक्षित कन्या को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था ऋग्वेद के आधार पर घोषा, गार्गी, आत्रेयी, शकुन्तला, उर्वशी, आपाला आदि उस समय की विदुषी महिलाएं थी। वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी और वे पुरूषो के साथ यज्ञ में भाग लेती थी. किन्तु उनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नही थी हाँ सहशिक्षा का प्रचलन अवश्य था, शकुन्तला ने कण्व के आश्रम में और आत्रेयी ने वाल्मीक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। वस्तुतः उस युग में परिवार ही बालिकाओं की शिक्षा का केन्द्र था। जहां उनको अपने पिता, पति या कुल गुरू से शिक्षा प्राप्त होती थी। बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतरिक्त नृत्य संगीत काव्य, रचना, वाद विवाद आदि की शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल के अन्तिम चरण के लगभग 200 ईसा पूर्व से बालिकाओ की विवाह की आयु को कम करके उनकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थिति कर दिया गया परन्तु महात्मा गाँधी ने संघ में बालिकाओ को प्रवेश की आज्ञा देकर उनकी शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया किन्तु वह आज्ञा कुलीन व व्यवसायिक वर्गो की बालिकाओं को ही दी गयी। इससे बहुसंख्यक सामान्य बालिकाएं शिक्षा से वंचित रही।

बौद्धकाल में नारी को पुनः कुछ गौरव मिला पर वह अपनी प्रतिष्ठा हासिल न कर सकी। मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती गयीं। किसी हद तक हमारा पौराणिक साहित्य भी नारी की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कही नारी को शूद्रकहा गया और कही – कही नारंकस्य द्वारम् कहा जाने लगा और कहीं--कहीं तो नारी जो कल तक नर की सहचरि सखा ,अर्धागिनी थी वह अब अधम से अधूम कही जाने लगी।

मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नही थी मुसलमानो में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थी स्त्री

शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह केवल शाही घरानो और कुलीन वर्गो की कन्याओं तथा कुछ मध्यम वर्ग की मुसलमान बालिकाओं के लिए थी। जनसाधारण की बालिकाएं अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मकतबो में बालको के साथ केवल थोडा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। तुर्क अफगान शासन काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध था सुल्तान इल्तुतमिस की पुत्री रजिया जो उसकी मृत्यु के उपरान्त सिंहासन पर आरूढ़ हुई, विदुषी महिला थी उसने अश्वारोहण तथा युद्ध कला की भी शिक्षा प्राप्त की थी मालवा के शासक महमूद खिलजी के पुत्र गयासुद्दीन खिल्जी ने सारंग पुर में एक मदरसा स्थापित किया था जिनमें स्त्रियों को कलाओ तथा शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी।

मुगलो के आक्रमण के कारण स्थिति और भी बिगड़ी विदेशी आक्रान्ताओं की पाशविक प्रवृत्तियों के भय से स्त्रियों का पठन पाठन बन्द कर दिया। बाल–विवाह अनमेल विवाह सती प्रथा आदि की जंजीरों से बांधकर निरीह पशु बना दिया गया, नर और नारी के कार्य क्षेत्र में विभाजन रेखा खींच दी गयी। यह माना जाने लगा कि नारी का कार्य क्षेत्र उसका घर है नारी विलास का साधन बनकर रह गयीं। देश के आर्थिक ढ़ांचे ने भी इस भावना के प्रसार में भी सहायता दी। पुरूष कमाता था स्त्री को उसकी कमाई पर आश्रित रहना पढ़ता था उसकी आत्मनिर्भरता की मानता लुप्त हो गयी। अब वह पुरूष की सहयोंगिनी न रह कर आश्रित हो गयी। ''स्त्रिया चरित्रम चरित्रम पुरूषस्य भाग्य दैवो न जानाति कुतो मनुष्य'' इस प्रकार की कुत्सित व घृणित भावनाओं का यह दौर बहुत लम्बे समय तक चला और कई शताब्दियों तक नारी को नारकीय जीवन भोगना पड़ा।

भारत वर्ष में अंग्रेजो के आगमन के साथ युग ने करवट बदली। अंग्रेज यहां के शासक थे। अग्रेजों ने अनेक प्रकार के कार्य किये, जो भारत वासियों के लिए नूतन थे। लोगो के विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए और रूढ़ियों को छोडने लगे स्त्री शिक्षा का श्री गणेशाय हुआ। स्वामी दयानन्द, राजाराम मोहन राय आदि समाज सुधारको ने सामाजिक कुरीतियों एवं अंध विश्वासो का खण्डन करने के उद्देश्य से ब्रह्म समाज व आर्य समाज की स्थापना की। तथा समाज में नारी को सम्मान दिलाने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया। नारी को नर की समकक्षता का अधिकार मिला

स्वतन्त्रता पूर्व बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न आयोगों एवं समितियों में सर्वप्रथम "वुड के घोषणा पत्र" में यह संस्तुति की गयी थी कि स्त्री शिक्षा के लिए उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाय , आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सरकार से पूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिए तथा इस शिक्षा तथा शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार से पूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिए, सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। फलस्वरूप नवनिर्मित शिक्षा विभागो ने अनेक स्थानो पर बालिकाओ के लिए प्राथमिक शिक्षा की ओर समुचित प्रशिक्षा के व्यवस्था की सिफारिश की इस प्रकार कम्पनी द्वारा उपेक्षित स्त्री शिक्षा में प्रगति आरम्भ हुई।

1882 में स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के विद्यालयो की संख्या 2,697 थी जिनमें 1,27,066 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए छात्राओं की यह संख्या प्रायः नगण्य थी इसके आधार भूत कारण निम्न थे।

1. हिन्दू और मुसलमान दोनो स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझते थें। उनके मतानुसार स्त्री का उचित स्थान घर में था अतः उसके लिए शिक्षा व्यर्थ थी।
2. भारत में बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी कम आयु में विवाह हो जाने के कारण स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न ही नही उठता था।
3. मुस्लिम शासन काल में हिन्दुओं और मुसलमानों में पर्दा प्रथा प्रचलित हो गयी थी अतः एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर भेजना असम्भव था।

जहाँ तक बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है उसे कुछ सीमा तक सन्तोष जनक कहा जा सकता है। प्राथमिक स्कूलों में छात्राओं की संख्या सबसे अधिक थी। 1882 में 1,27066 शिक्षा प्राप्त करने वाली कुल बालिकाओं में से 1,24491 बालिकाएं प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ रही थी इस अधिक संख्या का एक मात्र कारण यह था कि भारतीय इस समय तक स्त्रियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे परन्तु वे माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पक्ष में नही थें।

इस काल की एक विशेषता यह थी कि स्त्रियां प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं का कार्य करने के लिए शिक्षा ले रही थी 1882 में छात्राध्यापिकाओं की संख्या 515 थी प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की ओर सर्वप्रथम मिशनरियों ने ध्यान दिया। इनका निर्माण करने में मिशनरियों के दो ध्येय थे।

1, मिशन बालिका विद्यालयों के लिए अध्यापिकाओं को शिक्षित करना

2, धर्म परिवर्तित ईशाई स्त्रियों को अध्यापिकाएं बनाकर उनके जीवकोपर्जन की समस्या को हल करना।

मिशन प्रशिक्षण विद्यालय लोकप्रिय न बन सके। सम्भ्रान्त व्यक्ति अपनी लड़कियों को वहाँ नही भेंजना चाहते थे क्योकि वहाँ बाइबिल को पढ़ना अनिवार्य था। मिशन प्रशिक्षण विद्यालयों के अतिरिक्त देश में भारतीयों या सरकार द्वारा संचालित एक भी विद्यालय नहीं था भारतीयों द्वारा इस दिशा में कार्य न किये जाने का कारण यह था कि भारतीय समाज में ऐसी सुशिक्षित महिलाओं का अभाव था जो प्रधान अध्यापिकाओं के रूप में कार्य कर सके। 1854के घोषणा पत्र में अध्यापिकाओं की दीक्षा के लिए आदेश दिये जाने पर भी सरकार ने इस ओर कोई कदम नही उठाया था।

बालिका शिक्षा के अपने कर्तव्य के प्रति सरकार को जागरूक करने का श्रेय एक सुविख्यात समाजसेविका मिस कारपेन्टर को प्राप्त है। 1866 से 1876 तक उसने चार बार भारत आकर यहाँ की जनता और सरकार की बालिका शिक्षा की नवीन परम्परा को प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा दी। उसी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में नारी शिक्षा सम्बन्धी यह प्रतिमान स्थापित हुआ जो अनेक झोंके–झकोरे खाने के बाद भी आज तक अटूट बना हुआ है।

भारत की तत्काल गर्वनर जनरल सर जॉन लारेन्स ने मिस कारपेन्टर के प्रस्तावों से प्रभावित होकर तत्काल ही महिला प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के लिए राजकोष से धन देने की धोषणा की इन नवनिर्मित प्रशिक्षण विद्यालयों की विचित्र दशा से अवगत होने के लिए 1870 में स्थापित किये महिला प्रशिक्षण विद्यालय पूना का संक्षिप्त विवरण

अनउपयुक्त न होगा। इस विद्यालय में प्रथम वर्ष जिन आठ छात्राध्यापिकाओं ने प्रवेश लिया उनमें से कुछ को अक्षरों का भी ज्ञान नही था क्योकि उनको प्रशिक्षित किया जाना था। अतः प्रशिक्षण विद्यालय ने पहले एक साधारण विद्यालय का कार्य किया और उनको साक्षर बनाया। छात्राध–यापिकाओं के अभाव के कारण आठ वर्ष तक प्रवेश पाने के लिए शिक्षा की योग्यता पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया।

1878 में केवल कक्षा तीन पास छात्राएं ही इसमें प्रवेश कर सकती थी 1882 तक इस विद्यालय में दीक्षा लेनी वाली छात्राध्यापिकाओं की कुल संख्या 34 थी।

"हण्टर शिक्षा आयोग (1882)" ने नारी शिक्षा को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने की बात कही, लडकियों के लिए कन्या नार्मल स्कूल खोलने उनकी संख्या बढाने पाठयक्रम को सरल और उपयोगी बनाने पर बल देकर आयोग ने स्त्री शिक्षा के लिये निरीक्षकाओं की नियुक्तियाँ करने का सुझाव दिया। इस आयोग की संस्तुति के आधार पर सरकार ने स्त्री शिक्षालयों को अनुदान देना प्रारम्भ किया। सन् 1992 तक 5628 प्राथमिक विद्यालय हो गये जिनमें 4,47470 छात्राओं के लिए शिक्षा व्यवस्था हो चुकी थी।

सन् 1901में मिशनरियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आर्य समाज ने शिक्षा के विकास की दृष्टि से बालिका शिक्षा के लिए शिक्षालयों की स्थापना आवश्यक समझी प्रमुख केन्द्रों एवं नगरों में अनेको कन्या पाठशालाएं स्थापित की गयी। राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित होकर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वाविधान में हरिद्वार और वृन्दावन में लड़को के गुरूकुलों के साथ साथ कन्या गुरूकुल भी खोले गये। इसी समय 1901 में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। सन् 1904 में श्रीमती एनीविसेन्ट ने बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की। सन्1882 से 1902 तक बालिका शिक्षा की प्रगति मन्द अवश्य थी पर वह निरन्तर होती रही। अंतः इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सवसे अधिक उन्नति हुई। क्योकि 1882 में अध्ययन करने वाली बालिकाओं की संख्या – 1,24491 से बढ़कर 1902 में 3,48410हो गयी। प्राथमिक विद्यालयों में बालको और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर कर दिया गया था छात्राओं को गणित भूगोल और इतिहास के स्थान पर संगीत, चित्रकला और सिलाई, कढ़ाई

की शिक्षा दी जाने लगी थी विशेष रूप से हिन्दू इसकी उपयोगिता समझने लगे थें। हिन्दू समाज में इस परिवर्तित दृष्टिकोण को उपस्थित करने का श्रेय पण्डित ईश्वर चन्द विद्यासागर अगारकर और वैरामजी मालावारी जैसे उत्साही समाज सुधारको का था। इन निस्वार्थ समाज सेवको ने कन्या विद्यालयों के निर्माण के लिए जनता से धन एकत्र करने में अथक प्रयास किये और देश के विभिन्न भागों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा प्रसार में सराहनीय योग दिया।

<u>गोरवले विधेयक (1911):–</u> गोपाल कृष्ण गोरवले पहले नेता थे जिन्होने ब्रिटिश संसद में भारतीय नागरिको के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग की उनकी दूरदर्शिता के कारण अनिवार्य शिक्षा विधेयक प्रस्तावित हुआ। सामाजिक कुरीतियों प्रथाओं एवं पर्दा प्रथा के कारण अनिवार्य शिक्षा को अपनाना कठिन था फिर भी उन्होने सरकार को सुझाया कि वह 6 से लेकर 10 वर्ष तक (चार वर्ष)के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दें पहले बालको के लिए और बाद मे बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये। यह विधेयक पास नही हो सका और शिक्षा अनिवार्यता गृहण न कर सकी। सन् 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध छिडने के कारण शिक्षा की प्रगति अवरूद्ध हो गयी। यह विधेयक गोरवले के प्रस्ताव पर आधारित था और उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी।

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम को उन स्थानीय बोर्डो के क्षेत्रो में लागू किया जाये जहाँ के बच्चो का एक निश्चित प्रतिशत प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
2. स्थानीय बोर्ड – सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके इस अधिनियम को लागू कर सकते है।
3. प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय बोर्ड शिक्षा कर लगा सकते है।
4. अमिभावको के लिए 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बालको को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना अनिवार्य हो यदि वे इस नियम का उल्लंघन करें तो उन्हें दण्ड दिया जाये।
5. कालान्तर में बालिकाओं के लिए भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।
6. जिस अभिभावक की आय 10 रूपये मासिक से कम हो उससे शिक्षा शुल्क न लिया जाय।

7. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार स्थानीय वोर्डो और सरकार द्वारा वहन किया जाये , सरकार सम्पूर्ण व्यय का 2/3 भाग दें।

उपरोक्त सुझावों को देखने से ज्ञात होता है कि गोखले विधेयक अत्यन्त साधारण था इसको प्रस्तुत करते हुए उन्होने अति विनम्र भाव से गर्वनर जनरल को सम्बोधित करते हुए कहा श्रीमान जी ! सारांश में मेरा विधेयक यह है " अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेशाय करने का यह लघु एवं तुच्छ प्रयास है।"

विधेयक को जनमत संग्रह के लिए स्थानीय सरकारों विश्व विद्यालयों एवं कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के पास भेजा गया। 17 मार्च 1912 को सभा में विधेयक पर बाद विवाद प्रारम्भ हुआ, दो दिन के भीषण सघर्ष के पश्चात् 19 मार्च 1912 को इसे 13 वोटो के विरूद्ध 38 वोटो से गिरा दिया गया। दुख की बात यह है। कि सरकारी सदस्यों ने तो इसके विपक्ष में मत प्रदान किया ही परन्तु उनके साथ–साथ जमीदार सदस्यों ने भी अपने गोरे शासकों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा ही किया। इस प्रकार भारत के कतिपय व्यक्तियों की स्वार्थ सिद्ध इस देश की जन शिक्षा में वाधक हुई।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोंग 1917–1919 में गोरवले के अनिवार्य शिक्षा विधेयक की प्रेरणा से विविध प्रदेशो में बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था की गयी।

संयुक्त प्रान्त ने इस वर्ष बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य घोषित की। इसी प्रकार इसी वर्ष मध्य प्रान्त और मद्रास में बालिकाओं के लिए भी अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर दी गयी।

भारत में सदैव से स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गयी काटन का कथन था कि "स्त्री शिक्षा की अप्रगतिशील अवस्था इस देश की शिक्षा प्रणाली को कलंकित कर रही है।[1]"

1- "The Most Conspicuous blot on educational system of India."

कर्जन ने स्वीकार किया था कि भारत में स्त्री शिक्षा बहुत पिछडी हुई दशा में है। उसके समय में सम्पूर्ण भारत में केवल 4,24,000 लडकियाँ विभिन्न प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं इसमें से लगभग 1/3 ऐग्लो एण्डियन और भारतीय ईसाई थी। कर्जन ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया परन्तु भारतीयों की रूढ़िवादिता पर्दा प्रथां और बालविवाह प्रथा की कढ़नाइयाँ उसके समक्ष आई। अतः उसने बालिकाओं के लिए कुछ आदर्श विद्यालयों की स्थापना की और उनमें सुयोग्य अध्यापिकाओं की नियुक्ति करके स्त्री शिक्षा को विस्तृत करने का मार्ग अपनाया। इन कार्यो के परिणाम सन्तोषजनक नही निकले और बालिका शिक्षा अपनी पूर्व स्थिति में ही रही।

शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया इसमें स्वीकार किया गया कि भीरतीयों की सामाजिक प्रथायें स्त्रियों की शिक्षा में अवरोध डालती है। समाज के इन बन्धनों को तिरस्कृत करके स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाना समभव नही है। अतः प्रान्तीय सरकारों को लिखा गया कि वे स्थानीय समाजिक परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण में रखकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी योजनाएं भेजे। इसके साथ ही सरकारी प्रस्ताव में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त निधारित किये गये।

1– बालिकाओं को जीवनोपयोगी शिक्षा दी जाये और वह ऐसी हो जिसे वे सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान गृहण कर सकें।

2– बालिकाओं को बालको से भिन्न शिक्षा दी जाये और इनमें परीक्षाओं को कोई महत्व न दिया जाये।

3– बालिकाओं की शिक्षा में स्वास्थ्य विज्ञान को विशेष ध्यान दिया जाये और स्थानीय सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाये।

4– बालिका विद्यालयों में शिक्षण तथा निरीक्षण का कार्य करने के लिए स्त्रिया ही नियुक्त की जायें।

इस नवीन शिक्षा नीति के फलस्वरूप लड़कियों की शिक्षा को प्रेरणा मिली और उसके प्रत्येक स्तर पर प्रगति के चिन्ह दिखलाई देने लगे। सन् 1921 में प्राथमिक विद्यालयों में

पड़ने वाली बालिकाओं की संख्या 11,98550 थी जबकि 1910 में यह संख्या 3,48510 थी इस काल में शिक्षण विद्यालयों में दीक्षा लेने वाली छात्राओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 1881 में इस प्रकार की छात्राओं की संख्या 515 , 1901 में 1,412 और 1921 में 4391 थी। बंगाल में स्त्रीशिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1907 में स्त्रीशिक्षा समिति की स्थापना की गयी। पदाशीन स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया।

"हर्टाग समिति 1927" इस समिति ने बालिका शिक्षा सम्बन्धी विविध संस्तुतिया प्रस्तुत की इस समिति के बालिका शिक्षा सम्बन्धी कुछ प्रमुख सुझाव निम्न है।

1. बालक बालिकाओं के लिए समान रूप से शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए तथा समान धन व्यय किया जाना चाहिए
2. बालिका विद्यालयों के निरीक्षणार्थ निरीक्षिकाओं की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
3. ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकाधिक बालिका विद्यालय स्थापित करने चाहिए।
4. बालिकाओं कें लिए गृह विज्ञान , संगीत , कला , स्वास्थ्य और परिचर्या की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।

1921 से 1937 तक बालिका शिक्षा में व्यक्तिगत एवं सरकारी प्रयासों द्वारा उन्नति हुई 1929 में अजमेर के "हरविलास शारदा" द्वारा 'बालविवाह' प्रस्तावित विघेयक द्वारा बालविवाह पर निषेद्य लगाया गया और 'शारदा अधिनियम 1929' का निर्माण किया गया। इस नियम से कम आयु की बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला स्त्रियों को मतदान का अधिकार मिला। उपरोक्त सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों से स्त्री जाति में आत्म सम्मान जाग्रत हुआ। अपने इस कार्यक्रम में उन्हें महात्मा गाँधी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके प्रगति शील चरणो का अनुगमन न करके स्त्रियों ने रूढ़िवादी ऊंची दीवारों को जो उनको घेरे हुई खडी थी, विध्वंस कर दिया। राष्ट्रपिता के पथप्रदर्शन में उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम के रणस्थल में प्रवेश करके अपनी विच्छेद तथा पृथकता की प्रवृत्ति का अन्त कर दिया। इतना ही नही स्त्रियों नें 1926 में 'अखिल भारतीय महिला संघ' का निर्माण किया और 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें उन्होने पुरुषों के अनुरूप विविध प्रकार की शिक्षा की

अधिकारिणीं होने की मांग का नारा बुलन्द किया।

अन्त में समिति ने बलपूर्वक सिफारिश करते हुए लिखा "शिक्षा प्राप्त करना केवल पुरूष का ही विशेषाधिकार नही है। अपितु पुरूष और स्त्री दोनो का समान अधिकार है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय व्यवस्था को एवं स्वयं अपने को क्षति पहुचाएं बिना स्त्री और पुरूष में से कोई भी अकेला प्रगति नही कर सकता है। दोनो को शिक्षा में सन्तुलन करने का समय आ गया है। हमारा यह निश्चित मत है कि समग्र रूप से भारतीय शिक्षा की प्रगति के हित में शिक्षा प्रसार की प्रत्येक योजना में स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए"

<u>वर्धा शिक्षा आयोंग (1937)</u> इस योजना के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए बेसिक अनिवार्य शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था पर बल दिया गया। बालिकाओं के लिए बालिका उपयोगी पाठ्यक्रम का चयन करके उसका विकास करने की योजना और गृहशिल्प की व्यवस्था की गयी। गाँधी जी कहते थे "जनसाधारण में व्याप्त अशिक्षा भारत के लिए कलंक और पाप है उसका विनाश किया जाना चाहिए।[1]

1937 से 1947 तक विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में तीव्र प्रगति हुई द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत के विभिन्न सरकारी विभागों एवं व्यापारिक कार्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों की मांग बड़ी फलस्वरूप अनेक स्त्रियां उनमें कार्य करने लगीं। नौकरी करने से स्त्रियों ने जिस आर्थिक स्वतन्त्रता के आनन्द का उपयोग किया उससे उन्हे शिक्षाग्रहण करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। युद्ध काल में महगांई अधिक हो जाने के कारण मध्यम वर्ग के व्यक्ति आर्थिक संकट में थे अतः उनमें से जो उदार विचार के थे। उन्होने अपनी स्त्रियों को घर से बाहर जाकर नौकरी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही की इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने स्त्री शिक्षा के उन्नयन में अतिशय योग दिया। 1947 में स्त्रियों के लिए सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए 16951सस्थाएं थी , जिनमें 35505503 लडकियां शिक्षा का लाभ उठा रही थी।[2]

1- "The Most Conspicuous blot on educational system of India."
2- Seven Years of Freedom Page - 24

स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा

स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा का जो विकास हुआ है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बालिका शिक्षा की ओर हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया। स्त्रियों को पुरूषों के समान स्तर पर लाने के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक और कानूनी परिवर्तन किये गये और एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। भारत का संविधान पुरूष और नारी दोनो के लिए समान अधिकार देता है। कुछ विशेष विधान स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु है।

अनुच्छेद 15 (1) , 16 (1) , 16 (2) में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेद भाव नही किया जायेगा। सरकार ने नारी उत्थान के लिए श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन की स्थापना की स्त्रियों के उत्थान के लिए यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र सावित होगा ऐसी उम्मीद की गयी।

स्वतन्त्र भारत की नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी वे शनै शनै ढीले होते जा रहे है। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। उसके सम्बन्ध में पुरूषों का दृष्टिकोण बदल रहा है। भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए धोषित किया :– " राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म जाति लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।[1]"

स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रीशिक्षा के सन्दर्भ में आयोग एवं समितियों ने निम्न कार्य किये–

<u>राधाकृष्णन कमीशन (1948–49)</u> जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। स्त्री शिक्षा पर महत्व देते हुए कहा कि "शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नही हो सकते।" इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकासार्थ कुछ सुझाव दियें।

---

1 – भारतीय संविधान की धारा – 15 के अनुसार

1– नारी को सुमाता तथा सुगृहणी बनाने की शिक्षा दी जायें।

2– स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओ का विस्तार किया जाये।

3– स्त्रियों को गृह – प्रबन्ध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिये जाये।

4– अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापको के बराबर वेतन दिया जाये।

5– ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाये जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया नये संविधान का उद्देश्य भारत में एक ऐसे संविधान की संरचना करनी है जो सब नागरिको को बिना धर्म जाति अथवा लिंग भेंद के न्याय एवं समानता पर आधारित हो इसीलिए सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए प्रभावशाली कदम उठाये गये। वर्ष 1949–50 के प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत मात्र 28 था।

योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाली 6–11 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत वर्ष 1955–56 में 40 प्रतिशत तक पहुँच गया जो कि वर्ष 1950–51 में मात्र 23.3 प्रतिशत थीं। योजना आयोग द्वारा ऐसी बालिकाओं तथा महिलाओं को शिक्षा प्रदान किये जाने जो कि आर्थिक तथा समाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडी थी की शिक्षा हेतु आवश्यक लक्ष्य निर्धारित किये तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उन्हें शिक्षित करने हेतु पूरे प्रयास किये।

इस अवधि में बालिका शिक्षा संस्थाओं की संख्या 61 लाख से बढ़कर 81 लाख हो गयी इस संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण बालिकाओं का सह शिक्षा में प्रवेश लेना था। केवल बालिकाओं की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या इस अवधि में 16,814 से बढ़कर 18671 तक पहुँच गयी जब कि अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या इस अवधि में क्रमशः 64.7 लाख से 93 लाख तक पहुँच गयी जो कि लगभग 42.6 प्रतिशत थी।

वर्ष 1951—1956 योजना काल में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा पारित कानूनों तथा वैवाहिक जीवन में मधुरता तथा समरसता बनाये रखने के लिए 1955 में बना "हिन्दू विवाह अधिनियम 1952" में बना विशेष विवाह अधिनियम जिसमें अर्न्तजातीय विवाह को वैद्य घोषित किया गया तथा वर व कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 21 व 18 वर्ष निश्चित की गयी। 1954 में जब यू0 जी0 सी0 विल संसद में पेश किया गया तो सी0 आर0 नरसिम, मिस जय श्री तथा श्री डी0 सी0 शर्मा ने महिलाओ को भी पुरूषो के समान ही शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होने कहा कि पुरूषो के समान स्त्रियों को भी विद्यालयो में प्रवेश, शिक्षको की भर्ती आदि समस्त पहलुओं पर समान रूप से नामित किया जाना चाहिए।[1]

योजना आयोग द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया इस योजना काल में महिला शिक्षको को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की गयी क्योकि महिला शिक्षको के अभाव में शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से नही हो पा रहा था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाली स्त्रियों के लिए मकान आदि की सुविधाएं दिये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां एवं विभिन्न राज्यों में स्त्रियों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी।

1—ग्रामीण क्षेत्रो में महिला शिक्षको के लिए निशुल्क आवासीय व्यवस्था।

2—स्कूलो में आया की नियुक्त हेतु।

3—शिक्षण प्रशिक्षण हेतु महिला शिक्षको को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

4—रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था।

इस योजना काल में सरकार द्वारा पारित कानून हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट (हिन्दू अल्पव्यस्कता तथा अभिभावकता अधिनियम) 1956 में बना। इस नियम ने स्त्री शिक्षा के विकास में सहयोग किया।

---

1 यू0 जी0 सी0 बिल 11मई 1956 में हुई वहस के अंश

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) इसे दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से जानते है महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी इसका मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था। समिति ने 1949 में यह सुझाव प्रस्तुत किये।

1— कुछ वर्षो तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

2— ग्रामीण क्षेत्रो में स्त्रीशिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3— उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओ हेतु छात्रावास बनाये जाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

4— राज्यों में बालिकाओं एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाये।

5— बालक तथा बालिका शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाये।

ढेवर समिति 1960—61 :— स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियो की शिक्षा की वास्तविक स्थिति व समस्याओं को जाना। तभी श्री यू0 एन0 ढेवर की अध्यक्षता में सन् 1960—61 में ढेवर समिति का गठन किया गया। आयोग ने इनके समस्यात्मक कार्य—कलापो का अध्ययन कर हर प्रकार के साधनो तथा देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अथक परिश्रम कर यह पता लगाया कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा मे किन सुविधाओं की व्यवस्था नही हो पा रही है ढेवर समिति ने भारत की राज्य और केन्द्र सरकारों से आग्रह किया कि विशेष कार्यक्रम और निर्देशन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगो में परिवर्तन लाने के लिए इनमें प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाये। इसके अलावा समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1— इनके क्षेत्रो में विशेष विद्यालय स्थापित किये जायें जिनमें ऐसे अध्यापक नियुक्त किये जायें जिन्हे पिछड़ी जातियों के जीवन तथा उनकी संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो।

2– इन जातियों में निशुल्क शिक्षा मध्यान्ह भोजन पुस्तके वस्त्र एवं लेखन सामग्री आदि निशुल्क व्यवस्था के रूप मे दी जाये।

3– इन जातियों की शिक्षा व्यवस्था में हस्तलिपि का विशेष ध्यान दिया जाये।

4– इन विद्यालयों में शिक्षको को आवास आदि की विशेष सुविधा दी जाये।

5– प्राथमिक शिक्षा में आदिम जातियों की शिक्षा में उनकी भाषाओं का ही प्रयोग व विकास किया जाय एवं उनकी ही भाषाओं मे पुस्तकें तैयार की जायें।

6– इनकी भाषा और संस्कृति का पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाये।

आयोग ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय आश्रम स्कूल बनाने का प्रस्ताव किया जो कि इनकी शिक्षा के लिये उपयोगी साबित हो सके तथा इनकी सामाजिक तथा सास्कृतिक शिक्षा को केन्द्रित करने के लिए सर्वे किया जाये। आयोग ने इन स्कूलो को पूरे प्रदेश मे लागू किये जाने का प्रस्ताव किया।

हंसा मेहता समिति (1962) इस समिति ने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये ।

1– प्रारम्भिक स्तर से ही सार्वजनिक रूप में सह शिक्षा को अपनाना चाहिए।

2– सामान्य पाठ्यक्रम के साथ बालिकाओ के लिए गृह विज्ञान का विषय अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3– पाठ्यक्रम आवश्यकताओं व अनुभवो और समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाये।

4– मिडिल स्तर पर वैकल्पिक विषयों एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कला सिखाने की व्यवस्था हो।

भक्त वत्सलम समिति (1963) – भारत सरकार ने वर्ष 1963 में एम0 भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा में अधिक प्रगति

के साधनों का पता लगाना और जन सहयोग प्राप्त करने के उपाय सुझाना था इनकी सिफारशे निम्न है।

1. प्राथमिक स्तर पर पृथक पृथक विद्यालय खोलना अत्यन्त आवश्यक है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रो में जहाँ विद्यालयों में विद्यार्थी बहुत थोड़े होते है। अतः प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाय।
2. स्त्री शिक्षा की पर्याप्त प्रगति न होने का कारण विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं का न होना है।
3. लडकियों की शिक्षा के प्रति जो सामाजिक मान्यताएं फैली हुई है इन्हे तोड़ा जाये।
4. निर्धन बालक/बालिकाओं को विद्यालयों की यूनीफार्म तथा पाठ्य पुस्तके आदि भी दी जाये।
5. जिन राज्यों में स्त्रीशिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है उन्हे केन्द्र सरकार विभिन्न स्तरों की शिक्षा हेतु शत प्रतिशत सहायता दे।

सन् 1960 –61 से 1965–66 की तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न व्यवसायों बालिकाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया तथा उन्हे सुविधाएं और अधिक दिये जाने पर बल दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप 1965–66 में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत 21तक पहुँच गया । जो कि वर्ष 1960–61 में 17 प्रतिशत ही था।

इस योजना तक बालको की नामांकन संख्या 13,70,000 तथा बालिकाओं की नामांकन संख्या 9,12000 थी जो कि बालको की संख्या की चौथाई थी। इस योजना में सबसे अधिक उच्च शिक्षा नामांकन सख्या में वृद्धि हुई।

<u>कोठारी आयोग (1964–66)</u> – इस शिक्षा आयोग ने सामान्य रूप से देशमुख समिति हंसा मेहता समिति तथा भक्त वत्सलम समिति की संस्तुतियों का समर्थन करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये गये।

1– बालक और बालिकाओ की शिक्षा के बीच जो दूरी है उसे यथा शीघ्र समाप्त किया जाये।

2– बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए आर्थिक सहायता उदारता के साथ दी जाये।

3– महिलाओं के लिए अंश कालीन रोजगारो की विशेष व्यवस्था हो ताकि वह पारिवारिक दायित्वो को संभालते हुए अपनी शिंक्षा का आर्थिक लाभ उठा सकें।[1]

आयोग ने यह भी महसूस किया कि महिलाओं की शिक्षा में गिरावट आ रही है इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योकि अभी तक इस ओर जो भी प्रयास किये गये वह नगण्य है।[2] प्रारम्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ के लिए अलग विद्यालय खोलने तथा इनके लिए बालकों के भिन्न पाठ्यक्रम लागू किये जाने की मांग चल रही थी। वह अब बालिकाओं के समान पाठ्यक्रम बनाकर लागू किये जाने में परिवर्तित हो गयी। आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेदीकरण न्यायपूर्ण नही है।

<u>राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1968) –</u> राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की दशवी बैठक में जो कि वर्ष 1968 में सम्पन्न हुई, ने यह सिफारिश की।

1– प्राथमिक तथा व्यस्क स्तर पर इस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्ण कालिक शिक्षाकी व्यवस्था की जाये।

2– महिलाओं के लिए पृथक औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा सके।

<u>राष्ट्रीय महिला समिति (1970–75)</u> – वर्ष 1970 में राष्ट्रीय महिला समिति की नियुक्ति नारी शिक्षा के विकास का मूल्यांकन करने तथा उसमें विद्यमान कमियों में आवश्यक

1– शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 152–153

2– एजूकेशन इन रिस्टीस्पेक्ट ए रिव्यू आफ दि रिपोर्टस एण्ड रिकमेन्डेशन्स आफ दि कमीशन / कमेटीज नई दिल्ली– शिक्षामन्त्रालय 1967 पेज–884

सुधार करने के उद्देश्य से की गयी, समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की–

1– भविष्य में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

2– लड़के तथा लड़कियों में चले आ रहे भेदभाव को समाप्त किया जाये।

3– बालिक शिक्षा के प्रसार के लिए योग्य अध्यापिकाओं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छुक हों अधिक संख्या में नियुक्त की जायें।

4– केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को महिला शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5– सरकार को बालिका एवं बालक विद्यालयों को समान सुविधाएं देने का प्रयत्न करना चाहिए।

योजना आयोग की चौथी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या थी। 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की समस्या विशेष रूप से जटिल थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में माता–पिता अपने बच्चों को बड़ी संख्या में स्कूल से वापस बुला लेते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में इस समस्या के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं चतुर्थ योजना के अन्त तक नामांकन 637 लाख बढ़ा, जिसमें 393 लाख लड़के तथा 244 लाख लड़कियां शामिल थी।[1]

सन् 1970–71 से 1975–76 की पंचवर्षीय योजना में 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं की निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा बहुत जोर दिया गया तथा राज्य सरकारों को भी इस दिशा में समुचित कदम उठाने के लिये कहा गया, जिसके फलस्वरूप सभी राज्यों ने 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की।

इस योजना में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण लक्ष्य तब तक प्राप्त नही किया जा सकता, जब तक की ऐसी बालिकाओं की संख्या ज्ञात नही कर ली जाती। जिन्होने

1– फोर्थ फाइव ईयर प्लान – ए ड्राप आउट लाइन (169–74) नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन 1969 पेज 315

प्राथमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही पढ़ाई बन्द कर दी। इस समस्या ने काफी गम्भीर रूप धारण कर लिया था। और यह अभी भी जारी है इसमें त्वरित वृद्धि का कारण महिला शिक्षको का अभाव है। यद्यपि महिला शिक्षको का अभाव इतना अधिक नही था। जितना कि उन्हे पयप्ति सुविधा न मिलने के कारण व्यवसाय की ओर आकर्षित न किया जाना है।

बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गयी परन्तु उनकी पूर्ण जानकारी आम जनता को न होने के कारण वह पूर्णतः इसे गति देने में असफल सिद्ध हुई। प्राप्त आँकडे दर्शाते है कि वर्ष 1978–79 में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में नामांकन न कराने वाली लड़कियों की संख्या 66 प्रतिशत थी।

शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय समिति ने 1974 में अपनी 13 वी बैठक में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशे कीं।

1– केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों तथा स्वायत्त सेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु विशेष धनराशि प्रदान की जायें।

2– लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये।

3– महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण कण्डेन्स कोर्स के द्वारा प्रदान किया जाय।

4– स्थानीय महिलाओं को शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाये।

5– ऐसी बालिकाओं के लिए जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड देती है ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जिसे वे अनौपचाारिक शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सके।

6– महिला शिक्षको के लिए शहरों और नगरों में स्टाप क्वाटर्स बनाये जाने चाहिए तथा उन्हे पूरी सुरक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह उत्साह जनक है कि केन्द्र सरकार ने महिलाओं की समस्याओं का अनुभव किया और पाया कि अधिकांश महिलाएं अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानाओं से प्रभावित है लेकिन यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि स्त्री शिक्षा के लिए बनायी गयी योजनाएं ठीक प्रकार से लागू न हो पायी और महिलाओं के जीवन और शिक्षा में कोई सकारात्मक प्रगति न हो सकी।

भारतीय महिलाओं के शैक्षिक स्तर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट 18 मई 1975 को राज्य सभा के पटल पर रखी गयी। इस पर बोलते हुए तत्कालीन शिक्षा मत्री नुरूल हसन ने कहा " पिछले 28 वर्षो में स्त्रियों की दशा में व्यापक सुधार आया है। उन्हे संविधान ने पूरी सुरक्षा के साथ – साथ कई शैक्षिक योजनाओं में भी सहभागी बनाया है। तथा कानूनी मापदण्ड भी उनकी प्रगति में सहायक हुए है।"

वहस में भाग लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा कि "किसी भी समाज का स्तर वहां की महिलाओं के स्तर से आंका जाता है। महिलाए आज भी पुरूष प्रधान समाज में रह रही है। उन्हे जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त हर क्षेत्र में इस मानसिकता से गुजरना पड़ता है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा समाज में रहने की बात।[1] महिलाओं का निम्न स्तर अथवा उन्हे विकास की कम सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज को विकलांग बना देता है। संसद में स्त्रियों की दशा की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हुए राजा देश पाण्डे ने कहा कि यह वर्ष महिला वर्ष हैं। मैं जानना चाहूँगी कि सरकार महिलाओं के बारे मे क्या सोच रही है। यदि आपका उत्तर यह है कि आप उन्हे पुरूषों के समान ही स्तर प्रदान कर रहे है तो मै आपके प्रति आभारी हूँ। मैने देखा है कि बहुत से स्थानों पर ऐसे स्कूल तथा होस्टल है। जहाँ बालिकाए स्वयं रहकर पढ़लिख सकती है। परन्तु यदि गांवों में जाकर हम वालिकाओं की शिक्षा के बारे में देखे तो स्थिति पूर्णतः विपरीत है वहाँ बालिकाओं को विद्यालय भेजना किसी पर उपकार समझते है। हमे यह स्थिति बदलनी होगी। ऐसे में हम विद्यालय तथा छात्रावासों की संख्या को बढ़ाना चाहिए जहाँ बालिकाओं को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो विशेष रूप से इस महिला वर्ष में हमे बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।[2]

1– भारत वर्ष में महिलाओं के स्तर पर राज्य सभा में दिनांक 18 मई 1975 में हुई वहस के अंश।
2– लोक सभा में यू0 जी0 सी0 रिपोर्ट पर हुयी वहस के अशं, 6 अगस्त 1975

शिक्षा की संसदीय समिति ने अपनी रिर्पार्ट में कहा कि "स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बालिकाओं के नामांकन मे पर्याप्त वृद्धि हुई हैं साथ ही महिला शिक्षकों की संख्या में प्रत्येक स्तर पर लगातार वृद्धि हो रही है। कई क्षेत्रो में बालिकाओं ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है जिससे स्पष्ट होता है कि यदि बालिकायें बालकों से श्रेष्ठ नहीं हैं तो उन्हें बालकों से किसी भी दशा में कम नही आंका जा सकता। इस सबके बावजूद प्रत्येक स्तर पर बालकों और बालिकाओं के नामांकन के बीच बहुत ज्यादा अन्तर है। इस अन्तर को प्राथमिक स्तर पर समाप्त किये जाने की विशेष आवश्यकता है तभी अन्य स्तरों पर भी यह कम हो सकेगा।"

सन् 1975–76 से 1980–81 योजनाकाल में बालिकाओं को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाये तथा उनके नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हो तथा अपव्यय व अवरोधन कम से कम हो इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूलो के साथ वालवाड़ी भी संलग्न की जाये ताकि बालिकाए स्कूलो में प्रवेश लेने के लिए उत्सुक हो, अन्यथा उन्हे घर पर ही रह कर माँ की अनुपस्थिति में छोटे छोटे भाई बहनो की देखभाल करनी पडेगी , इस बात पर भी विशेष जोर देने की जरूरत हे कि बालिकाओं के लिए ऐसी योजनाएं लागू की जाये जिससे वे अपने परिवार के लिए कुछ धन कमा सके तथा आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकें बालिकाओं को निशुल्क पुस्तके तथा पाठ्य साम्ग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिएं। महिला शिक्षकों को रहने हेतु सरकारी क्वाटर्स बनाएं जाने चाहिए।

महिलाओं के लिए साक्षरता एवं सार्वभौमिकता प्रोग्राम को तीव्र गति से विकसित किये जाने की आवश्यकता है विशेष कर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रो में जहां साक्षरता प्रतिशत अत्यन्त न्यून है। छात्राओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी उचित प्रकार से लागू किये जाने की आवश्यकता है। बालिकाओं को बालको से अधिक छात्रवृत्ति दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को चालू रखा जाये तथा उनमे और अधिक धनराशि प्रदान किये जाने की ओर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे बालिकाओं को चित्रकला शिल्प कला आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकें।[1]

1– सिक्सथ फाइव ईयर प्लान (1980–85) नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन 1981, पेज 425।

बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 1957—58 से ही सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये है जिसमें स्कूलों में दाई (माताओ) की नियुक्त बालिकाओं तथा अध्यापिकाओं के लिए क्वाटर्स का निर्माण प्रमुख है इन सब सुविधाओ से बालिकाओं के नामांकन मे पर्याप्त सुधार हुआ है वर्ष 1980—81 में कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं के नामांकन में वार्षिक वृद्धि 2.8 प्रतिशत थी।

वर्ष 1987—88 हमारे देश में शिक्षा अत्यन्त तीव्र गति से लोकप्रिय हुई है। और लगभग 50 प्रतिशत बालिकाए बालको के विद्यालय में अध्ययन करती हें ऐसे ग्रामीण क्षेत्रो में जहा बालक तथा बालिकाओं की संख्या अधिक नही हे वहाँ बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोलने की आवश्यकता नही है नवीन क्षेत्रो में प्रत्येक 1 किमी0 पर प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा विद्यालय खोले जाने चाहिए। इन सब प्रयासों के बावजूद हमारी केन्द्र सरकार महिला शिक्षा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही कर सकी यदि हम स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम पंचवर्षीय योजना से वर्ष 1986—87 तक बालिकाओ के नामांकन पर दृष्टिपात करे तो हम देखते है। कि नामांकन में वृद्धि हुई है परन्तु उसकी गति अत्यन्त मन्द रहीं, जो कि नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट हैं।

तालिका 1.1

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन (भारत वर्ष में)

वर्ष	नामांकन संख्या (लाखों में)
1950—51	54
1960—61	114
1970—71	213
1980—81	285
1986—87	361

वार्षिक रिपोर्ट भाग—1 (1988—89) नई दिल्ली मानव संशाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, 1989 पृष्ठ 12—13

इस योजनाकाल में सरकार द्वारा पारित कानून तथा 1983 में बना अपराधिक दण्ड संहिता अधिनियम तथा महिला का अश्लील प्रस्तुतिकरण विरोध कानून 1986 का प्रचार प्रसार तेज करना चाहिए यहाँ पर यह स्मरणीय है। कि जितना विशाल यह कार्य है उसके लिए यही पर्याप्त नही है कि इस क्षेत्र में केवल सरकारी मशीने ही कार्य करे, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आये और स्त्रियों को उन कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराये जिनके लाभ उन्हे मिल सकते है।

<u>राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986</u>— बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित उपाय सुझाये गये।

1— बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेंश का निर्माण करना

2— औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनो प्रकार की शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाना

3— वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाये जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके।

4. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार करना।

5. निरक्षर स्त्रियों के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जाये जिससे स्वयं सेवी संगठन, सम्पूर्ण मानव शक्ति का सहयोग लिया जाये।

<u>प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991)—</u> इस समिति के निम्नलिखित सूझाव हैं।

1. अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाय।
2. विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाये।
3. विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाय।
4. महिला शिक्षा के लिए अलग से धन का प्राविधान किया जाये।
5. छात्रवृत्तियां मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन अधिक से अधिक दिये जायें।

<u>राष्ट्रीय महिला आयोग (31 जनवरी 1992)</u> — सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष , एक सचिव एवं पाँच पूर्णकालिक सदस्य थे।
इस आयोग को निम्नकार्य सौपे गये।

(1) महिलाओ को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गयी है। उन्हे कारगर ढ़ग से लागू करने के उपाय सुझाना।
(2) महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनो में कमी , अपर्याप्त या त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव देना।
(3) महिलाओ की शिकायतो पर ध्यान देना एवं जहाँ कानूनो का अल्लंघन होता है। समस्याओ को सम्बन्धित अधिकारी तक पहुँचाना।
(4) महिलाओ को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए प्रकृिया में भाग लेना।
(5) सुधार गृहो, जेलखानो व अन्य स्थानों पर उनके पुर्नवास तथा दशा सुधारने के बारे में सिफारिशे करना।

आयोग ने 7–8 अक्टूबर 1992 को बालिकाओ से बलात्कार विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसमें घृणित अपराध की घटनाओ के रोक थाम के उपायों पर विचार किया गया था। मार्च 1993 में इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए महिला परिपेक्ष्य पर गोष्ठी हुई। जिससे समाचार पत्रो व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार केवल नाम मात्र का था। सन् 1921 के अधिनियम के अनुसार प्रान्तो में शिक्षा को जनप्रिय मंत्रियों के हाथो में सौप दिया गया परन्तु 1921 में आर्थिक संकट के कारण प्रगति न हो सकी। विभिन्न प्रान्तो में समय समय पर साक्षरता के लिए आन्दोलन किये गये इस काल में ईसाई मिशनरियों ने पौढ़ शिक्षा के प्रसार का कार्य बडे साहस एवं लगन के साथ किया। स्वतन्त्रता के पूर्व ही विभिन्न पौढ़ शिक्षा समितियां बनी , जिन्होने इस क्षेत्र में तल्लीनता से कार्य किया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा का नाम समाज शिक्षा रख दिया। इसका उददेश्य साक्षर बनाना ही नही वरन् नागिरकता में इनमें लगातार वृद्धि हुई फिर भी अपने देश में आज भी प्राथमिक शिक्षा जिस दुर्दशा को प्राप्त हैं वह चिन्ता जनक हैं साक्षरता के बारे में राष्ट्रीय आँकड़े दशक बार अग्रलिखित सारणी द्वारा दर्शाये गये।

तालिका 1.2

भारतवर्ष साक्षरता प्रतिशत

वर्ष	पुरूष	महिलाएं	कुल (व्यक्ति)
1901	9.8	0.6	5.3
1911	10.6	1.6	5.9
1921	12.2	1.8	7.2
1931	15.6	2.9	9.4
1941	24.9	7.3	16.1
1951	24.9	7.9	16.7
1961	34.9	13.0	24.0
1971	39.5	18.7	29.5
1981	46.9	24.8	36.2
1991	63.86	39.42	52.11

Source -Census Report - 1991

सन् 1981 की साक्षरता दरों में असम सम्मिलित नही है। तथा 1991 की साक्षरता दरो में असम तथा जम्मू व कश्मीर सम्मिलित नही है। क्योकि वहा जनगणना सम्भव नही हो सकी थी।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1951 में जहा 17 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी 40 वर्षो पश्चात् 1991 में 52 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर हो सकी अर्थात लगभग आधी आवादी अभी तक निरक्षर है। जिसमें महिलाओं की स्थिति तो और भी असन्तोषजनक है। विश्ववैक ने भारत की प्रा0 शिक्षा योजना को सिर्फ दो तिहाई ही सफल माना है। आँकडे गवाह है कि हमारे देश में 6 से 10 वर्ष आयु के लगभग दस करोड़ बच्चो में से एक तिहाई ने आज तक स्कूल का मुँह नही देखा। प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ तथा योजना प्रबन्धक 'मार्लेन लाकहीड'

भारत वर्ष में साक्षरता प्रतिशत

ग्राफ -A

महिला साक्षरता प्रतिशत

पुरूष साक्षरता प्रतिशत

ने 307 पृष्ठ की अपनी रिपोर्ट – भारत में प्राथमिक शिक्षा में चिंता जताते हुए बताया है। कि भारत में शिक्षा प्राप्ति का औसत बहुत नीचा होने के कारण उस महत्वपूर्ण बिन्दु तक नही पहुँच सका है। जहाँ आर्थिक वृद्धि की दर ऊँची होती है। तथा लाभ अधिकतम।

प्राथमिक स्तर मे लडकियों की भागीदारी लड़को की तुलना में तेजी से बढ़ी है 1981 – 91 के दौरान लड़कियो की साक्षरता 9.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी जबकि लड़को की 7.5 प्रतिशत की दर से। लड़कियों की साक्षरता का अन्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत अधिक है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में लड़कियों की साक्षरता जहाँ 7.86 प्रतिशत है वही केरल कोट्टायम जिले में 94 प्रतिशत है।देश के 247 जिलो में से 147 जिले वे है। जो मात्र चार राज्यो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश , राजस्थान और बिहार में है। इन जिलो में लडकियों की साक्षरता का औसत राष्ट्रीय औसत से कम हैं। इस तरह के जिलो की संख्या उत्तर प्रदेश में 51 , मध्य प्रदेश में 38, राजस्थान में 27 और बिहार में 39 है।

लड़कियों की साक्षरता में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में विभिन्नता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में साक्षर व निरक्षर स्त्री पुरूषो के प्रतिशत को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका 1.3

साक्षर व निरक्षर स्त्रीपुरूषो का क्षेत्रानुसार विवरण

वर्ष	क्षेत्र	साक्षर			निरक्षर		
		व्यक्ति	पुरूष	महिलाए	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
	समीक्षेत्र	43.3	56.5	29.8	56.4	43.5	70.2
1981	ग्रामीणक्षेत्र	36.1	497	21.8	63.9	50.3	78.2
	शहरी क्षेत्र	63.3	76.8	56.4	32.7	23.2	43.6
	सभी क्षेत्र	52.2	64.2	39.2	47.8	35.8	60.8
1991	ग्रामीण क्षेत्र	44.5	57.8	30.3	55.5	42.2	69.1
	शहरी क्षेत्र	73.1	81.0	63.9	26.9	19.0	36.1

श्रोत :– सेन्सेस ऑफ इण्डिया 1991 पेपर टू ऑफ 1992 (पृष्ठ 51)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है। कि ग्रामीण, शहरी दोनो ही क्षेत्रो में महिलाओं की साक्षरता पुरूषो से कम है। अथति निरक्षर की संख्या पुरूषो से अधिक है किन्तु 1981 से 1991 तक महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता के अन्तर में कमी आयी है। 1981 में महिला और पुरूष की साक्षरता में 26.7 प्रतिशत का अन्तर था जबकि 1991 में यह अन्तर 25 प्रतिशत था। स्त्रियों की साक्षरता में पुरुषों की तुलना में तेजी से बड़ी हैं स्त्रियों की साक्षरता में 10 प्रतिशत कही वृद्धि हुई जबकि पुरूषो की साक्षरता में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सम्पूर्ण साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई। ज्यो – 2 साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता है। निरक्षरता घटती जाती है। दोनो में विपरीत सम्बन्ध है। 1991 में पहली बार साक्षर व्यक्तियो का प्रतिशत निरक्षर व्यक्तियों की तुलना में अधिक दिखाई दिया आज स्त्रियो की साक्षरता दर उतनी ही। कम है। जितनी तीन दशक पहले पुरूषो की थी स्त्री साक्षरता में विस्तृत क्षेत्रीय विभिन्नाएं है। केरल में स्त्री शिक्षा सार्वभौमिक साक्षरता के निकट है। जबकि राजस्थान में स्त्री साक्षरता 21 प्रतिशत है। ग्रामीण तथा शहरी दोनो स्तरो पर लिंग विषमयताए और क्षेत्रीय असन्तुलन मुख्य कारक है। जो कि शिक्षा के कार्य क्षेत्र में लगातार बनी हुई है।

<u>राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्राथमिक शिक्षा</u> :– स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से हीं भारतीय संविधान में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को देश के सभी बच्चो को निशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के प्रयास सम्बन्धी दिये गये शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति तो सन् 1968 में ही संसद द्वारा अंगीकृत कर ली गयी थी यह डा 0 डी 0 एस 0 कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की सिफारिशो पर आधारित थी नीति में इन उद्देश्यो पर जोर दिया गया।

1 – 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

2 – प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमीकरण।

समाज मे दर्शित लक्ष्यो को ध्यान में रखकर सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकता को उच्च प्राथमिकता दी गयी ताकि 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को कम से कम आवश्यक शिक्षा अवश्य प्राप्त हो सके। इसके लिए खण्ड विभाजित आभियान आरम्भ हुआ। जिसका नाम ब्लैक बोर्ड अभियान था इसका लक्ष्य प्राथमिक पाठशालाओ के बुनियादी ढ़ाचे को उन्नत शील बनाना था। इस योजना के तहत 1,03364 अध्यापको की नियुक्त की गयी इसमें 47.23 प्रतिशत महिलाएं थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का 1992 में पुनरावलोकन करके उसे कार्य योजना के अनुरूप बनाया गया और इसमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी। नामांकन पर जोर देने के स्थान पर सहगामी नियोजन पर जोर दिया गया जिसमें परिवार और बालक के ध्यान में रखकर शिक्षको और ग्रामीणो को यह सुनिचित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गयी कि प्रत्येक बालक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थिति होगा। और विद्यालयी शिक्षा के कम से कम 5 वर्ष पूरे करेगा। बालको और उनके माता पिता को हतोत्साहित करने बाले जैसे विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, विद्यालय भवन की असन्तोष जनक दशा और शिक्षा की अपर्याप्त सहायक समाग्री पर भी ध्यान दिया गया। प्राथमिक स्तर पर बालकेन्द्रित और कार्य आधारित अधिगम प्रकृिया को अपनाया गया।

अब यह स्वीकार कर लिया गया है। कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता जब तक कि बच्चे विद्यालय शिक्षा को प्राप्त नही कर लेते है। उपलब्धि और धारण शक्ति को समान महत्व दिया गया हैं उपरोक्त तथ्य संशोधित नीति के पैरा 5.5 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का 1992 में संशोधन) में वर्णित है। जिसमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के तीन पहलुओ पर जोर दिया गया है।

1 – सार्वभौमिक पहुच और नामांकन।

2 – 14 वर्ष तक की आयु के बालको की सार्वभौमिक धारण शक्ति।

3 – शिक्षा में पयप्ति गुणात्मक सुधार करना जिससे कि सभी बच्चे अघिगम के अनिवार्य स्तर को प्राप्त कर सके। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर कार्य करने पर निम्न लिखित तथ्य उभर कर आये।

1 – सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रसांगिक है। इस प्रासांगिकता में देश व्यापी अन्तर है। उदाहरणार्थ – केरल जैसे राज्य में भी जहा कि प्रारम्भिक शिक्षा लगभग सार्वभौमिक है। वहां भी शिक्षा की गुणात्मकता और उपलब्धि की दिशा में बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा को लागू करने के लिए मुख्य रूप से गुणात्मक, सुविधाओ और उपलब्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2 – अब तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर ही नियोजित किया गया है। कुछ राज्य और संघीय क्षेत्र इतने विशाल और विषम हैं कि वे प्रभाव

पूर्ण नियोजन करने में असमर्थ है। आदर्श नियोजन निचले स्तर से प्रारम्भ होना चाहिए, नियोजन को गाँवो से प्रारम्भ किया जाय। गाँव को नियोजन की इकाई मानकर नियोजन की शुरूआत की जा सकती है। जिला योजना का निर्माण स्थानीय संस्थाओं, अध्यापको और गैर सरकारी संगठनों के साथ गहन पारस्परिक विचार विमर्श की प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। इससे योजना उन सबकी अपनी योजना होगी जो उसे कार्यान्वित करने की प्रकृिया से जुडे है। और इस योजना में जमीन से जुडी हुई वास्तविकताए प्रतिविम्बत होगी।

3 – सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उपलब्ध साधनों की स्थिति सन्तोषजनक नही हैं इसके लिए वित्तीय तथा अवित्तीय दोनो तरह के साधनों में अत्याधिक मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुए कार्य के निम्न क्षेत्रो पर जोर दिया गया।

1– शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के स्थान पर शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलो पर ध्यान केन्दित करना।

2– सबके लिए शिक्षा की उपलब्धि के लिए आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं किन्तु वे पर्यात्त नही है। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए समुदाय की सहायता प्राप्त करने के साथ ही गैर सरकारी संगठनों से सहायता लेने के प्रयास किये जाने चाहिए।

3– इस नीति में यह स्वीकार किया गया कि अनाकर्षक विद्यालयी वातावरण भवनों की असन्तोषजनक दशा और अनुदेशकीय सामग्री की अपर्यप्तता ये ऐसे तत्व है। जो कि बच्चो तथा उनके अभिभावको को हतोत्साहित करते है। इसलिए नीति ने प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने तथा सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

4– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रा0 स्तर पर सीखने की प्रकृिया को बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित बनाने पर जोर दिया।

5– राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 और इसकी कार्य योजना ने अध्यापक शिक्षा की पुर्नसंरचना का विस्तृत कार्यक्रम स्वीकृत किया जिसमें सेवापूर्ण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनो शामिल है।

6— इस नीति में एक क्षेत्रीय के बजाय बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया इस दृष्टि कोण में विकास सम्बन्धी सभी विनियोगी को शामिल किया गया परिणाम स्वरूप सेवाओ की उपयोग की क्षमता में वृद्धि की आशा की गयी। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में बल सेवाएं, पोषण, प्रारम्भिक स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य———————आधार भूत सेवाएं शामिल की गयीं। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता में जनसंख्या शिक्षा प्रतिरक्षा और वनारोपण को शामिल किया गया उपरोक्त तथ्यों का अनुशरण करते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की समस्याएं

स्वतन्त्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ हैं फिर भी निम्न लिखित समस्याएं है।

1— महिलाओं की स्थिति में इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के बाबजूद अत्याचारी एवं अप्रगतिशील विचारो वाला पुरूष वर्ग नारी महत्ता को स्वीकार नही करता हैं।

2— भविष्य में होने वाली सन्तान भले ही निरक्षर रह जाये लेकिन पुरूष नारी शिक्षा का विरोध करके अट्टाहस करता हैं।

3— वह अपनी रूढ़िवादी धार्मिक संकीर्णता एवं नारी जाति पर शासन करने की चिरकाल से विरासत में मिलने वाली धारणा का परित्याग करने के लिए तैयार नही हैं जबकि वर्तमान में आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक रूढ़िवादी विचारों ,धार्मिक अन्धविश्वासो एवं प्राचीन परम्पराओं को खण्ड खण्ड करके सार हीन सिद्ध कर दिया है। किन्तु अज्ञानता के कूप में पड़े हुए करोडो भारतीय अब भी उनसे चिपटे हुए है। वे अब भी प्राचीन विचारों एवं पोषण एवं सर्मथन करते हैं फ्लस्वरूप स्त्रीशिक्षा अपने सीमित एवं संकुचित दायरे से बाहर नही निकल पा रही हैं इसके निम्न कारण हैं

(क) अन्य विश्वासों के शिकन्जे में जकड़े हुए अनेक हिन्दू बालिकाओं का अल्पआयु में विवाह करना अपना परम पुनीत कर्तव्य समझते है। अतः वे 'भारतीय व्यस्कता अधिनियम' का एवं 'बाल विवाह निषेधक अधिनियम' का उल्लंघन करके भी अपने कर्तव्य का पालन

करने में संकोच नही करते हैं। परिणामतः बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना स्वाभाविक है।

(ख) रूढ़िवादी विचारों के सीमित दायरे में निवास करने वाले अनेक हिन्दु स्त्री का उचित स्थान घर के अन्दर मानते हैं अतः उनके मतानुसार बालिकाओं को घरेलू हिसाब किताब के लिए थोडा सा अक्षर ज्ञान ही पर्याप्त हैं इसके अतरिक्त उनकी धारणाएं है। कि बालिकाए शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् समानता एवं स्वतंत्रता का दावा करने लगती हैं अतः वे बालिकाओं की शिक्षा के विरोधी है।

(ग) धार्मिक कट्टरता की भावना से सरावोर अनेक हिन्दु रजोदर्शन से पूर्व कन्याओं का विवाह करना धार्मिक कृत्य मानते हैं ऐसे हिन्दुओं का स्मृतिकारों के इस नीति वचन में अभिचल विश्वास हैं

"प्राप्तेतु दशमे वर्षे यस्तु कन्या न यक्षति।
मासि–मासि रजस्यतस्यः पिता पिवति शेणितम्"।।

4– बालिका शिक्षा की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या अपव्यय एवं अवरोधन भी हैं बालकों की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय, अवरोधन अधिक हैं पर्दा एवं बाल विवाह का प्रचलन , अन्ध विश्वासों में आस्था और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण के फलस्वरूप बालिकाएं अपने को विवशता से इतना उलझा हुआ पाती हैं कि वह बालको के समान ज्ञान अर्जन नही कर पाती है।

5– बालिका शिक्षा की पाचंवी समस्या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की है क्योंकि अधिकांशतः बालकों एवं बालिकाओं के समान पाठ्य विषय हैं। हाँ इतना अवश्य हैं कि बालिकाओं को संगीत , चित्रकला एवं गृहविज्ञान जैसे कुछ वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध हैं किन्तु इससे न तो उनका कोई तात्कालिक हित होता है। और न दूर कालिक। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के अनेक कारण है।

(क) यह शिक्षा ज्ञान प्रधान , पुस्तक प्रधान एवं अव्यवाहारिक होने के कारण बालिकाओं में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूल न करने की सामर्थ का विकास नही करती हैं।

(ख) यह शिक्षा बालिकाओं को सब प्रकार के प्राकृतिक साधनों , रंगबिरंगे वस्त्रो एवं आभूषणो से सज सँवर कर कामिनी या मोहनी बनने में और पुरूषो को रिझाने में दक्ष बना देती हैं। जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है।

(ग) इस प्रकार की शिक्षा महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या को उतना ही विकराल रूप प्रदान करती जा रही हैं जितना कि वह पुरूषो को बेरोजगारी की समस्या की समस्या प्रदान कर चुकी है। मनुष्य के लिए बेरोजगारी हानिकारक हैं पर स्त्रियों के लिए भंयकर है।

6— राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार—महिलाशिक्षा की वर्तमान पद्धति पुरूषो की आवश्यकताओ पर आधारित होने के कारण उनको दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान नही करती है।

7— विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार " स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन के लिए पूर्णतया निरर्थक है। जो उनको व्यतीत करना है। यह शिक्षा न केवल अपव्यय है। वरन् बहुधा उनकी निश्चित असमर्थता का कारण है।

8— सरकार द्वारा बालिका शिक्षा की उपेक्षा उसके लिए अभिशाप सिद्ध हो रही हैं क्योकि सरकार की जितनी रूचि बालको की शिक्षा में उसकी कई गुना कम बालिकाओं की शिक्षा में हैं अतः सरकार बालको की शिक्षा को प्रोत्साहित और बालिकाओं की शिक्षा को निरूत्साहित करती है। क्योकि यदि सरकार को कभी व्यय में कमी करने की आवश्यकता पड़ती हैं तो वह इस कमी की पूर्ति हेतु बालकों की शिक्षा के बजाय बालिकाओं की शिक्षा से करती है। उदाहरणार्थ — भारत चीन के युद्ध के समय जब देश में आर्थिक संकट की घोषणा की गयी तब सब राज्यो ने इस संकट का सामना करने के लिए बालिका शिक्षा के व्यय में कटौती की और यह कटौती 15 लाख रूपये की थी।[1]

9— अध्यापिकाओ के अभाव के कारण ही बालिकाओं में शिक्षा का कम प्रसार होने के कारण शिक्षित स्त्रियों का अभाव है। जो शिक्षित भी है। उनमें से अनेक की इच्छा होते हुए भी नौकरी नही कर पाती हैं इसके कारण उनके माता पिता , पति , सास — ससुर है। जोकि नौकरी करवाना अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते है।

1- Times of India February 27, 1966.

10– अध्यापिकाओं के रूप में कार्य करने वाली कुछ स्त्रियाँ विवाह के उपरान्त पारवारिक झंझटो में उलझ जाने के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। कुछ उत्तम आर्थिक स्थिति का वर प्राप्त हो जाने पर अल्प वेतन वाले अध्यापिका के पद पर कार्य करना अपना अपमान समझती है।

11– नगरों की अपेक्षा गाँवो में अध्यापिकाओं का विशेष रूप से अभाव है। क्योंकि ग्रामो में जीवन मापन की सामान्य वस्तुओं की पूर्ति में अत्याधिक कठनाई होती है। इसलिए ग्रामो की शिक्षित महिलाएं इतनी योग्य नही होती हैं कि वे अध्यापिकाओं का कार्य कर सके ।

12– भारतीय समाज शिक्षा के सांस्कृतिक व सामाजिक महत्व को नही समझती है। अतः अधिकांश लोग बलिकाओं की शिक्षा निरर्थक व समय का अपव्यय समझते हैं। वह सोचते है कि बालिकाओं को विवाहोपरान्त घर गृहस्थी के काम में फंस जाना पड़ेगा। अतः उन्हे पढ़ाने लिखाने में कोई लाभ नही है।

13– शिक्षा का अभाव अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति व गरीबो के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को भी जन्म देती है। राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद के संयुक्त निदेशक अबू सोलह सरीफ के अनुसार " वास्तव में प्रभावशाली वर्ग को शिक्षित बनाने में कोई रूचि नही लेता। गुजरात में पटेलो की अधिकार सम्पन्न जाति द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चो को स्कूल जाने की अनुमति न देना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

14– शिक्षको व कक्षाओं का अत्यन्त अभाव है उड़ीसा में यदि सभी नामांकित बच्चे उपस्थिति होने लगे तो प्रत्येक के लिए सिर्फ 18 वर्ग इन्च स्थान ही उपलब्ध हो सकेगा। और प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

15– प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में देश में व्याप्त गरीबी और उसके पैरासाईट के रूप में बालमजदूरी प्रथा मी वाधक रही है।

16– वर्तमान समस्या वृद्धि दर को आधार बनाते हुए सन् 2007 तक अथवा 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 6 से 11 वर्ष आयु के सभी बच्चो को भी स्कूल भेजने के लिए 13 लाख स्कूली कक्षाओं और 7 लाख 40 हजार नए शिक्षकों की आवश्यक पड़ेगी जबकि वास्तविकता यह हैं कि वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप अभी कक्षा कक्ष उपलब्धनहीं हैं और जहाँ उपलब्ध भी है उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो निर्धारित मानको के अनुरूप भी नहीं हैं और ऐसी जीर्ण– शीर्ण अवस्था में हैं जो

न तो वर्षा के दिनों में बच्चों को पानी से बचा सकते हैं और न भयंकर शीत और ग्रीष्म में सर्द और गर्म हवाओं से उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की बेहद कमी है। दूर–दराज और दुर्गम क्षेत्रो में पहले तो प्राथमिक विद्यालय बहुतकम स्थानों पर उपलब्ध है। और यदि विद्यालय हैं भी तो उनमें या तो शिक्षक नियुक्त ही नहीं हैं या फिर वे यदा–कदा ही विद्यालय में पढ़ाने के लिए उपलब्ध होते है।

17– प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में देश में व्याप्त गरीबी और उसके पैरासाइट के रूप में बाल मजदूरी प्रथा भी बाधक रही हैं यद्यपि सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हैं लेकिन फिर भी दिल्ली स्कूल आँफ इकोनांमिक्स द्वारा किए गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के आधार एक एक बच्चे को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भेजने के लिए अभिभावक को प्रतिवर्ष 366/– रूपए खर्च करने पड़ते है। उन लाखों परिवारों के लिए जिनमें स्कूल जाने वाले कई बच्चे हो उन पर यह एक आर्थिक बोझा भी हैं जिसे वे सामान्य परिस्थितियों में उठा ही नहीं सकते। विशेष रूप से यह आर्थिक बोझ लड़कियों की पढ़ाई को और भी अधिक प्रभावित करती है। जहाँ माता–पिता यह मानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा का लाभ लड़की की ससुराल वाले उठाएंगे तो फिर अनावश्यक खर्चा हम क्यों करें। इसके अतिरिक्त देश में बहुत सारे गांव और बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय की आस–पास सुलभता भी नहीं है। यद्यपि देश में कक्षा एक से 5 तक के विद्यालय के लिए एक किमी0 तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय के लिए किमी0 तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय के लिए तीन किमी0 के अन्दर विद्यालय उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय मानक निर्धारित हैं। लेकिन अभी भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी देश की ग्रामीण जनसंख्या के 94 प्रतिशत भाग को ही एक किमी0 में प्राथमिक विद्यालय तथा 84 प्रतिशत जनसंख्या को तीन किमी0 के भीतर मिडिल स्तर के विद्यालय तथा 84 प्रतिशत जनसंख्या को तीन किमी0 के भीतर मिडिल स्तर के विद्यालय उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सका है। इससे स्पष्ट है। कि अनेक गांव और बस्तियाँ अवशेष हैं जहाँ कई–कई किमी0 तक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में चाहतें हुए भी अभिभावक अपने बच्चो को विधालय भेजने में असमर्थ रहते हैं। और उसका परिणाम होता है देश में निरक्षरों की संख्या में वृद्धि। शायद इसीलिए भी सरकार

संविधान की धारा 45 की भावनाओं के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण देश में घोषणा नही कर सकी है।

अनूसूचित जातियों की समस्याएंः— अस्पृश्य जातियां या अनुसूचित जातियाँ शताब्दियों से सवर्णो के पास रही हैं। इनका जीवन पशु के समान था। इनसें मनचाहे रूप में बैगार लिया जाता था इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं थी इन्हे इतना अपवित्र समझा जाता था कि इनकी परिछाई पड़ने से ही ब्राम्हण अपवित्र हो जाया करता थां कबीर जैसे महान कवि ने जहाँ इस जातिवाद की कटु आलोचना और भर्त्सना की वहीं सम्पूर्ण भारतीय पुनर्जागरण आन्दोलन ने भी इसकी आलोचना की।

वैधानिक दृष्टि से 1955 के अस्पृश्यता कानून द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, फिर भी भारत में अस्पृश्य जातियों की अनेक समस्यायें रहीं हैं जो निम्न है।

आर्थिक समस्याएं :— भारत में अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति किसी गुलाम से कम नहीं रही हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् नगरों में इनकी आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक स्थिति में अवश्य परिवर्तन आया है। किन्तु ग्रामीण समाज में आज भी इनकी दयनीय स्थिति है। ग्रामीण समाज में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति भूमिहीन कृषि श्रमिक है और जिनके पास भूमि है भी वह नाम—मात्र की है जिससे उनके सम्पूर्ण परिवार का गुजारा सम्भव नहीं है। अधिकाश अनुसूचित जातियों के व्यक्ति ब्राम्हण और क्षत्रियों के खेतो पर पीढ़ियों से करते चले आ रहें है इनके श्रम के बदले कुछ पसेंरी आनाज प्राप्त हो जाता था और आज कुछ रूपयें।

इसके अतिरिक्त 1955 के पूर्व अस्पृश्य जातियों को अपनी परम्परात्मक जाति के अनुसार ही काम करना पड़ता था। जैसे चमार, धोबी, मेहतर आदि केवल अपना पेशा ही कर सकते थें। ऊँची जातियों के पेशा करने की इन्हे अनुमति नही थी. किन्तु आज ये किसी प्रकार का कार्य करने के लिये स्वतंत्र है।

अस्पृश्य या शुद्रों को समाज में निम्नतम् स्थान प्राप्त था। इनका जन्म से ही स्थिति व भूमिका निश्चित थी। मेहतर और चमार इसके उदाहरण है। शताब्दियों से इनकी आर्थिक स्थिति समाज में निम्नतम् इसलिये बनी रहीं है। क्योकि ये उच्च जातियों के पेशों अथवा सरकारी नौकरी में उच्च पदों

को प्राप्त नही कर सकते थें। आधुनिक भारत में ये ऊँचे से ऊँचे पद पर है, इन्हें राजनैतिक, सरकारी नौकरी और व्यवसाय में भी देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जातियाँ जन्म से ही घृणित और तुच्छ कार्य करती हैं इनका कार्य मलमूत्र उठाना व साफ करना, कपड़े धोना, मृत पशुओं को उठाना और उनकी खाल से चमड़ा निकालना आदि इनका कार्य था। जब इनकी परछाई से सवर्ण अपवित्र हो जाता था फिर इनके व्यवसाय करने की कल्पना भी नहीं की जाती थी। आज ये सभी प्रकार के व्यवसाय कर सकते है।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को वेतन के नाम ग्रामीण समाज में बचा– खुचा जूठा खाना मिलता था। फटे–पुराने कपड़े पहनने को मिलते थें। वर्ष में कुछ पसेरी अनाज खेतो में काम करने के उपरांत प्राप्त होता था अथवा महीने के अन्त में कुछ रूपयें प्राप्त हो जाया करते थे। इसीलिये इनकी आर्थिक दशा गुलामों से कम नहीं थी। अस्पृश्य जातिया अधिकतर भूमिहीन श्रमिक है। भूमि पर सवर्णो का एकाधिकार रहा है। इनका कार्य खेत जोतना, बोना और काटना है। जमींदार किसी भी स्थिति में इन्हें भू – स्वामी बनने नही देता था। इसीलिये आज भी अधिकांश अनुसूचित जातियाँ भूमिहीन हैं।

सामाजिक समस्याऐ :– आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों की स्थिति अत्याधिक सोचनीय थी फिर भी सामाजिक स्थिति व भूमिकायें उच्च कैसे हो सकती है। सामाजिक निर्योग्यतायें निम्न है:–

रूढ़िवादी और जड़ परम्पराओं में बंधा हैं भारतीय समाज, इस समाज में शिक्षा व्यवस्था परम्परात्मक रही है। शताब्दियों से शिक्षा का लाभ केवल सवर्णो को प्राप्त होता रहा हैं अस्पृश्य जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार शास्त्रों ने नही दिया। ये अधिकार ब्राम्हणों और क्षत्रियों को ही मुख्यता प्राप्त था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक लम्बे युग तक अनुसूचित जातियों शिक्षा के लोभ से वंचित रही। इसमें शोषण की भावना समाहित थी कि यदि ये जातियां शिक्षित हो गयी तो इनमें जागृति और चेतना का जन्म हो जायेगा। फिर उन्हें गुलाम बनाकर रखना सम्भव न हो सकेगा। आज ये जातियाँ उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं और बड़े से बड़े पदों पर स्थापित है।

अनुसूचित जातियों के साथ भारतीय समाज ने कितना अन्याय किया हैं आज सोचकर रायें खड़े हो जाते है। ये गाँव में बहुत दूर बसाये जाते थे। सवर्णो के घर इनसे बहुत दूरी पर होते थे। ये झोपड़ियो और कच्चे मकानों में निवास करते थे। आज भी गाँवों में वे स्थान जहाँ ये एक साथ

रहते है, इनकी जाति विशेष नाम के साथ जुड़े है। जैसे पासियों का मुहल्ला।

आश्चर्य की बात यह हैं कि सवर्णो और अस्पृश्य जातियों में दूरी हैं किन्तु हरिजनों में भी अस्पृश्यता हैं जैसे मेहतर जाति में लाल वेगी मेहतर जो मरे जानवर उठाता हैं उसके यहाँ दूसरे मेहतर भोजन और पानी भी नहीं पीतें हैं। अस्पृश्य जातियाँ उन स्थानों पर भी जा सकती थी, जहाँ सामूहिक रूप से मनोंरजन के कार्यक्रम होते थे। ये अपने घरों में ही लोक–गीत, लोकक्तियों से अपना मनोरंजन कर लेते थे।

धार्मिक समस्याएं:— धर्म सम्बन्धी इन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे इनका ईश्वरी संसार इनकी दासता थी जहां जमीदार सामंत मनचाहे रूप मे शोषण करता था। पूजा – स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध था अनुसूचित जातियों को मंन्दिर में प्रवेश नही दिया जाता था। ये ईश्वर के निकट से दर्शन नही कर सकते थे। मन्दिर से बहुत दूर खड़े रहते थे। किन्तु इस भेदभाव के विरुद्ध अनेक आन्दोलन हुए। इस सम्बन्ध में भक्त आन्दोलन और पुनर्जागरण आन्दोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीतिकी है। गर्व की बात है। अब सभी जातियों के व्यक्ति पूजा स्थलों पर जा सकते है।

धार्मिक पुस्तको एवं अनुष्ठानों पर प्रतिबन्ध था उक्त जाति के व्यक्ति न तो धार्मिक पुस्तके पढ़ सकते थे और न धर्म सम्बन्धी अनुष्ठान ही कर सकते थे। क्योकि ये समस्त धार्मिक कार्य सवर्णो के क्षेत्र में आते है। इन पर उन्ही का अधिक प्रभाव था। हाँलाकि अब सब कुछ परिवर्वित हो गया है।

शैक्षिक समस्याएं :— अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में प्रारम्भ से ही अति निम्न स्तर प्राप्त था। उन्हे शिक्षा प्रदान करने के लिये कभी कोई प्रयास ही नही किया गया था। लेकिन नवीन समाज के निर्माण के साथ ही इनकी शिक्षा पर ध्यान तो दिया गया पर आज भी वह स्थिति नही आ पाई है। कि यह कहा जा सके कि शिक्षा की समस्त प्रकृिया अनुसूचित जातियों में ठीक प्रकार से चल रही हैं आज भी उसकी अनेक शैक्षिक समस्यायें है।

प्रथम स्थिति में तो माता – पिता पूरी तरह अशिक्षित है,जो शिक्षा की उपयोगिता ही नही समझ पाते, इसलिये अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाने में उचित रूचि नही लेते है। ये लोग अभी तक वर्षो से चले आ रहे परम्परागत जीवन के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं। ये अन्य भारतीयों की अपेक्षा अधिक अन्धविश्वासी एवं रूढ़िवादी है। सभ्य एवं शिक्षित समाज के सम्पर्क में कम आने के कारण

ये लोग शिक्षा के महत्व को नही समझते है। परिणाम यह है कि शिक्षा – प्रसार के लिये इनके क्षेत्र में समाज की ओर से सरकार को कोई विशेष सहयोग उपलब्ध नही होता है। प्रथम तो ये लोग अपने बच्चो को स्कूल भेजना पसन्द नही करते है। और यदि बच्चे जाते भी हैं तो इच्छानुसार उनका स्कूल जाना बन्द कर देते है।

इसके अतिरिक्त यदि माता – पिता अपने बच्चो को शिक्षा दिलाना भी चाहते हैं तो निर्धनता के कारण वो ऐसा नही कर पाते हैं। अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन श्रमिक रहे है तथा समाज में अन्य वर्ग में गिने जाने वाले व्यक्तियों की निर्धनता के शिकार होते रहे है। निर्धनता के कारण परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये एक जुट होकर कार्य करना पड़ता है। परिणामतः आज भी माता – पिता अपने बच्चों को घर पर कार्य में मदद करवाने के लिये रोक लेते है तथा कभी – कभी बीच में ही पढ़ने वाले बच्चो को स्कूल जाना बन्द करवा देते है। किन्ही परिवारों में यदि अभिभावक स्कूल भेजने मे सफल हो जाते हैं तो बच्चो को पढ़ाई में आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध नही करा पाते जिससे मजबूरी में उन्हे पढाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती हैं

अनुसूचित जातियों का एक बडा वर्ग ग्रामों में निवास करता हैं ग्रामों मे आज भी स्कूलो का अभाव सा है पिछड़े इलाको मे तो कई गाँव के बीच एक स्कूल है अभिभावक अधिक दूर स्कूल होने के कारण अक्सर अपने बच्चो को स्कूल भेजने से हिचकते हैं। किन्ही स्थानों में विद्यालय भी होते हैं और अस्पृश्य जाति के लोग अपने बच्चो को विद्यालय भेजना शुरू कर देते हैं लेकिन उचित सुविधायें व माहोल नही जुटा पाते हैं जिससे बच्चे कक्षा में असफल होने लगते हैं जिससे अपव्यय होता है और बार बार अवरोधन भी जिससे क्षुब्ध होकर ये अपने बच्चो को रोक लेते हैं और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती हैं

अनुसूचित जातियां अधिकतर क्षेत्रीय या प्रान्तीय भाषा जानती हैं बहुत बड़े वर्ग की यह एक प्रमुख समस्या होती है क्योकि उन्हे उनकी अपनी भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध नही होता हैं और इसी कारण वह वास्तविक भाव व अर्थ समझ नही पाते हैं और शिक्षा के प्रति उनकी रूचि उत्पन्न ना होने के कारण असफल हो जाते हैं भाषा के साथ ही पाठ्यक्रम भी उनकी रूचि का नही होता है किताबों का पाठ्यक्रम सामान्य वर्ग व सामान्य स्तर का होता हैं परन्तु उनका घर – परिवार व आस – पास का माहौल वैसा नही होता।

उनकी शैक्षिक समस्याओ में महत्वपूर्ण अध्यापक सम्बन्धी समस्या होती हैं अधिकतर अध्यापक उनकी स्थिति के अनुसार उनकी मानसिकता को समझने का प्रयास नही करते वे इन्हे सामान्य स्तर की शिक्षा देते हैं और उनकी शिक्षा की गृह शीलता में पिछड जाने पर इन्हे एक निम्न स्तर का बालक या पिछड़ा हुआ छात्र कहकर अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं इस कारण बालको को पढ़ने का प्रोत्साहन ही प्राप्त नही हो पाता और शिक्षा की उन्नति नही हो पाती।

राजनैतिक समस्याएं :– अनुसूचित जातियों को राजनैतिक अधिकार नाम की कोई चीज प्राप्त नही थी। इनका मुख्य कार्य केवल सवर्णो की सेवा करना और उसके एवज में कुछ नही मागनां। छोटी से छोटी त्रुटि पर कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था। वास्तव में ये सवर्णो के प्रति जो इनकी प्रतिक्रिया है वह हमारे पूर्वजों और धर्म शासक के अध्यताओं की गल्तियों का परिणाम हैं।

पूर्व समय में तो इनके राजनीति में भाग लेने पर ही प्रतिबन्ध था। अनुसूचित जाति को जब किसी भी प्रकार के अधिकार एवं सुविधायें नही प्रदान की गई थी फिर उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही कहाँ उठता हैं इस पर जमींदार सामन्त राजा व महाराजा एवं सवर्णो का एकाधिकार था। अस्पृश्य जातियाँ राजनैतिक अधिकारों से कोसों दूर रखी गई थी।

प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन

विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र से यह आशा की जाती है कि वह अपनी शिक्षा बिना किसी वाधा के पूर्ण कर लेगा। इस प्रकार छात्र पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो धन तथा समय व्यय किया जाता हैं, इसके विपरीत यदि कोई छात्र समय से पूर्व अथति अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देता हैं तो उस पर व्यय किया धन तथा समय दोनो का ही अपव्यय होता हैं। तथा वह अपनी शिक्षा भी पूर्ण नही कर पाता।

हटंगि समिति के अनुसार –" अपव्यय से तात्पर्य बालको को प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना।"

अवरोधन से अभिप्राय छात्र का किसी कक्षा में असफल होना अथवा निर्घारित पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूरा ना कर पाना।

हटंगि समिति के अनुसार "किसी छात्र का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रूक जाना ही अवरोधन कहलाता हैं।"

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक अनेक कारको में से अपव्यय तथा अवरोधन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या हैं। इस समस्या के कारण ही आज तक प्राथमिक शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकी है। अपव्यय तथा अवरोधन से जहाँ एक और शैक्षिक प्रगति का विकाश चक्र धीमा हो जाता हैं वही दूसरी और देश सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नही हो पाता है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कठनाई बच्चों के विद्यालय में नामांकिति हो जाने के बाद विद्यालय छोड़ देने की भी हैं जैसे देश में 1 से 5 तक लगभग 50 प्रतिशत और कक्षा 6 से 8 तक लगभग 72 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ जाते हैं और इस प्रकार शत प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के सारे प्रयास असफल रह जाते हैं विभिन्न राज्यों में यह दर नीचे दी गयी हैं तालिका से प्रदर्शित की गयी है।

तालिका 1.4

6–11 आयु वर्ग में राज्यवार पंजीकरण दर,
शिक्षा छोड़ने वालों की दर (1996–97)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	6 से 11 आयु में पंजीकरण दर	शिक्षा छोड़ने वालों की दर (कक्षा1–5)
आन्ध्र प्रदेश	87.0	60.3
असम	58.4	52.5
बिहार	75.8	69.6
गुजरात	107.4	54.6
हरियाणा	80.5	21.3

हिमाचल प्रदेश	118.2	29.6
जम्मू और कश्मीर	79.5	41.3
कर्नाटक	93.4	60.8
केरल	100.6	10.1
मध्य प्रदेश	59.9	52.6
महारष्ट्र	116.8	54.9
मणिपुर	112.6	81.1
मेधालय	115.5	76.0
नागालैण्ड	146.0	71.3
उड़ीसा	84.4	63.4
पंजाब	108.6	60.1
राजस्थान	64.9	50.0
सिक्किम	141.9	63.6
तमिलनाडु	119.3	34.2
त्रिपुरा	103.8	55.7
उत्तर प्रदेश	71.4	44.5
पश्चिम बंगाल	80.8	60.1
भारत	83.7	50.5

श्रोत :– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उतर प्रदेश कालाकांकर भवन लखनऊ–226007.

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध मे कुछ विशेष वर्गों जैसे– अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिकाओं आदि की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित बच्चों के सम्बन्ध में किये गये एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अनुसूचित जाति के ग्रामीण विद्यार्थियों का प्रतिशत मात्र 29 है। इसी प्रकार बालिकाओं की स्थिति शिक्षा के प्रत्येक वर्ग में काफी दयनीय है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में अनुसूचित जाति की 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की 75 प्रतिशत बालिकाएं अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नही कर पाती है।

देश में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति का इस सम्बन्ध में किये गये एक ताजा सर्वेक्षण के नतीजो से अवरोधन का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 6 वर्ष तक के 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे सरकारी प्रयासो और अभिभावको में शिक्षा के प्रति पैदा हुई जागरूकता के कारण विद्यालय में तो प्रवेश ले पाते हैं किन्तु इनमे से बीस प्रतिशत से भी अधिक की उपस्थिति नियमित नही होती है। 6 से 10 वर्ष तक के आयु के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से स्कूल तो जाते है। लेकिन इनमे से एक तिहाई प्राथमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही पढ़ाई छोड़ देते है। 1886 से 1993 के बीच लड़कियो के नामांकन में यद्यपि 20 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी किन्तु इन आठ वर्षो में प्रवेश लेकर शिक्षा जारी रखने वालो की दर इस अनुपात में नही बढ़ सकी है।

बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रयास

प्रारम्भिक शिक्षा में लड़के व लड़कियों की भागीदारी में सबसे बड़ा अन्तर है जिसे सार्वभौमिकरण के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है प्रारम्भ शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या तत्वतः बालिकाओं की समस्या है, लिंगभेद सम्बन्धी विषमताएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सामाजिक अनिवृत्ति को प्रतिबिम्बित करती है। यद्यपि इस समस्या का पूर्णरूपेण निराकरण शैक्षिक पद्धति द्वारा सम्भव नहीं किन्तु शिक्षा महिलाओं के स्तर को सुधारने में धनात्मक भूमिका अवश्य निभा सकती हैं महिला शिक्षा के उन्नयन हेतु किये जा रहें मुख्य प्रयास निम्नलिखित है

1– महिलाओं की पीढ़ी में जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम, इस प्रकार का एक सफल कार्यक्रम महिला समाख्या है। इस कार्यकम ने महिलाओं के स्वंय के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के प्रयास किये। यह कार्यक्रम चार राज्यो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश के 14 जिलो में कार्यान्वित किया गया है।

2– शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत को कम करने वाली विभिन्न प्रकार की प्रेरक योजनाएं प्रारम्भिक विद्यालय पद्धति की एक स्थापित है। इस योजनाओं को राज्य द्वारा लगभग पूर्णरूपेण आर्थिक सहायता प्राप्त है। सभी राज्यों में कक्षा 12 तक लड़कियों की शिक्षा निशुल्क है। बहुत से राज्य गणवेश निशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री तथा उपस्थिति भत्ता

के रूप में प्रोत्साहन प्रदान कर रहे है। महाराष्ट्र की सावित्री बाई फूले बाल विकाश योजना सामाजिक सहायता को गतिशीलता प्रदान करने वाली एक उल्लेखनीय योजना है।

3– शिक्षा पद्धति तथा इसके अधिकारियों में लिंग सम्बन्धी भेदभाव के प्रति संवेदन शीलता होने से सभी शैक्षिक कार्यक्रमो में विस्तृत रूप से विशेष रूप से वेसिक शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव पाया जाता है। एन.सी.ई.आर.टी. का महिला अध्ययन विभाग लिंग आधारित भेदभावो के विरूद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लिंग आधारित पक्षपात को दूर करने हेतु यह विभाग विद्यालयी पाठ्य पुस्तको के संशोधन के कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

4– अधिक संख्या में महिला अध्यापिकाओं की भर्ती करना. महिला अध्यापिकाओं का अनुपात क्रमशः बढ़ता जा रहा है।1986–87 में प्रा0 विद्यालयों में 40 प्रतिशत महिला शिक्षकाए थी जबकि 1950–57 में केवल 15 प्रतिशत शिक्षकाएं इन विद्यालयों में थी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में शिक्षकाओं की संख्या में अन्तर है। 1986–87 में प्रारम्भिक विद्यालयों की शिक्षकोओं में से 21 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 56 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थी मौलिक समस्या यह हैं कि ग्रामीण लड़कियां संस्थाओं में प्रवेश के योग्य नही होती 1986–87 में कक्षा 2 की प्रति 100 ग्रामीण लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि करने के लिए समुचित नीतियां अपनायी जानी चाहिए।

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलो जिनमें स्त्री साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रा0 स्तर कक्षा (I-V) और समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, लड़कियो एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समूहो की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया।

प्रारम्भ में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के 43 जिले सम्मिलित किये गये। 8 वी पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम 110 जिलो में शुरू किया जायेगा। 1993 में इस कार्यक्रम के अर्न्तगत

जिला योजनाओं के निर्माण की प्रकि्या प्रारम्भ की गयी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा अगस्त 1994 में एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला योजना के निर्माण में भाग लेने वाले राज्यो एवं जिलो के व्यक्तियों, भारतीय प्रबन्धन संस्थानों एवं जिला योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रकि्या से सम्बन्धित शैक्षिक प्रबन्ध, शोध प्रशिक्षण और विकास से जुडे हुए अन्य व्यवसायिक संस्थानों एवं देश में विश्वविद्यालयों तथा शोध संगठनों के विशेषज्ञो, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, यूनीसेफ और यूनेस्को के विशेषज्ञो ने भाग लिया इस सेमिनार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विविध तथ्यों पर गहन विचार विमर्श हुआ।

सभी के लिए शिक्षा (ई0एफ0ए0) :– "वर्तमान समय में भारत की प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है।" किन्तु देश में स्कूल न जाने वाले बच्चे की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। जो विश्व की इस प्रकार की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। और विश्व के कुछ प्रौढ़ साक्षरों का 30 प्रतिशत भारत में है। अतः देश में साक्षरता के स्तर को सुधारने के लिए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। इसके अर्न्तगत 6–14 आयुवर्ग के बच्चो तथा 15–35 आयु वर्ग के प्रौढ़ो को शामिल किया गया। जबकि सार्वभौमिक प्रा0 शिक्षा का लक्ष्य 6–14 वर्ष आयु वर्ग के 19–24 मिलियन बच्चो को शिक्षित करना है। इसमें 60 प्रतिशत लड़कियां होगी। और साथ ही 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 122 मिलियन प्रोढ़ो को साक्षर करने का लक्ष्य हैं जिसमें 62 प्रतिशत महिलाएं होगी जनसांख्यिक दबाव के कारण यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। यह केवल सन् 2050 तक के लिए है। तब तक जनसंख्या के स्थिर हो जाने की सम्भावना है।

सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य :– निम्नलिखित लक्ष्य है।

(1) परिवार समुदाय और उपयुक्त संस्थाओं की सहायता से बहुमुखी प्रयासों द्वारा विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गो के लिए शिशु सुरक्षा और विकास क्रियाओं का विस्तार।

(2) 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चो को प्रारम्भिक शिक्षा करना।

(3) औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा प्रारम्भिक स्तर पूरा होने तक उनकी सार्वभौमिक भागीदारी।

(4) निरक्षता में प्रभावपूर्ण कमी, विशेष रूप से 15–35 आयु वर्ग की निरक्षरता को कम करना।

(5) शिक्षा को बनाये रखने, उपयोग करने और उन्नत करने के लिए अवसरों की उपलब्धता।

(6) आवश्यक संरचनाओं का निर्माण, और ऐसी प्रकि्या को गति प्रदान करना जो कि स्त्रियों को अधिकार प्रदान कर सके और शिक्षा को स्त्रियों की समानता का एक साधन बनाना।

(7) शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रकि्या को उन्नत बनाकर वातावरण लोगो की संस्कृति एवं रहन सहन व कार्य दशाओं से सम्बन्धित करना।

आपरेशन ब्लैक वोर्ड :– पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात् आपरेशन ब्लैक वोर्ड प्रारम्भ किया गया आपरेशन ब्लैक वोर्ड के तीन परस्पर निर्भर पहलू है।

1– दो बड़े बड़े कमरो का भवन जिसमें चौड़ा बरामदा तथा लड़के व लड़कियो के लिए अलग–अलग प्रसाधन सुविधा भी हों।

2– प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक जिसमे एक स्त्री हो।

3– आवश्यक शिक्षण, अधिगम सामग्री जिसमे श्यामपट, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और कार्यानुभाव के उपकरण सम्मिलित है।

आपरेशन ब्लैक वोर्ड का कार्यान्वयन प्रगति पर था फिर भी कार्यान्वयन के प्रयास और विस्तार की असमानता एक मुख्य समस्या है। जिसे ध्यान देने की आवश्यकता हैं 1987 से इस योजना के प्रारम्भ से ही 103 364 अध्यापको (जिसमें 48 प्रतिशत महिलाएं) की भर्ती की जा चुकी है। और 115 091 कक्षा कक्ष बनाये जा चुके है। आठवी योजना में आपरेशन ब्लैक वोर्ड का क्षेत्र विस्तृत किया गया है। इसके अर्न्तगत जहाँ नामांकन सन्तोष जनक स्तर पर पहुँच गया है वहाँ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीसरा अध्यापक तथा तीसरा कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना है।

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0) प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 1994 से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यो जैसे ब्रिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश एवं गुजरात आदि के चुने हुए जिलों में 'जिला प्राथमिक कार्यक्रम', भी विश्वबैक की सहायता से चलाया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना :– यह योजना ग्रामीण क्षेत्रो के विद्यालयों के लिए है। यह योजना गरीब छात्रो को विद्यालय के लिए है योजना गरीब छात्रो को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए चलाई गयी हैं इस योजना के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करने और शिक्षा के प्रति उन्हे आकर्षण पैदा करने के उददेश्य से 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में मध्यान्ह भोजन योजना 'भी चलाई जा रही हैं जिसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 3 किग्रा0 गेंहू प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह दिया जाता है। सन् 1996 तक यह नियोजित थी 1997 में यह गैर नियोजित स्थायी योजना हो गई है। वर्ष 1998 – 99 में प्राथमिक कक्षाओं में देश के 9.66 करोड़ बच्चो को पोषाहार उपलब्ध करानेे हेतु 960 करोड़ की धन राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राविधानित की गयी। अगले वर्षो में इसमें निरन्तर वृद्धि किया जाना अपरिहार्य है।

स्कूल चलो अभियान :– जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चो को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलया गया। इसके अर्न्तगत जलूस निकाले गये तथा पोस्टर लगाये गये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चो को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गयी।

विश्व के कई देशो के शिक्षा विदो के दल ने इस सप्ताह प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दशा व दिशा का अध्ययन किया गया। "अर्न्तराष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल" अपने साथ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के कई उपाय ले गये है उसने बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने पर भी जोर दिया हैं दल में मैक्सिको, धाना सहित कुछ अन्य विकास शील देशो के शिक्षा मंत्री अधिकारों तथा शिक्षाविद् तथा विश्व बैक के प्रतिनिधि शामिल थे।

विश्व बैंक (बालिका शिक्षा) की अधिकारी श्रीमती कैरेलिन के नेतृत्व में आये इस दल को बताया गया कि यहाँ प्रदेश की बालिका साक्षरता लगभग 26 प्रतिशत हैं जबकि भारत की बालिका साक्षरता 39.61 प्रतिशत है। दल ने प्रदेश में बालिका साक्षरता बढाने पर बल दिया और इस हेतु प्रयासों का अध्ययन किया दल को बताया गया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा निशुल्क कर दी गयी हैं उन्हे छात्रवृत्ति दी जा रही है। हर विकास खण्ड में बालिका विद्यालय खोले जा रहे है। 35 जनपदो में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र खोले गये है। जिनमें शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ अधिकतम बालिकाओं को स्कूल तक लाने के कार्यक्रम चलाये जाते है शेष जनपदो में भी इसी तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

अध्ययन दल ने बालिका विद्यालयों में पंजीकरण प्रक्रिया , पंजीकरण वृद्धि के प्रयासों, पंजीकृत बालिकाओं का विद्यालयो में ठहराव अर्थात 'न्यूनतम ड्राप आउट' आदि के बारे में जानकारियाँ ली। जानकारी मिली है कि प्रवेश के बाद कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते आधी बालिकाएं विद्यालय छोड़ जाती हैं अध्ययन दल ने उन उपायों पर विशेष रूचि दिखाई, जिनके चलते ड्राप आउट कम से कम हो। बताया गया कि प्रदेश सरकार ने 18 जिलो में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तको का मुफ्त वितरण शुरू किया है एवं मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। इससे पंजीकरण बढ़ा है और ड्राप आउट कम हुआ है। उक्त के अतरिक्त दल ने शिक्षक शिक्षकाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएं, पढ़ाई की गुणवत्ता और उसका संर्वधन आदि के बारे में भी जानकारियाँ ली। दल ने शिक्षा मंत्री बालेश्वर त्यागी प्रमुख शिक्षा सचिव वी0 के0 मित्तल, सचिव वेसिक शिक्षा राजेन्द्र मौनवाल निदेशक सुश्री वृन्दास्वरूप व अपर शिक्षा निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी आदि के साथ एक अपैल 1999 को बैठक करके विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की। समझा जाता है। कि वे बालिका शिक्षा के लिए प्रदेश में किये जा रहे उपायों का अपने देश में लागू करने पर विचार करेगें इसी के साथ विश्व बैक परियोजना के अर्न्तगत हो रहे कार्यो की भी जानकारी ली गयी है।

प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता और सर्व व्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी कुछ विशेष प्रयास किये गये हैं जैसे राजस्थान में घुमन्तू जनजाति के परिवारो के बच्चो को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ''सचल विद्यालय''

बिहार सरकार द्वारा चरवाहो को विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ''सचल विद्यालय'' उत्तर प्रदेश में ''आश्रम पद्धति विद्यालय'' ''शिक्षा मित्र योजना'' एवं ''शिक्षा गारणटी योजना'' जैसी कई योजनाएं एवं कार्यक्रम भी चलाये गये है।

'नवी पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण' हेतु 6 से 14 वर्ष के बच्चो के नामांकन और उनके विद्यालय में बने रहने के साथ साथ उनके निष्पत्ति स्तर में सुधार के प्रयास किये जायेगे। प्राथमिक शिक्षा में नवी योजना में निम्न् लिखित विशेष प्रविधान किये जाने प्रस्तावित है।

1– औपचारिक विद्यालयों में 1.84 करोड़ बच्चो का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा और अवशेष बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

2– प्रदेश में 4804 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जोन का प्रस्ताव किया गया है।

3– नवी योजना में 4863 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

4– 'आपरेशन ब्लैक वौर्ड स्कीम' के अर्न्तगत 1770 विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी।

5– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार 14 वर्ष तक के बच्चो को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 447 करोड़ रूपये के अतरिक्त परिव्यय की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

6– ''मिड डे मील स्कीम'' के अन्तर्गत 1.31 करोड़ बच्चो को जो प्राथमिक विद्यालयो में अध्ययनरत है। को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्रयास

<u>स्वतंत्रता के पूर्व अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु प्रयास</u> :– प्राचीन काल में चाहे जैसी वर्ण व्यवस्था रही हो, पर किसी भी जाति के पिछड़े होने के प्रमाण नही हैं। वैदिक युग तथा महाभारत काल में वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, काल आदि विषयो का अध्ययन किया जाता था। इनके अतिरिक्त श्रम विभाजन पर आधारित समाज के प्रत्येक

व्यक्ति को अपने वर्ग के अनुसार भी शिक्षा दी जाती थी। उदाहरणार्थ–ब्राहाम्णों को धर्म–कर्म की शिक्षा, क्षत्रियों को युद्ध – विद्या तथा राजनीति की, वैश्यों को वाणिज्य एवं कृषिं विज्ञान की, तथा शूद्रों को विविध साधारण कलाओं और हस्त कार्य की।

इस प्रकार किसी भी रूप में किसी भी जाति का शोषण या पिछड़ापन तथा वर्ण व्यवस्था के कारण किसी भी प्रकार का भेद – भाव उस काल में नहीं मिलता। प्राचीन काल में अन्तर जातीय विवाह भी सुखद थे। शिक्षा व्यवस्था, पदों के सम्बंध में भी कोई जातिगत भेदभाव नही था स्त्रियों को भी पुरूषों के बराबर अधिकार प्राप्त था।

बौद्ध काल में, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया। इस काल में इन्हें धार्मिक, सांसारिक दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस शिक्षा को न केवल बौद्ध धर्मावलम्बी ही प्राप्त करने के अधिकारी थें। बल्कि बौद्ध–शिक्षा संस्थाओं के सभी जातियों, पदों और वर्गों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थें केवल चांडालों का प्रवेश वर्जित था। भारत की इस सभ्यता और संस्कृति का पतन, विदेशी आक्रमणों के उपरांत शुरू हुआ। भारत की इस व्यवस्था को झक्झोर कर रख दिया। सारी स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी और समाज जक्ड़ दिया गया। आने वाली पीढ़ियाँ अशिक्षित, निकम्मी निकल चलीं। वर्ण–व्यवस्था रूढ़ि बन गई। शूद्रों को दुत्कारा जाने लगा। भेद–भाव और छुआछूत पनपने लगा।

मुस्लिम काल में भारत की आर्थिक उन्नति व सम्पन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर अपने आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक शिक्षा केन्द्रो को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी, दास वंश के शासक खिलजी वंश के शासको ने मकतब और मदरसों का निर्माण करके मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तुगलक वंश में शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ, सैयद और लोदी वंश के शासको में सिकन्दर लोदी ने शिक्षा की दिशा में कार्य किये, उसने अपने राज्य के सभी भागों में मदरसों की स्थापना की इनमें जाति और धर्म का भेंदभाव किये बिना सभी वर्गो को छात्र विद्यार्जन कर सकते थे।

इसके पश्चात् मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल शासको ने शिक्षा के लिये अनेक मकतब व मदरसों की स्थापना की। मुस्लिम काल में सभी जातियों के व्यक्तियों को शिक्षा

प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल में हिन्दुओं की शिक्षा की उपेक्षा भी की गई। केवल उच्च वर्ग के बालक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थें फलतः जनसाधारण के बालक इससे लाभान्वित न हो सके।

भक्ति आन्दोलन में अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिये सामाजिक चेतना का जन्म हजारों वर्ष पूर्व इस देश में हो गया था। वे प्रगतिशील साधू सन्त, फकीर जो मानव समाज में किसी भी प्रकार का अन्तर मानते थे उन्होने अस्पृश्य जातियों में समाज स्तर दिलाने के लिये संघर्ष किया और अपनी वाणी से समाज में घूम–घूम कर यह प्रचार किया कि सभी जाति व वर्ग के व्यक्ति समान हैं। ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। इस समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने व्यक्ति को छोटा या बढ़ा अपने स्वार्थ के लिये बनाया है। सम्पूर्ण भक्ति आन्दोलन इस तथ्य का साक्षी है। भक्ति सम्प्रदाय के साधू, सन्तो, फकीरों और सूफियों ने जाति व धर्म के विभेदीकरण की नीति की कटु आलोचना की और प्रत्येक व्यक्ति को समान माना। धर्म के उन सिद्धान्तो का खण्डन किया जो व्यक्ति, व्यक्ति में भेद करते है। जाति व धर्म के आधार पर कुछ को बड़ा कहना और कुछ को छोटा कहना सर्वथा अनुचित है।

सिद्धो और नाथों की सर्वथा परम्परा इन दोनो ही परम्पराओं ने अस्पृश्य जातियो से जुडे हुये सामाजिक धार्मिक, अन्ध-विश्वासों पर प्रहार किया और सवर्णो की आलोचना की। सवर्ण जातियों ने ही अपने स्वार्थ सिद्ध के लिये जातिवादी का कुचक्र चलाया हैं और अपने को समाज के सर्वश्रेष्ठ और ऊँचे स्थान पर स्थापित कर लिया और छोटी जातियों का मनचाहे रूप में धर्म के नाम पर शोषण किया हैं सिद्धों और नाथ सम्प्रदाय के चिन्तकों और सन्तों ने हिन्दू धर्म और पुरोहितवाद जो ब्राहाम्णवाद के रूप में स्थापित हो चुका था इनकी कटु आलोलना की।

इन सम्प्रदायों का सबसे प्रखर स्वर ब्राहाम्ण विरोधी था और जातिवाद की कटु आलोचना करना चाहते है। ये अस्पृश्यता की भावना को जड़–मूल से समाप्त करना चाहते हैं। इस कार्य के लिये उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन दिया। सरहया जाति के ब्राम्हण थे, इन्होने ब्राहाम्णवाद की कटु आलोचना की ब्राहाम्ण ब्रम्हा के मुख से उत्पन्न हुये थे। इस समय तो वे भी दुसरों की तरह उत्पन्न होते हैं तो ब्राहाम्णवाद रहा कहाँ? यदि यह कहा जाये कि संस्कारवश ब्राहाम्ण होता हैं तो फिर चांडाल को भी संस्कार करने दों वह भी ब्राहाम्ण हो जायेगा। यदि वेदाध

ययन करने से कोई ब्राहाम्ण होता हैं तो चाण्डालो को भी वेदाध्ययन करके ब्राहाम्ण क्यों नही बनने दिया जाये? वेदो का विरोध करते हुये लिखा गया पाठ सिद्ध न होने से वेदो की प्रमाणिकता असिद्ध है। वे परमार्थ नही हैं, क्योकि उनमें शून्य भी शिक्षा नही हैं अतः उन्हें व्यर्थ की बकवास समझना चाहिये धार्मिक विचारों का भी खण्डन–मण्डन किया। यदि अग्नि में धृत डालने से ही मुक्ति मिलती है।तो फिर यज्ञादि सबको क्यों नही करने दिये जाते हैं जिससे सबके सब मुक्त हो जाय। यज्ञ करने से चाहे मुक्ति प्राप्त होती हो, किन्तु धुंआ लगने से नेत्रो को पीड़ा तो पहुंचती हैं। इस प्रकार सिख समुदाय ने प्रचलित रूढ़ियों का डटकर विरोध किया क्योकि यह रूढ़ियां ही जातिवाद और अस्पृश्यता के आधार हैं इनमें कोई दो मत नहीं हैं कि इन्हीं रूढ़ियों पर जातिवाद को पनपाया गया और अब ये ऐसा रोग बन गया है। कि भारत को ही खाये जा रहा है।

16 वीं शताब्दी में सामाजिक आन्दोलन की कुछ चिंगारिया दिखलाई पड़ती है। इसमें सबसे बडे और महान सन्त नेता कबीर थे। इन्होने जातिवाद, अन्धविश्वास अस्पृश्यता रूढिवाद, धार्मिक कट्टरता की कड़ी आलोचना की। उन्होने अपने युग में एक ऐसी सामाजिक चेतना को जन्म दिया उसमें सुधारक को तीव्रता और तत्परता दिखाई पड़ती थी। उनमें भारी असन्तोष और क्षोभ निहित था। बिखरे हुये समाज को एकता में बांधने के लिये कुरूप को सुरूप में परिणित करने के लिये कबीर ने कहीं प्रखर और कही मृदुल संकेत भी किये है।

ऊँचे कुल का जनमिया करनी ऊँच न होय।
जुबरन कलस सुरा भरा साधों निन्दा सोय।।

इस तरह सम्पूर्ण भक्ति आन्दोलन जन–जागरण आन्दोलन के समय अभर कर सामने आता हैं और जिसने धार्मिक आडम्बरों, जातिवाद, अस्पृश्यता की भावना को जी भर कर कोसा और जिसकी कटु शब्दो में निन्दा और आलोचना की। के दामोदन ने भक्ति आन्दोलन का महत्व बताते हुये कहा कि भक्ति आन्दोलन मे जिसने शताब्दियों से अधिक समय तक समुचे देश को आन्दोलित किया था। जनता के राष्ट्रीय नव–जागरण जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनो शामिल थे महत्वपूर्ण योगदान किया। यदि वह आन्दोलन सदा के लिये सामाजिक असमानताओं और जाति प्रथा से उत्पन्न अन्यायों को खत्म नही कर सका तो सम्भवतः इसका कारण यह था कि कारीगर व्यापारी जो इस आन्दोलन के मुख्यतः आर्थिक आधार थे, अब भी कमजोर और असंगठित है।

ब्रिटिश काल में अनुसूचित जाति की शिक्षा :— विदेशी ब्रिटिश शासको ने फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुशरण करते हुये पहले मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा से काटने के लिये एवं उनके लिये अलग मतदान और नौकरियो में आरक्षण नीति अपनाई और बाद में यही नीति हिन्दू समाज को तोड़ने के लिये अपनाई। ब्रिटिश शासन काल में जातियों, उपजातियों का भेद—भाव उभर कर सामने आया। फलतः वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था कट्टरपंथी हो गयी, अछूत नामक नये वर्ग का जन्म हुआ इनकी बस्तियाँ दूर कर दी गई इनको छूना पाप करार दिया गया। छुआ—छूत का भेद—भाव बढ़ता गया। गरीबी और अशिखा ने समाज का रूप बदरंग कर दिया। बुराइयों की वृद्धि से सम्प्रदायवाद ने जन्म लिया। सम्प्रदायवाद को शासकीय स्तर पर खूब बढ़ावा मिला। ब्रिटिंश शिक्षा नीति से पूर्व देशी शिक्षा व्यवस्था में हरिजनों के अतिरिक्त सभी जातियों के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की स्वतन्त्रता थी। ब्रिटिश शिक्षा नीति के कारण देशी शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ।

भारतीय कला की कृतियों अनादि काल से पश्चिमी देशों में सुविख्यात थी अतः पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार का लगभग 100 वर्षो तक उपभोग किया उनके व्यापारिक लाभ से यूरोप के अन्य दशों में व्यापार करने की इच्छा को जन्म दिया। इस प्रकार 17 वीं शताब्दी में अनेक कम्पनियां भारत आई। जैसे— इंगलिश ईस्ट इंडिया कम्पनी, डच ईस्ट इंडिया कम्पनी और फ्रैंच ईस्ट इंडिया कम्पनी प्रमुख थी। इस प्रकार इन सभी ने शिक्षा की दिशा में प्रचार—प्रसार किये मिशनरियों ने जन साधारण में ज्ञान का प्रसार किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन से शिक्षा की दिशा में प्रयास तो किये गये परन्तु शिक्षा जन साधारण के लिये न होकर उच्चवर्ग व मध्यमवर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित रही। ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल में हरिजनों को छोड़कर सभी जातियों के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकते थें। इसके पश्चात् जिस समय प्राच्य—पाश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर रहा था उस समय लार्ड मैकाले भारत आया तथा उसने लार्ड विलियम बैटिंक के समक्ष अपना विवरण पत्र दिया। इस पत्र में देशी भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया तथा अपने तर्क प्रस्तुत किये।

इस प्रकार 1854 से पूर्व अंग्रेजो ने शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य तो किये किन्तु उनका उद्देश्य शिक्षा को जनसाधारण के लिये न करके अपितु अपने व्यापार में सहायता के लिये एक "बाबू वर्ग" को तैयार करना था। बुड के घोषणा पत्र के आधार पर क्रियान्वयन

शुरू होने से पूर्व ही 1857 में क्रान्ति फूट पड़ी फलतः स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने कम्पनी की शासन सत्ता समाप्त कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और भारातीय इतिहास मे "विक्टोरिया का शांतिकाल आरम्भ हुआ फलस्वरूप शिक्षा की प्रगति में प्रशंसनीय अभिवृद्धि हुई।

<u>1854 से 1882 के मध्य अनुसूचित जाति की शिक्षा</u> :— 1854 से पूर्व निस्यन्दन सिद्धान्त को अपनाने के कारण सरकार ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नही की थी। ऐडम की रिपोर्ट से ज्ञात होता है। कि सभी पाठशालाओं में पिछड़ी जातियों और हरिजनों के कुछ बालक शिक्षा प्राप्त कर रहें थे इस प्रकार 1838 तक निम्न जातियों में शिक्षा प्रचलित हो गई थी, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर थी। मिशनरियों ने पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया परन्तु इनका एक मात्र उद्देश्य उनको अपने धर्म का अनुगामी बनाना सरल होता था।

"वुड के घोषणा पत्र" में निस्यन्दन सिद्धान्त को अमान्य ठहराया और जन—साधारण में शिक्षा प्रसार का आदेश दिया। परिणामस्वरूप, सरकार ने प्रान्तीय शिक्षा विभागों को जन—शिक्षा के साथ साथ—पिछड़ी जातियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा। शिक्षा विभाग इस दिशा में क्रियाशील तो हुये परन्तु उन्हें विचित्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उच्च जातियों के हिन्दू हरिजनों को हेय तथा घृणित समझते थें अतः उन्होने हरिजनों के बच्चों को सार्वजनिक स्कूलो में पढ़ाये जाने का घोर विरोध किया। शताब्दियों से पद—दलित रहने के कारण स्वयं हरिजनों में शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा नही थी अतः शिक्षा के लिये दिये गये प्रलोभन प्रायः व्यर्थ सिद्ध हुये।

हरिजनों में शिक्षा का अभाव था अतः उनमें से शिक्षण कार्य के लिये योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने का प्रश्न ही नही उठता था। उच्च वर्ग के हिन्दू पिछड़ी जातियों और हरिजनों के बच्चो के अध्यापक बनना स्वीकार नही करते थें।

हंटर कमीशन 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोंग की नियुक्ति हुई जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता हैं। इस कमीशन ने हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि ये जातियां अनादिकाल से सामाजिक

संरचना में निम्नतम स्तर पर रही है। उनकी स्थिति को एकाएक उच्च वर्गो के समकक्ष बना देना संभव नही हैं अतः आयोग ने शिक्षा द्वारा उनकी अवस्था में निश्चित रूप से परिवर्तन लाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दियेः—

1— हरिजनो तथा पिछड़ी जातियों के लिये उन सभी विद्यालयों के द्वार खोल दिये जांये जो सरकार नगरपालिकाओं या स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहें है।

2— जिन स्थानों पर इन छात्रो के विद्यालय प्रवेश पर अन्य जातियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाये वहा इनके लिये विशिष्ट विद्यालय स्थापित किये जाये।

3— शिक्षक तथा शिक्षा — अधिकारी जनता की इच्छा के विरुद्ध हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के छात्रो को विद्यालयों में प्रवेश न दे इसके विपरीत वे बुद्धिमानी से जातीय भेदभाव का अन्त करने का प्रयास करें।

<u>1882 से 1902 तक की प्रगति</u> :— 1882 से 1902 तक की अवधि में हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में आशातीत उन्नति हुई। आयोग की सिफारिशों पर राजकीय विद्यालयों को अनुसूचित जातियों के छात्रो के लिये खोल दिया गया। परन्तु सवर्ण हिन्दुओं ने सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया। अतः सरकार ने आयोग के सुझाव को स्वीकार करके विशिष्ट स्कूलों की स्थापना की जिससे शिक्षण कार्य निर्विध्न रूप से चलने लगा।

शिक्षा विभागों ने सवर्ण हिन्दुओं के विरोध का उत्तर यह घोषित करके दिया कि समस्त सार्वजनिक विद्यालयों में सभी जातियों के छात्रो को प्रवेश पाने का समान अधिकार हैं जब जनता ने देखा कि शिक्षा—विभाग अपनी नीति का दृढ़ता से पालन कर रहें हैं तब उसने विरोध करना बन्द कर दिया।

इस अविध में समाज सुधारको ने अस्पृश्यता को दूर करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था महात्मा फूले, ब्रहम—समाजी, प्रार्थना — समाजी और आर्य — समाजी छुआ—छुत को जड़ से उखाड़ फेकने के लिये क्रियाशील थे। उनके आन्दोलनों के प्रभाव से 1902 के अंत तक भारतीयों के मस्तिष्क से छुआछुत की भावना बहुत कुछ निकल गई। फलतः विद्यालयों में अछूतों के बालकों की उपस्थिति सवर्ण हिन्दुओं द्वारा सहन की जाने लगी।

उपर्युक्त आन्दोलनों के परिणामस्वरूप हरिजनों में भी जागरूकता का प्रार्दुभाव हो गया और वे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करने लगे। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाई और अनेक नियम बनाकर उनकी शिक्षा को प्रत्येक संभव रीति से प्रोत्साहित किया। इन प्रांतों में मद्रास अग्रणी था।

1893 में मद्रास की सरकार ने हरिजनों की शिक्षा के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को पंचम शिक्षा का महाधिकार पत्र माना गया है।

<u>इसके प्रमुख उपबन्ध निम्नाकिंत थे</u> :–

1– प्रशिक्षण– महाविद्यालय में पढ़ने वाले पंचम छात्रों को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा 2 रू0 मासिक वृत्तिका अधिक दी जायेगी।

2– जिन गैर सरकारी विद्यालयों में पंचम छात्र प्रवेश ले उन्हें अधिक सहायता राशि दिया जाय।

3– स्थानीय संस्थाएं तथा नगरपालिकायें सभी बड़े पंचम ग्रामो में और शहरों में पंचम छात्रों के लिये विशिष्ट स्कूलों की स्थापना करें।

4– सरकारी बंजर भूमि को पंचम विद्यालयों के निर्माण के लिये बिना मूल्य दे दिया जाये।

5– पंचम वर्ग के लिये रात्रि पाठशालायें स्थापित की जायें क्योकि ये पाठशालायें इस वर्ग के लिये विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होगी।

उपर्युक्त रियायतों के अतिरिक्त, हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और हरिजन अध्यापको के लिये मद्रास नगर में एक प्रशिक्षण–विद्यालय का निर्माण किया गया। मद्रास सरकार की इन नीतियों ने हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। मद्रास प्रान्त में 1902 में 3,000 विद्यालय ऐसे थें जिनमें 44,150 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थें। अतः स्पष्ट है। कि मद्रास प्रान्त मे हरिजनों की शिक्षा का पर्याप्त विकास एवं प्रसार हुआ।

मद्रास सरकार नीति से प्रभावित होकर बम्बई में भी हरिजनों की शिक्षा के प्रति उदारता प्रदर्शित की गई परन्तु सरकार विशिष्ट विद्यालयों की बजाय सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाय इस बात पर जोर दिया और उसे इस कार्य में पर्याप्त सफलता मिली परन्तु समय लगा। समय की गति के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होता चला गया और कुछ समय पश्चात् इन्हें सभी सुविधायें प्राप्त हो गई।

दुर्भाग्यवश, अन्य प्रांतों में हरिजन एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में रूचि प्रदर्शित नही की गई परिणामस्वरूप, वहाँ उनकी शिक्षा मे प्रगति नही हुई क्योकि भारतीयों ने उनकी शिक्षा के प्रसार के लिये कुछ नही किया था पर मिशनरियों ने उनकी शिक्षा के प्रसार के कुछ नही शिक्षा की समस्या इतनी जटिल थी कि मिशनरी अकेले समाधान करने में असमर्थ थे।

<u>1905 से 1921 तक अनुसूचित जाति की शिक्षा</u> :— 1905 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। 1920 में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन फिर प्रारम्भ हुआ जो असहयोग आन्दोलन का एक अंग था। इस अवधि में हरिजनों की शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई। हरिजन छात्रों की सबसे अधिक संख्या प्राथमिक विद्यालयों में थी, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा शालाओं में भी हरिजन छात्र अध्ययन कर रहें थें। इस काल में हरिजनों की शिक्षा की प्रगति के कुछ विशेष कारण थें :—

हरिजनों की शिक्षा को सरकार से विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सरकार ने विविध विधियों द्वारा हरिजनों को शिक्षा ग्रहण करने के लिये आकर्शित किया :— जैसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों तथा अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता, छात्रावासों का प्रबन्ध हरिजनों को शिक्षा देने वाले विद्यार्थियों की उदार सहायता अनुदान और हरिजन शिक्षको के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

इस अवधि में सवर्ण हिन्दुओं में जाग्रति प्रारम्भ हो गई थी और उन्होने भारतीय समाज पर लगी अस्पृश्यता की कलंक कालिमा को धो डालने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। आर्य—समाज, ब्रहम—समाज और प्रार्थना—समाज पहले ही अछूतोंद्वार के पुनीत कार्य में अपनी सेवाओं को अर्पित कर चुके थे गोपाल कृष्ण गोखले ने अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के लिये 1905 से भारत सेवक समाज की स्थापना की थी और वह सराहनीय कार्य कर रहा था। 1914

में अमृत लाल ठक्कर ने इस समाज का सदस्य बन कर हरिजनोद्धार के कार्य में अपने जीवन के शेष वर्ष व्यतीत किये। हरिजनों के उत्थान के लिये 1906 से विट्ठलराम जी शिंदे ने पूना में दलित वर्ग उद्धार सभा स्थापित की। हरिजनोंद्धार के कार्य में सबसे अधिक योगदान महात्मा गाँधी ने दिया। उन्होने अपने लेखों द्वारा जनता का ध्यान हरिजनों की पत्रित दशा की ओर आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में हरिजन समाज सुधार को प्रमुख स्थान दिया। कांग्रेस की कार्य कारिणी समिति ने 1922 में बारदौली में हरिजनों की समाजिक स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया उसमें कहा गया कि – हरिजनों के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये संगठित रूप से प्रयत्न किया जाय, उनको मानसिक तथा नैतिक उन्नति में सहायता दी जाय, उनको अपने बच्चों को शिक्षा देने का लाभ बताया जाय तथा उनके लिये नागरिको को प्राप्त होने वाली प्रत्येक सुविधा दी जाय।

उपरिकथित समाज सेवकों तथा संस्थाओं के अतिरिक्त, बड़ौदा और कोल्हापुर नरेश, सायाजीराव गायकवाड ने 1883 में हरिजनों के उत्थान के लिये 18 विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की। उन्होने हरिजन छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां तथा छात्रावासों का निर्माण कर, उन्हे आर्थिक सहायता देकर शिक्षा के लिये प्रोत्साहन दिया। हरिजनों के नेता डा0 अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश ने अपने व्यय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमेरिका भेजा और अपने राज्य में उच्च पद पर नियुक्त किया। कोल्हापुर–नरेश शाहू–छत्रपति ने अपने राज्य के सभी विद्यालय के द्वार हरिजनों के लिये खोल दिया और शिक्षित हरिजनों की राजपद पर नियुक्तियाँ की।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप हरिजन अपने राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुयें कुछ समय से शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे इसके लाभ को पूर्णतः सराहने लगे थें। उनमें ज्ञान पिपासा की वृद्धि हुई और वे शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की मांग करने लगे। इस कार्य में उन्हे अपने नेताओं – डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर और एम0 सी0 राजा से विशेष सहायता प्राप्त हुई । उनके नेतृत्व में हरिजनों ने भारतीय नागरिक के रूप में अन्य व्यक्तियों को प्राप्त सभी अधिकारों के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। वस्तुतः हरिजनों की जाग्रति ने ही उनके शिक्षा कार्य को आगें बढ़ाया।

1921 से 1937 तक अनुसूचित जाति की शिक्षा देश के नेताओं, समाज–सुधारको, दलित वर्गो के पथ–प्रर्दशको और स्व–हरिजनों के आन्दोलनों के परिणमस्वरूप युगों के पद दलित अछूत–वर्गो में जागरण प्रारम्भ हो गया था 1921 में प्रान्तीय शिक्षा का संचालन सूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गया जिससे हरिजन शिक्षा की प्रगति में तेजी आ गई। इस काल में अनुसूचित जाति की शिक्षा के विकास के लिये किये गये प्रयास निम्न हैं–

विभिन्न प्रांतो में हरिजन शिक्षा का विस्तार करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम अपनाया गया। कुछ प्रांतों के विभिन्न भागों में पृथक नीति का अनुसरण किया गया, पर इन सबका ध्येय समान था। अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा प्रदान कराने के लिये प्रत्येक संभव सुविधा दी गई और विविध विधियों के द्वारा उनको शिक्षा के लाभ उठाने के लिये आकृष्ट किया गया। 1937 तक हरिजनों के लिये स्थापित किये गये सभी विशिष्ट विद्यालयों को बंद कर दिया गया, क्योकि अनुभव ने बताया कि उन स्कूलों की उपस्थिति हिन्दुओं तथा हरिजनों के मध्य एक ऊँची दीवार खड़ी करती जा रही थी। 1937 तक लगभग प्रांतों में अनुसूचित जाति के बालक सामान्य विद्यालयों में बिना किसी कठिनाई के अध्ययन करने लगे थे।

अस्पृश्यता के निवारण तथा अनुसूचित जाति शिक्षा की प्रगति में सर्वमान्य योग महात्मा गाँधी ने दिया। अपने समस्त जीवन पर्यन्त गाँधी जी ने हरिजनोंत्थान के लिये अनवरत परिश्रम किया। 1920 में गाँधी जी ने अति दृढ़तापूर्वक लिखा " किसी भी कार्यक्रम में अस्पृश्यता को गौण स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस कलंक को धोये बिना स्वराज्य "एक निरर्थक शब्द है।" और " जब तक हम निर्बलों एवं असहायों की रक्षा नहीं करेगें, तब तक स्वराज्य की बात करना व्यर्थ हैं।"

महात्मा गाँधी के इन विचारों का सवर्ण हिन्दुओं पर 1932 तक कोई व्यापक प्रभाव न पड़ा। उस वर्ष साम्प्रदायिकता के विरोध में गाँधी जी ने उपवास प्रारम्भ किया। सात दिन के इस उपवास ने दलित वर्गो के विरूद्ध प्रवाहित होने वाली दूषित विचारधारा में आमूल परिवर्तन कर दिया और सम्पूर्ण भारत महात्मा जी के निश्चय के समक्ष नतमस्तक होकर अस्पृश्यता को हिन्दू समाज से समूल नष्ट करने के लिये तत्पर हो गया। 1933 से गाँधी जी ने "हरिजन" नाम पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। गाँधी जी के समस्त परिश्रम के फलस्वरूप न केवल हरिजनों का कायाकल्प हुआ अपितु उनमें शिक्षा का भी प्रचार हुआ।

जो कार्य गाँधी जी ने अखिल भारतीय पैमाने पर किया, उसी को डा0 अम्बेडकर ने दलित वर्गो के क्षेत्र में किया। अपने जातीय नेता अम्बेडकर की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों ने अपनी राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार तथा जनता के समक्ष रखा और उनको उपलबध किया। हरिजनों में जागरण का सूत्रपात करने का श्रेय महात्मा गाँधी के पश्चात् अम्बेडकर ही को प्राप्त हैं। उपरिकथित प्रयासों के फलस्वरूप हरिजन–शिक्षा दिन–दूनी, रात–चौगुनी उन्नति करने लगी।

<u>1937 से 1947 तक अनुसूचित जाति की शिक्षा</u> :– कांग्रेस बहुत समय से हरिजनोत्थान एवं अस्पृश्यता के निवारण के लिये आन्दोलन कर रही थी। 1937 में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के हाथ में प्रशासकीय शक्तियां आ जाने से उन्हे ऐसा स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ, जब वे वास्तव में दलित वर्गो की पतनोन्मुख दशा में सुधार करके कुछ ठोस कार्य कर सकते थे। इस भावना से अनुप्राणित होकर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने विभिन्न प्रातों में अस्पृश्यता का अंत करने के उद्देश्य से अधिनियम बनाये। इसके अतिरिक्त उन्होने हरिजनों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये सभी प्रकार के अवसर प्रदान किये। हरिजनों के लिये स्थापित किये गये विशिष्ट स्कूलों को समाप्त कर दिया गया और सभी सार्वजनिक विद्यालयों के द्वार उनके लिये खोल दिये गये। साथ ही उनकी आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुये अनेक सुविधाये प्रदान की जैसे – छात्रवृत्तियां पुस्तको आदि के लिये अनुदान परीक्षा शुल्क से आंशिक या पूर्ण मुक्ति, निःशुल्क शिक्षा मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि संस्थाओं की संरक्षा, छात्रावासों की सुविधा , हरिजन शिक्षा को विशेष सुविधाये, चमड़े आदि के कार्य की व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध इत्यादि।

हरिजनों के सौभाग्य से 1942 में डा0 अम्बेडकर गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी समिति के कानून–सदस्य बने। उनके प्रयास के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों में छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की योजना स्वीकृत की। इस योजना का उद्देश्य – उन हरिजन छात्रो को छात्रवृत्तियां देना या, जो मैट्रीकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विषयों का भारत में अध्ययन करना चाहते थे। यह योजना 1944–45 में क्रियान्वित की गई और तीन लाख रूपयें छात्रवृत्तियों के लिये दिया गया। जिस प्रकार कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने अनुसूचित जाति के शिक्षा प्राप्त करने के लिये विशेष सुविधायें दी। उसी प्रकार आदिवासियों पहाड़ी जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो को भी दी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् :— स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के विकास के लिये एक ओर जहाँ पंचवर्षीय योजनायें बनी वहीं वोटों की इस राजनीति ने पिछड़े वर्ग के कथित उत्थान के लिये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 17, 23, 25, 29, और 46 आदि—आदि के अन्तर्गत विशेष व्यवस्थायें की गई।

अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिको के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेद—भाव नहीं किया जायेगा।''

अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर'' सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान होगे और इस सम्बन्ध में केवल धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नही किया जायेगा। ''इसके अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार हैं कि वह राजकीय सेवाओं के लिये इसके अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार हैं कि वह राजकीय सेवाओं के लिये आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण करें। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इसी प्रकार सेवाओं में पिछड़े हुये वर्गो के लिये भी स्थान सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध — सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिये अस्पृश्यता का निषेध किया गया। अनुच्छेद में कहा गया कि ''अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दण्डनीय अपराध होगा।'' हिन्दु समाज में अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिये संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया है। जो पूरे भारत पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दण्ड दण्डनीय अपराध घोषित किया गया।

अनुच्छेद 23 में बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया हैं, जिसके उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध हैं भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों, खेतिहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किये जाते थे। नवीन संविधान के अन्तर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया हैं।

अनुच्छेद – 25 – "हिन्दुओं की सार्वजनिक, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा समस्त हिन्दुओं के लिये खोलना।"

अनुच्छेद – 29 – "राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश कर किसी भी तरह से प्रतिबन्ध निषेध।"

अनुच्छेद – 46 – "इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितो की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव।"

इस दिशा में कदम और आगे बढ़ाये गये पिछड़ा वर्ग के नाम पर 29 जनवरी 1953 में पहला आयोग राष्ट्रपति के आदेशानुसार गठित किया गया। इसके अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे अतएवं यह आयोग इसी नाम से जाना गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अस्पृश्यता कानून को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये इसके दाण्डिक उपबन्धों को और कठोर बना दिया गया हैं। इस संशोधन के साथ मूल अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया हैं। इस अधि ानियम में यह व्यवस्था हैं कि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर उसके अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा – आयोग 1964–66 गठित किया गया। जो कोठारी की अध्यक्षता में होने के कारण कोठारी कमीशन के नाम से जाना गया। उन्होने अनुसूचित जातियो की शिक्षा के लिये कहा कि आदिम जातियों की शिक्षा पर अधिक बल और ध्यान देना उचित हैं इस सम्बन्ध में हम श्री उन्नीकृष्णन ढेबर की अध्यक्षता में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति कमीशन द्वारा योजना–आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आदिम जातियों की शिक्षा और रोजगार पर विचार करने के लिये आयोजित सेमीनारों द्वारा की गई सिफारिशों से मोटे–तौर पर सहमत है। इस सन्दर्भ में हम निम्न कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान आकृ ष्ट करते है :

प्राथमिक स्तर पर सुविधाओं की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम स्कूल स्थापित करने होगें। अध्यापको को आदिम जातियो भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिये।स्कूल के पहले दो वर्षो में शिक्षा का माध्यम अदिम जातीय भाषा होना चाहियें और इस अवधि में बच्चों को प्रादेशिक भाषाओं की मौखिक शिक्षा दी जानी चाहिये। तीसरे

वर्ष तक प्रादेशिक भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। स्कूलों के कार्यक्रम आदिम जातीय जीवन और वातावरण के अनुकूल होने चाहिये।

माध्यमिक स्तर पर स्कूलों हास्टिल सुविधाओं और छात्रवृत्तियों का काफी विस्तार करना होगा। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का संचालन विकेन्द्रित करना होगा और अधिक कुशल बनाना होगा। माध्यमिक और विश्व विद्यालय दोनो स्तरों पर विशेष पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी।

ऐसे व्यक्तियों के काडर बनाना जरूरी है जो अपने आपको आदिम जातियों की सेवा मे लगा सकें। प्रारमभ में, इन काडरों में मुख्यतः गैर आदिम जातियों के व्यक्ति ही होगें, किन्तु प्रयास स्वयं आदिम जातियों में ही ऐसे काडरों को विकसित होना चाहिये। इस दृष्टिकोण सें –

(क) आदिम जातीय क्षेत्रो में काम कर रहें गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

(ख) सरकारी पदों में विशेष उप–काड़र बनाये जाने चाहियें जिनका उद्देश्य आदिम जातीय क्षेत्रों में काम के लिये व्यक्तियों का चयन होना चाहिये। इन उप–काडरों की परिलब्धियाँ (वेतन आदि) इतनी होनी चाहिये कि वे उत्तम उपलब्ध व्यक्तियों को आकृष्ट कर सके।

(ग) उक्त जातीय लोगों में से होनहार युवा व्यक्ति छांटे जाने चाहिये और उन्हें आदिम जातीय क्षेत्रों में कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। भर्ती या न्यूनतम शिक्षा की आम शर्ते इस कार्यक्रम से अक्सर हटानी पड़गी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिये जाने की बात कही गई जिससे वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी हैं–ग्रामीण पुरूषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरूषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों मे। इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित उपाय सोचे गये हैः–

निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाय कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। सफाई कार्य पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्मशोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिये, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा में ही प्रारम्भ की जायेगी! ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिये बिना उसके सभी बच्चों को इस योजना मे शामिल किया जायेगा तथा उनके लिये समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेगे।

ऐसी सुनियोंजित व्यवस्था करना और जाँच–पडताल की विधि–स्थपित करना कि जिससे पता चलता रहें कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट आने की सम्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिये उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना।

अनुसूचित जातियों से शिक्षको की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना। जिला केंन्द्रो पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास की सुविधाये क्रमिक रूप से बढ़ाना। स्कूल भवनों, बाल बाड़ियों तथा प्रौढ़–शिक्षा केन्द्रो का स्थान चुनते समय अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना।

अनुसूचित जातियों के लिये शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी के कार्यक्रम के साधनों का उपयोग करना। अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज रखना।

बहुत से प्रयास हो चुके है और आज तक लगातार हो रहे हैं फिर भी कुछ समस्याये ऐसी होती हैं, जिनका सम्पूर्ण हल नहीं निकल पाता हैं। वास्तव में मानव के पारस्परिक सम्बंधों को समझ लेने की समस्या जितनी बड़ी और तात्कालिक है। उतनी कोई अन्य समस्या नहीं है। वैसे तो मनुष्य सदा से ही इस बात का प्रयास करता आ रहा है। कि वह अपने को तथा अपने सम्पर्क में आने वाले जगत के अन्य व्यक्तियों और पदार्थो से अपने सम्बंधों को अधिकाधिक समझता चले, परन्तु फिर भी भ्रान्तियाँ तो रहती ही हैं।

प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभ्भता हेतु व्यावहारिक समाधान

21 वीं शताब्दी में कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी को अनिवार्य रूप से सुलभ हो, इसके लिए सरकार को कुछ दूरगामी, विद्धतापूर्ण, कठोर और निर्णायक कदम उठाने की महती आवश्यकता है। अब तक पिछले पांच दशको में सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी नीतियाँ बनाई गई, उनके क्रियान्वयन में अरबों–खरबों रूपए खर्च भी किए गए, कुछ नवीन प्रयोग और नए–नए लेकिन कोई खास अच्छे परिणाम नजर नही आ सके है। नई शताब्दी की चुनौतियो का सामना करने के लिए यह आवश्यक हैं कि अब पुराने प्रयोगों, अनुभवों और कमियों को न दोहराया जाए और कुछ ऐसे विशेष और ठोस प्रयास किए जाएं जिनमें असफलतापूर्ण गुंजाइश नही के बराबर हो। इस दिशा में पहले कदम के रूप में सरकार को प्रत्येक दशा में देश के छोटे से छोटे गांव, मजरे, बस्ती में चाहें वह दूर–दराज के क्षेत्र हों, पहाड़ी और दुर्गभ इलाके हो, रेगिस्तानी अथवा वनों से आच्छादित सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्र हो, के बच्चो को प्राथमिक विद्यालय की सुलभता उनके पास ही किया जाना परमावश्यक होगा।

देश के सभी क्षेत्रो में विद्यालयों की स्थापना और उनमें आवश्यक भौतिक सुविधाएं जुटाने के लिए यद्यपि सरकार अब तक धनाभाव का राग अलापती रही है जिसमें कुछ सच्चाई तो है लेकिन सरकार के लिए यह कोई ऐसी असम्भव बात नहीं है। कि जिससे यह राजनैतिक और प्रशासकीय इच्छाशक्ति के होने पर भी सम्भव न हो सके। हाँ! आवश्यकता इस बात की है। कि सरकार इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक क्रान्ति का एक अहम् मुद्दा मानते हुए इसके लिए जी–तोड़ प्रयास करे। अतः देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सबसे पहले देश के सभी क्षेत्रो में विद्यालयो की उपलब्धता और इन विद्यालयों में शिक्षकों की आपूर्ति सहित सामान्य रूप से आवश्यक भौतिक सुविधाएं जुटाने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना नितान्त रूप से अनिवार्य होगा। इस कार्य में सरकार को देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संगठनो, स्थानीय शहरी निकायों और त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतो का भी भरपूर सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। देश में 73 वें और 74 वे संविधान संशोधन के पारित हो जाने के बाद यद्यपि प्राथमिक शिक्षा को तो पूर्णतः पंचायतों के अधीन करने के प्राविधान किए गए हैं और इस दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा आवश्यक कदम उठाए भी गए हैं।

अतः दूसरे महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकार को प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायतो के सुपुर्द कर देनी चाहिए। इसमें आवश्यक संसाधनों की उपलब्धतां प्रारम्भ में तो यद्यपि सरकार को ही सुनिश्चित करनी होगी और समन्वय एवं पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी लेकिन शनैः– शनैः इसे पूर्णतया पंचायतो के ऊपर छोडा जाना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। इसलिए भी अधिक कारगर होगा कि स्थानीय लोगों और दूसरे शब्दों में उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सकेगा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षको के विद्यालय न जाने और शिक्षण कार्य न करने जैसी शिकायतों के निराकरण पर भी प्रभावी कार्यवाही पंचयतो द्वारा अधिक प्रभावी होगी। पंचायतो को प्राथमिक शिक्षा शुरू किए जाने से एक और विशेष लाभ यह होगा कि विद्यालय भवनों के निर्माण ओर अनुरक्षण आदि पर किए जाने वाले व्यय में अच्छी – खासी कमी लाना सम्भव हो सकेगा, क्योकि पंचायतें स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रयोग करके विद्यालयों भवनों का निर्माण एवं समुचित देखभाल और अपनत्व की भावना रखने के कारण कम खर्च में इसे सम्भव कर सकेंगी। अतः हर हालत में ग्राम पंचायतों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबन्ध, व्यवस्था और उत्तरदायित्व सुपुर्द किया जाना अति व्यवहारिक, उपयोगी एवं कारगर होगा।

इस क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण कदम हमारे संविधान में की गई व्यवस्थाओ और उसकी भावनाओं के अनुरूप पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाते हुए उठाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से तात्पर्य यह होगा कि विकसित देशो की भांति हमें अभिभावको को कानूनी रूप से अपने बच्चों को आवश्यक रूप से विद्यालयों में भेजने हेतु बाध्यकारी बनाना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन करके यह प्रावधान कराना होगा कि जो अभिभावक अपने बच्चो को विद्यालयों में नही भेजेगे अथवा और कोई ऐसे व्यक्ति जो इन बच्चो को स्कूल जाने में बाधक होगें उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यबाही की व्यवस्था करके उसको कड़ाई के साथ लागू कराया जाना आवश्यक होगा इस सम्बन्ध में यद्यपि पहले भी कुछ राज्यों ने 50 के दशक में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए पहले के रूप में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित तो किए लेकिन उनका क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सका क्योंकि इन व्यवस्थाओं को लागू नही कर सकने के पीछे दो प्रमुख कारण उत्तरदायी रहे। पहला प्रमुख कारण तो सभी क्षेत्रो में विद्यालय की अनुपलब्धता रहा और दूसरा प्रमुख

कारण देश में व्याप्त गरीबी के कारण स्कूल जाने योग्य आयु के बच्चों को आर्थिक कार्यो में लगाए रखना आवश्यक मानते हुए शिक्षा पर होने वाले व्यय का बोझ उठाने की उनकी असमर्थता। लेकिन अब प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से पूर्व सभी क्षेत्रो में विद्यालयों की उपलब्धता और प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क करने के साथ गरीबों के लिए पोषक आहार और पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करते हुए गरीब परिवारों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं में लाभान्वित कर बच्चों पर उनकी आर्थिक निर्भरता को समाप्त करना होगा तभी अभिभावक भी निःसंकाच रूप से अपने बचें को विद्यालय भेजने हेतु तत्पर हो सकेंगे। इस सम्बन्धमें चौथा महत्वपूर्ण कदम प्राथमिक शिक्षा को एक सधन अभियान के रूप में चलाकर सम्पूर्ण जन जागृति हेतु जन सहयोग और जन सहभागिता को प्राप्त किया जाना भी अति आवश्यक है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रचार माध्यमों को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। हालाकि पिछले कुछ वर्षो में शिक्षा के प्रति जनसामान्य की जागरूकता मे काफी अभिवृद्धि हुई है। लेकिन अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा के विस्तृत और सर्वव्यापी बनाने के लिए पांचवें महत्वपूर्ण कदम के रूप में अभिभावको और शिक्षको का आर्थिक शोषण करने वाले तथाकथित पब्लिक, कान्वेन्ट, मॉन्टेसरी अथवा मॉडल आदि नामों से प्रचलित स्कूलों पर प्रभावी अंकुश और नियन्त्रण रखने की भी महती आवश्यकता हैं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के तौर पर अधिकाधिक लार्भाजन के उद्देश्य से चलाए जा रहे इन विद्यालयों द्वारा बटोरे जो रहे विकास, भवन और शिक्षण आदि शुल्को के नाम पर अनियन्त्रित धन वसूली भी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक रही हैं और समय–समय पर समाज पर समाज द्वारा इन विद्यालयो के अस्तित्व और वर्चस्व पर प्रश्नचिन्ह लगाए जाते रहे है। हालाँकि वर्तमान जनतांत्रिक एवं खुली अर्थव्यवस्था में इसका बन्द किया जाना तो उपयुक्त नही कहा जा सकता तथा इसके प्रशासन, धन वसूली, पाठ्यक्रम, पाठ्य, पुस्तकें, फीस आदि व्यवस्थाओं पर प्रभावी और कारगर नियन्त्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए। चूँकि स्कुलों में अधिकांशतया एक विशेष वर्ग अथवा सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों ही पढ़ते है। अतः इन विद्यालयो का प्रत्यक्ष रूप से और इनमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावको से अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धनाभाव की समस्या से जूझने के लिए उनका सहयोग लिया जा सकता हैं प्राथमिक शिक्षा के भारी–भरकम बोझ को उठाने के लिए सरकार इन विद्यालयों पर इनमें पढ़ने वाले बच्चो की संख्या के

आधार पर शिक्षा के रूप में कुछ धन वसूल कर सकती है जिसे सदूर क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना और विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए सहयोग राशि के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि इन पब्लिक स्कूलो पर प्रति विद्यार्थी रूपये 500/– अथवा रूपए 1000/– प्रतिवर्ष का शिक्षा कर लगाकर वसूली किया जा सके तो देश में चल रहे हजारों पब्लिक स्कूलों मे पढ़ रहें लाखों विद्यार्थीयों से कम से कम 5 से 10 करोड़ रूपये की धनराशि सरकार को प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकती हैं हालाकि कुछ लोग प्रत्यक्ष कर के रूप में बहुत समय से सामान्य शिक्षा कर लगाने की बात पर चर्चा करते रहे हैं लेकिन जहाँ एक तिहाई से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हो एक सामान्य सी आमदनी वाले व्यक्ति को भी 20 और 30 प्रतिशत तक भारी–भरकम आयकर देने की मजबूरी हो वहाँ जन सामान्य इस कर का बोझ बर्दाश्त नही कर पायेगा और ऐसा करना उनके साथ नाइंसाफी ही कही जाएगी लेकिन पब्लिक स्कूलो पर इस प्रकार के कर को लगाना अन्यायपूर्ण नही कहा जा सकता।

एक छठवें और विशेष प्रयास के रूप में आर्थिक बोझ और कठिनाइयों को कम करने की दिशा मे एक कदम यह उठाया जा सकता हैं कि प्राथमिक शिक्षा को भी पूरी तरह निःशुल्क न करके केवल उन गरीब लोगो के लिए निःशुल्क रखी जाए जो वास्तव में स्कूल का खर्च उठाने के योग्य नही हैं। ऐसे लोग जो अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ उठाने में सक्षम है उनसे किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त कर लिया जाना हर दृष्टि से उपयोगी ही होगा। इससे ऐसे अभिभावको और उनके बच्चो में शिक्षा के लिए कद्र भी ज्यादा होगी और सरकार के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन प्राप्त करने का एक और जरिया निकल आएगा। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए धनाभाव का सरकार द्वारा जो रोना रोते हुए अपने उत्तरदायित्वों से विमुख रहने का जो तर्क दिया जाता रहा हैं, उससे भी मुक्ति मिल सकेगी। अब समय आ गया हैं कि सरकार को कम से कम प्राथमिक शिक्षा की तो देश के प्रत्येक बच्चे को हर हालत मे व्यवस्था सुनिश्चित करनी ही पड़गी। इसके लिए क्या कदम उठाने आवश्यक है, उसे तय करके अतिशीघ्र उन पर अमल करने की महती आवश्यकता है।

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किसी अनुसंधान के लिए सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तको, ज्ञानकोषो, पत्र – पत्रिकाओ तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धो एवं अभिलेखो से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन परिकल्पनाओ के निर्माण, अध्ययन की रूप रेखा तैयार करने में एवं कार्य को आगे बढने में सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधान कर्ता उचित दिशा में एक पग भी आगे नही बढ सकता है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए 'गुड बार तथा स्केट्स' ने लिखा है। कि – ''एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजो से परिचित होता रहे उसी प्रकार शिक्षा के प्रति जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधान कर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजो से परिचित होना आवश्यक है।'' 'डब्लू0 आर0 वोर्ग' के अनुसार –'' किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है। जिस पर भावी कार्य आधारित होता है। यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा उस नींव को दृढ नही कर लेते तो हमारे कार्य के प्रभावहीन होने एवं महत्वहीन होने की सम्भावना बनी रहती है। अथवा यह पुनरावृत्ति भी हो सकती है।'' सम्बन्धित साहित्य के द्वारा पूर्व में हुए कार्यो का विश्लेषण होता है।

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या पर शोध करते समय शोधकर्ता ने कतिपय अन्यशोध समस्याओं का अध्ययन किया जिनका विवरण निम्नवत है।

नायक (1949)[1] ने बम्बई प्रदेश की स्त्रीशिक्षा पर शोधकार्य किया है। इस शोधकार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे।

1– 19वीं शताब्दी के पूर्व भारत में स्त्रियो की सामाजिक स्थिति को जानना

---

1. सी0 नायक – 'एजूकेशन ऑफ वूमेन इन द प्रोविन्स ऑफ बॉम्बे (1918–47)',पी–एच0डी0, बम्बई विश्वविधालय–1949

2— 19वीं शताब्दी के बाद पचास वर्षो में इनकी स्थिति में धीरे धीरे हुए सुधार को जानना।

3— स्त्रीशिक्षा के लिए किये गये सरकारी एवं गैर सरकारी प्रारम्भिक प्रयासों को जानना।

4— विभिन्न आयोग : 1854 का इससे सम्बन्धित विचार , 1854से 1882 के मध्य स्त्रीशिक्षा की धीमी गति से विकास—1883 में शिक्षा आयोग का इस दिशा में सुझाव जानना ।

5— लडके तथा लडकियों की शिक्षा में विषमताओं को जानना। इस शोध के निष्कर्ष निन्नलिखित है।

(1) 19वी शताब्दी के पूर्व समाज में भरतीय स्त्रियों का स्थान तथा उनकी शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी ।

(2) भारतीय स्त्रियाँ ब्रिटिश प्रशासन के पाश्चात्य प्रभाव तथा आधुनिक शिक्षा से लाभ उठा रही थी।

(3) प्रथकतावादी सिद्धान्त मानने वालो के अनुसार स्त्रियाँ पुरूषे से शिक्षा ग्रहण नही कर सकती है।

(4) शिक्षित स्त्रियों की समस्या का कारण एक ओर उनके विकिसित व्यक्तित्व तथा महात्वाकांक्षाओं के मध्य सामंजस्य न होन से है तो दूसरी और समाज का पिछडापन है।

(5) समाज का स्तर ऊँचा करने तथा उसे खुशहाल बनाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित एवं स्वतन्त्र करना आवश्यक है।

राय (1955)[1] ने 1813 से लेकर 1857 तक भारत में स्त्रियों की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति पर शोध कार्य किया है।

यह अध्ययन पूर्णतः ऐतिहासिक विधि पर आधारित होने के कारण आवश्यक आँकड़े, पुस्तके, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, गजट्स तथा सरकार के विभिन्न रिकार्ड तथा प्रकाशनो के द्वारा एकत्र किये गये है। इसके निम्न उद्देश्य है।

1— एस 0 वी 0 राय — 'सोसायटी एण्ड एजूकेशन : फीमेल इन इण्डिया — (1813 — 1857)', पी— एच0 डी0, पटना विश्वविद्यालय—1955

(1) भारत में प्रचलित जाति धर्म तथा सामाजिक ढाँचे को जानना।
(2) सन् 1815 के पूर्व स्त्री शिक्षा को जानना।
(3) सन् 1815 के बाद मिशनरियों तथा व्यक्तिगत प्रयासो द्वारा लडकियों की शिक्षा का विकास जानना।

इस शोधकार्य के शोधकर्ता को निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए।

(1) सन् 1815 के पूर्व स्त्री शिक्षा का विकास अत्यन्त धीमा था।
(2) 1815 के पश्चात् मिशनरियों के प्रयास तथा वुड आयोग के सुझाव से स्त्री शिक्षा की गति में सुधार हुआ।
(3) 1950 तक सरकार ने भी स्त्रीशिक्षा के विकास के लिए प्रभावशाली कदम उठाने का निर्णय लिया।
(4) 1857 के स्वंतन्त्रता संग्राम से स्त्रीशिक्षा के आन्दोलन में रूकावट आयी।

वी0 वोकिल (1965)[1] ने आधुनिक भारत के सन्दर्भ में बम्बई राज्य में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन किया है। उद्देश्य निम्न है।

(1) आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के इतिहास एवं विकास को जानना

(2) बम्बई राज्य में स्त्री शिक्षा के विस्तार का विश्लेषण करना

इस शोध कार्य में मानक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है इसके अतिरिक्त असंख्य सरकारी रिपोर्ट, सर्वेक्षण संख्या अवलोकन व प्रभावशाली तथ्य एवं आँकड़े एकत्रित किये गये हैं।प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है।

1– अंग्रेजी के आगमन के पूर्व स्त्री शिक्षा अत्यन्त सोचनीय थी।
2– अंग्रेजी शासनकाल में अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों तथा मिशनरियों के प्रयासों से स्त्री शिक्षा में विकास हुआ। फलस्वरूप भारत वर्ष में स्त्रियों के लिए 12 कालेज 451 माध्यमिक स्कूल तथा 5306 प्राइमरी स्कूल खोले अर्थात स्वतन्त्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा का विस्तार सन्तोषजनक रहा।

1– वी0 वोकिल – 'गर्ल्स एजूकेशन इन मार्डन इण्डिया विथ स्पेशल रिफरेन्स टू इट्स इन्सफेन्सन इन द स्टेट ऑफ बाम्बे', पी – एच0 डी0, बम्बई विश्वविद्यालय–1965

3— ग्रामीण क्षेत्रो में स्त्रीशिक्षा की स्थिति सोचनीय थी।

4— निजी प्रयास स्त्री शिक्षा के लिए सराहनीय थें।

दास आर0 सी0 (1969)[1] — असम में प्राथमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन का अध्ययन किया इस अध्ययन में यह देखा गया कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दरे बहुत उच्च थी प्राथमिक स्तर पर लडको की तुलना में लडकियों में अपव्यय की दर बहुत अधिक थी प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दर बहुत अधिक थी प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दर 80.5 प्रतिशत और 86.31 प्रतिशत के बीच थी।

देव (1971)[2] ने गुजरात राज्य में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा के विकास पर अध्ययन किया है इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. 1854 से 1947 तक स्त्रियों की सामाजिक, स्थिति का अध्ययन करना ।
2. गुजरात में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रीशिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन करना ।
3. इसके लिए विभिन्न साधनो द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना प्रस्तुत शोध के लिए संसद रिपार्ट भारत सरकार के गजट्स स्त्रीशिक्षा से सम्बन्धित साहित्य अनेक कार्य तथा बम्बई प्रेसीडेन्सी के शिक्षा संचालक को भेजे गये। विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट आदि साधनों के द्वारा सूचनाएं तथा आँकड़े एकत्रित किये गये है। प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

   1— स्त्री शिक्षा के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारण इस प्रकार है।

   अ. विवाह के पूर्व तक लडकियाँ माँ बाप पर बोझ मानी जाती है।

   ब. परिवार में लडकियों की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही था।

   स. बाल विवाह प्रथा समाज में अत्याधिक प्रचलित थी। अतः लडकियों की शिक्षा का प्रश्न ही नही उठता था।

   द. परिवार रूढिवादिता पर आधारित था अतःपरिवार में स्त्रियों का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नही था।

   य. स्त्रियों का क्षेत्र घर तक ही सीमित था।

1— आर0 सी0 दास—एस0 आई0 ई0 असम 1969

2— जे 0 के 0 देव, 'ए स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फीमेल एजूकेशन इन गुजरात टिल इन डिपेन्डेन्स', पी-एच0 डी0, सरदार पटेल विश्वविद्यालय—1971,

2– 1857 के गद्र के बाद अंग्रेज शासको ने समाज सुधार में किसी प्रकार की रूचि नही दिखलाई।

3– समाज की माँग के अनुसार अंग्रेज प्रशासको ने शैक्षिक सुधारो को किसी प्रकार की मान्यता नही दी।

4– स्वतन्त्रता तक विभिन्न आयोगो एवं समितियों के सुझावों को सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नही किया।

5– कृषि क्षेत्र में स्त्रियों पर कृषि का कार्यभार अत्याधिक होने के कारण वह शिक्षा की ओर से उदाशीन थी।

6– स्वतन्त्रता के पश्चात् 1947 में शिक्षा के सभी क्षेत्रो में स्त्रियां प्रवेश ले चुकी थी।

उपर्युक्त बाधक तत्वों के अतिरिक्त स्त्री शिक्षा की उन्नति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है।

1– छोटी छोटी संस्थाएं जैसे ''बुद्धिवर्धक सभा तथा गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी'' आदि की स्थापना स्त्री शिक्षा के विकास के लिए गुजरात में की गयी।

2– समाज सुधारको के प्रयासों के फलस्वरूप जनता मे स्त्रीशिक्षा की भावना का धीरे–धीरे विकास हुआ ।

3– विवाह की आयु बढ गयी अतः लडकियां प्राईमरी तक शिक्षा प्राप्त करने लगी।

4– समाज की अमानवीय परम्पराये दूर हो गयी तथा विधवा विवाह पर लगी रोक दूर हो गयी ।

5– गुजरात में सर्वप्रथम रायनीलकान्त द्वारा स्त्री शिक्षा जैसे विषय पर वैज्ञानिक शोध कार्य किया गया तथा श्रीमती शारदा मेहता द्वारा लडकियो के लिए पृथक पाठ्यक्रम तैयार किया गया।

6 – महात्मा गाँधी ने स्त्रियों को घर से बाहर निकालकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

7 – अंग्रेज शासन के अन्त तक स्त्रियां भी पुरूषो की मदद आर्थिक क्षेत्र में करने लगी थी।

यू0 वास – (1975)[1] ने बिहार प्रदेश मे शिक्षा पर 1904 से लेकर वर्तमान समय तक कार्य किया है। इसके उद्देश्य निम्न है।

1– बिहार प्रदेश में स्त्री शिक्षा के पिछडेपन के कारणो को जानना।

2– स्त्री शिक्षा के विस्तार को जानने के लिए आँकड़ो का विश्लेषण करना

3– प्राथमिक शिक्षा को प्रमाणित रूप देना तथा माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा आदि जैसी समस्याओ के समाधान के लिए सुझाव देना। यह एक पुस्तकीय अध्ययन है। इसमें प्राथमिक तथा गौण साघनो द्वारा आँकड़े एवं लक्ष्य एकत्र किये गये है। इससे प्राप्त निष्कर्ष निम्न है।

1 – बिहार राज्य में स्त्रीशिक्षा के विकास में अपर्याप्त धन प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी तथा मध्य और निम्नश्रेणी के माता पिता का अपनी लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता बाधक थी।

2 – 1937 से 1947 के मध्य शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से मातृभाषा में हो गया था। एवं इस बीच लडकियों की प्राथमिक तथा माध्यमिक संख्या में बढोत्तरी हुई।

धक्कर – (1976)[2] ने स्वतन्त्रता के पश्चात गुजरात में स्त्रीशिक्षा के विकास पर शोध कार्य किया उद्देश्य निम्न है।

1 – स्वतन्त्रता के पूर्व गुजरात में स्त्री शिक्षा की स्थिति को जानना ।

2 – स्वतन्त्रता के पश्चात 1947 से 1972 तक स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन करना।

3 – गुजरात में स्त्रीशिक्षा विकास तथा विस्तार में सहायक कारणेा को जानना साथ ही उस समय की प्रचलित राजनीतिक तथा आर्थिक दशाओ का अध्ययन करना।

4 – स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा के विकास के लिए सामाजिक तथा सरकारी प्रयासो का अध्ययन करना।

---

1 – यू0 वास ''फीमेल एजूकेशन इन बिहार प्रदेश 1904 ए0 डी0 टू प्रेजेंट डे0'', पी–एच0 डी0, पटना विश्वविद्यालय–1975

2 – पो0 एन0 धक्कर – 'डबलपमेन्ट ऑफ फीमेल एजूकेशन इन गुजरात ऑफटर इनडिपेन्डेंट्स्', पी–एच0 डी0, गुजरात विद्यापीठ – 1976

अध्ययन में एतिहासिक विधि अपनाई गयी है आँकड़ो का एकत्रीकरण शिक्षा के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें, विभिन्न आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट स्त्रियों की व्यक्तिगत एवं पारवारिक स्थिति, अवस्था तथा दशा से सम्बन्धित पुस्तकें, मैगजीन से आकड़े एंव सुचनाएं एकत्रित की गयी है। साथ ही प्रमुख शिक्षा–शास्त्रियों तथा समाज सुधारको का साक्षात्कार लिया गया। इसमें निम्न निष्कर्ष पाये गये।

1– गुजरात मे प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लडकियों की शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन अधिक था।

2– स्त्री शिक्षा के विकास में बाधक आर्थिक कारण के साथ साथ सामाजिक रीति रिवाज़ो मूल्यों तथा अवरोधन अधिक था।

3– 1961 में गुजरात का स्थान स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा था लेकिन 1971 में इसका स्थान पाँचवा हो गया।

4– 1951 की अपेक्षा 1971 में स्त्री शिक्षा की प्रगति संख्या की दृष्टि से दुगनी हुई जबकि लडको की शिक्षा की प्रगति डेढ गुनी हुई।

5– 1957 की अपेक्षा 1971 में गुजरात में स्त्री शिक्षा की साक्षरता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

देशाई सी0 डी0 (1976)[1] ने गुजरात राज्य में लड़कियों की शिक्षा की समस्याओ के कारणो का अध्ययन समान एतिहासिक दृष्टिकोण से किया है उद्देश्य निम्न है।

1– प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गुजरात राज्य में लडकियों की शिक्षा के विकास को जानना।

2– गुजरात राज्य में धार्मिक विश्वास, अन्ध विश्वास, रोति रिवाजो, मनोवृत्तियों, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नीतियों तथा अधिनियम, विवाह प्रथा, जातिप्रथा तथा अर्थ व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का जानना।

3– स्त्री शिक्षा के विकास पर इनके प्रभाव का अध्ययन करना इस शोध कार्य में ऐतिहासिक विधि द्वारा आँकड़ो का एकत्रीकरण निम्न साधनो से किया गया है।

1– सी 0 डी 0 देशाई – 'गर्ल्स एक्सेस द स्कूल एजूकेशन इन गुजरात स्टेट – ए स्टडी ऑफ फैक्टर्स एण्ड प्रोवलम्स इन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव', पी–एच0 डी0 बम्बई विश्वविद्यालय–1976.

1– एक प्रश्नावली लडकियों की शिक्षा से सम्बन्धित तैयार की गयी जिसमे पाँच बातो का ध्यान रखा गया है जैसे शिक्षा की सुविधाएं, नामांकन, नियमित उपस्थित अवरोध तथा अपव्यय।

2– **Pereception-Cum attitude survay scale** का प्रयोग स्त्री शिक्षा के प्रति माता–पिता की मनोवृत्ति जानने के लिए किया गया। लड़कियों के विवाह के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता लगाया गया। सर्वप्रथम इस स्केल को गुजरात के चार क्षेत्रो के 852 लोगो पर प्रयुक्त किया गया जिसमे जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा लडकियो के विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाएं ली गयी। द्वितीय इसे गुजरात के शहर तथा गाँवों के 567 अभिभावको पर प्रयुक्त किया गया। प्रतिशत निकाल कर आँकड़ो का विश्लेषण किया गया।

इस शोध कार्य के निष्कर्ष निम्न है।

(1) प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति पुरूषो के समान उत्तम थी।

(2) तीसरी शताब्दी बी 0 सी 0 के आसपास आर्यो ने गैर आर्यो की लडकियों से विवाह करके उनके लिए वेदों के अध्ययन पर रोक लगा दी।

(3) 13 वी शताब्दी में मुस्लिम शासन आने पर भारत में लडकियो की शिक्षा प्रायः समाप्त हो गयी।

(4) 1930 तक अंग्रेजशासन काल में गुजरात में लडकियों को आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ हुई।

(5) तत्पश्चात राज्य सरकार ने स्त्री शिक्षा का भार निजी प्रयासों पर डाल दिया निजी प्रयासो ने लडको की शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा कार्य किया लेकिन लडकियों के क्षेत्रो मे आशाजनक कार्य न कर सकी।

(6) 1956–57 में गुजराती समाज में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। 6 से 11 वर्ष की आयु की 36 लडकियाँ / 64 लडको में, 11 से 14 वर्ष की आयु की 2 लडकियां प्रति 10 लडकों में विद्यालय जाने लगी।

(7) लडकियो के विवाह की आयु 14 वर्ष से बढाकर 16 वर्ष हो गयी लडकियों की शिक्षा का विस्तार स्वतन्त्रता के पश्चात् ही हुआ।

टाटा जी0 यू0 (1980)[1] ने शहरी मलिन बस्तियों में प्रवासन ओर व्यवसायिक गत्यात्मकता का अध्ययन किया। शोधकर्ता नें पाया कि अधिकांश परिवार शहरो में रोजगार की तलास में ही शहर आये। अधिकांश असंगठित क्षेत्रो में ही कार्य करते थे।

मण्डल जी. एल. (1980)[2] बिहार में सार्वभौमिक निशुल्क ओर अनिबार्य प्राथमिक शिक्षा (1950–74)तक की समस्याए एवं उपायो का अध्ययन किया इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक) अर्थात 6–11वर्ष के बच्चों के विद्यालय 96 प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध थे। विद्यालय जाने वाली जनसंख्या का 3/4 भाग जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे है इनके लिए मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से 8) पैदल सैर की दूरी के अर्न्तगत उपलब्ध थे कक्षा 1 में नामांकित प्रति 100 बच्चों में केवल 25 बच्चे कक्षा 5 में पहुचे और केवल 15 बच्चे कक्षा–8 में पहुँचे।

झा., एस. एम. (1983)[3] ने बम्बई की मलिन एंव अनुसूचित जाति की बस्तिओं का अध्ययन किया– शोधकर्ता ने मुख्य रूप से मलिन बस्तियों के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का तथा शैक्षिक विकास कार्यो का अध्ययन किया। साथ ही शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया कि इन विकास कार्यक्रमों में यहां के निवासी कितना सहयोग प्रदान करते हैं तथा विकास की ओर इनका कितना रूझान है। इन्होने पाया कि शिक्षा तथा विकास की ओर यहां के निवासियों का दृष्टिकोण सकारात्मक है। और 96 प्रतिशत निवासियों ने यह माना कि शिक्षा लड़के एवं लडकियों दोनो के लिए आवश्यक है। 60 प्रतिशत मलिन वस्तियों निवासियों ने यह माना कि दहेज प्रथा नही होनी चाहिए इसके विपरीत पुरूषों और स्त्रियों में कामकाज के प्रति अत्याधिक परम्परागत दृष्टिकोण देखने में आया जिसमें कि 82 प्रतिशत यह मत पाया गया कि स्त्रियों को घर के काम काज तथा देखभाल करनी चाहिए पुरूषों को नही।

1- TATA JI. U. "Migration and Occupational Mobility in an Urban slum," (Ph.D. Thesis)- Unpublished Andhra University, Walfair (India) 1980.

2- MANDAL G.L. D.Litt. Edu., Bihar Univesity-1980.

3- JHA, S.M. (1983), "Relocation & Improvement of slums in Metropolis : A study in Bombay, Department of Sociology", University of Bombay.

राज्य शिक्षा संस्थान उ0 प्र0 (1986)[1] द्वारा एक सर्वेक्षण में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रो के ड्राप आऊट तथा अनुत्तीर्ण होने की समस्या का अध्ययन किया गया यह अध्ययन राज्य के चार क्षेत्रों मध्य जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन एवं पश्चिमी जोन तक सीमित था। अध्ययन के परिणामो से ज्ञात होता है। कि कक्षा 6 से 8 तक 15 प्रतिशत छात्र विद्यालय छोड़ देते है। और 4 प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते है। पिछडें वर्गों से आने वाले छात्रों में विद्यालय छोड देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक थी विद्यालय छोड़ देने के प्रमुख कारण थे – माता पिता की अशिक्षा ,गरीबी , रूचि का अभाव, घर से विद्यालय की अधिक दूरी , विद्यालय का अनाकर्षण वातावरण, अध्यापको की उदासीनता , अप्रसांगिक पाठ्यक्रम , विद्यालय में पानी और स्वच्छता जैसी भौतिक सुविधाओं का अभाव।

अवस्थी, बी0पी0 (1987)[2] ने अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और उनकी सामाजिक, आर्थिक गतिशीलता पर एक अध्ययन किया। इसमें इन्होने यह जानने का प्रयास किया कि क्या समाजिक,आर्थिक स्तर, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा को प्रभावित करता है। और इन्होने पाया कि सामाजिक, आर्थिक स्तर शिक्षा को प्रभावित करता है, साथ ही कुछ अन्य कारण जैसे–वातावरण, रहन–सहन, विद्यालय तथा उसका बातावरण आदि इनकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं तथा अनुसूचित जाति की सामाजिक एवं अनु. जनजाति की सामाजिक ,आर्थिक गतिशीलता में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

वेंकट रमन,एम (1988)[3] ने समाजिक रूप से वंचित तथा सामान्य छात्रों की अवकाशीय आवश्यकताओं तथा व्यवसायिक वरीयताओं का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित बालकों की व्यवसायिक आवश्यकताओं एवं वरीयताओं तथा उनकी मूल्य पद्धति का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने पाया कि सभी वर्गो के बालक

1- 'Survay report of Primary Education' State Institute of Education (S.I.E. Allahabad) U.P. 1986.

2- AWASTHI, B.P. (1987) 'A study of the interrelationship between education of the scheduled tribes and their socio-economic mobility. Independent Study', New Delhi; National Council of Educational Research and Training.

3- VENKATRAMAN, M. (1988) 'Vocational needs and occupational choices of the socially disadvantaged and social non-disadvantage peoplesupils. Ph.d. Pscyhology Sri Venkateshwara Univ.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities.
Volume - I 1992 Page : 576

और बालिकाओं की अव्यवसायिक आवश्यकताओं में विशेष भिन्नता नहीं हैं साथ ही व्यवसायिक आवश्यकता निर्धारण में बालक और बालिकाओं के दृष्टिकोण में भी अन्तर नही है।

सिंह,रोमिला (1988–89)[1] ने सड़क गर्द बच्चों में प्रतिभा और सृजनात्मकता का अध्ययन किया। इन्होने अपने शोध कार्य में पाया कि अधिकांशतः सड़क गर्द बच्चें समाज के सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित वर्गो के होते है। न्यादर्श के रूप में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के 8से 18 वर्ष तक के 44 बच्चों पर काम किया गया। निष्कर्षानुसार 14 बच्चे कक्षा 5 तक या इससे कम औपचारिक शिक्षा पा चुके थे एवं अनौपचारिक शिक्षा पा रहे थे। 15 बच्चे या इससे कम कक्षा1तक ही पढ़े थे लेकिन अनौपचारिक शिक्षा नही पा रहे थे। 15 बच्चे किसी भी प्रकार की प्रारम्भिक औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा से वंचित थे। विभिन्न आयु वर्गो के सड़क गर्द बच्चों के बीच बुद्धि और रचनाशीलता में सह सम्बन्ध को लेकर अन्तर पाया गया तथा प्रत्येक वर्ग के अन्दर भी रचनाशीलता ओर बुद्धि में सार्थक अन्तर पाया गया।

शाह, बीना (1989)[2] ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रो की शैक्षिक समस्याओं का अध यन किया। इन्होंने अपने शोधकार्य मे न्यादर्श के रूप में 221 अनुसूचित जनताति के तथा 116 सामान्य,कक्षा 6से 12 तक के चमौली जिले कि छात्रों को लिया। इसमें इन्होंने पाया कि सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को समायोजन सम्बन्धी समस्यायें अधिक होती है। मुख्य निष्कर्ष यह भी निकला कि जनजातीय विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति की राशि मिल रही थी, वह उनके अभिभावको द्वारा उनकी शिक्षा पर ही खर्च की जा रही थी।

1- SINGH, ROMILA (1988-89), Ph.D. Kanpur University.

2- SHAH, BEENA (1989) 'Educational Problems of Tribal Students. Independent Study. Rohilkhand University.

Fifth Survey of Educational Research.

Education of the Scheduled Casted, Scheduled Tribes and Minorities.

Volume I, 1992, page - 573.

भार्गव एस0एम0 (1990)[1] ने भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 40 वर्षो में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि के अध्ययन में देखा गया कि शैक्षिक सुविधाओं 1957 में 59.75 थीं जो कि 1986 में बढ़कर 80.35 प्रतिशत हो गयी। अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों व लडकियों के लिये शैक्षिक सुविधाएं 1978 में 38.5 प्रतिशत थी जो कि 1986 में 74.46 प्रतिशत हो गयी किन्तु फिर भी सार्वभौमिक प्राथमिकशिक्षा अभी तक दूर की कौढ़ी है।

मल्होत्रा, ओ0 पी0 (1990)[2] ने निकोबार द्वीप की जनजातियों के जीवन तथा उनके समायोजन पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अनुसन्धान के द्वारा शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया कि आधुनिक शिक्षा उनके सामाजिक, सांस्कृति, आर्थिक राजनैतिक तथा धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तथा शिक्षा ने उनके पारिवारिक ढ़ाचे को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निकोबार द्वीप के 15 गांवों के जनजातीय तथा सामान्य शिक्षकों का न्यादर्श के रूप में चुनाव किया। आंकडों का संकलन प्रश्नावली,साक्षात्कार, निरीक्षण तथा व्यक्ति अध्ययन के माध्यम से किया गया, और उन्होने पाया कि शिक्षा ने उनके जनजातीय समूहों के परम्परागत व्यवसायों में परिवर्तन किया है। उनकी भाषा में सुधार हुआ है तथा आर्थिक और राजनैतिक योजना का विकास हुआ। इस प्रकार शोधकर्ता ने प्रत्येक क्षेत्र में निकोबार द्वीप जनजातीय समूहों पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव देखा।

कक्कर, एस. बी. (1990)[3] ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों के व्यक्तित्व की विशेषताओं और शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति

1- BHARGAVE - S.M. 1990, Ph.D. Education, Maharaja Sivajirao University of Baroda.

2- MALHOTRA, O.P. (1990) Impact of Education on the Nicobarese tribal life and adjustment, D.Litt., Education, Utkal University.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes Tribes and Minorities.
Volume I, 1992

3- KAKKAR, S.B. (1990) 'The personality characterstics and educational problems of scheduled castes students. a Pilot Study. Independent Study', Punjab University.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes scheduled Tribes and Minorities.
Volume I, 1992 page 579.

के विद्यार्थियों में वो सभी व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण है, जोकि जीवन मे सफलता के लियें आवश्यक होते है। शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को कम करने के लिये शिक्षकों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहियें जिससें की शिक्षक इन विद्यार्थियों की विशेष समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सके।

मिश्रा, सुबोध चन्द्र (1991)[1] ने अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक स्तर के मध्य सह सम्बन्ध का अध्ययन किया। इस शोध कार्य में शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया कि अनुसूचित जाति के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते है। शोधकर्ता ने पाया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का आकांक्षस्तर सीमित है तथा निर्धनता निम्न आकांक्षा स्तर और व्यवसाय अनुरक्षा के कारण यह विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रति प्रोत्साहित नही होते है।

मोयम्मा,वी.जी. (1991)[2] ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्राथमिक स्तर पर अपव्यय के कारणों का अध्ययन किया। शोघकर्ता ने 260 ड्राप आउट और 200 रिपीटर कक्षा में फेल हो जाने के बाद पुनः प्रवेश वाले विद्यार्थियों का अध्ययन किया। आँकड़ों का एकत्रीकरण प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के आधार पर किया गया। शोधकर्ता ने पाया कि अन्य समुदायों के विद्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन कम था तथा ड्राप आउट और रिपीटर प्रतिशत काफी उच्च था।

1- MISHRA, Subodha Chadnra (1991) 'A study of relationship between education and social status of scheduled castes students of Cuttack District', Orissa. M.Phil, Edu. Indian Institute of Edu. Pune.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Minorities.
Volume I, 1992 Page - 575

2- MONEYAMMA, V.G. (1991) 'A study of the causes and carrelates of wastage among scheduled castes pupils at the primary stage'. Ph.d. Education Univ. of Kerala.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities.
Volume I, 1992, Page - 580.

कामब्ली, पी. आर. (1992)[1] ने अनुसूचित जाति के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। यह अध्ययन महाराष्ट्र के देवगढ़ तालुका के विशेष सन्दर्भ में किया गया है। शोधकर्ता ने देवगढ़ तालुका के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों पर यह अध्ययन किया। शोघकर्ता ने पाया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लाभन्वित होकर पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बढ़ा है, साथ ही साथ ड्राप आउट रेट घटा है।

तन्वी, दौलताम (1992)[2] ने निर्बल वर्ग में सरकार के द्वारा चलाये जा रहे, कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा निर्बल वर्ग के सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति में बदलाव का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने राजस्थान के जोधपुर जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 271 विद्यार्थियों का तथा जालौन जिले के 224 विद्यार्थियों का न्यादर्श के रूप में चुनाव किया। शोधकर्ता ने पाया कि इन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा निर्बल वर्ग के 33 प्रतिशत विद्यार्थियों का सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक,एवं राजनैतिक दशाओं में परिवर्तन हुआ है। शोधकर्ता ने माना कि चूकि सामाजिक परिवर्तन एक धीमी गति से चलने वाली प्रकि्रया है, इसलिये इस क्षेत्र में 33 प्रतिशत उपलब्धि भी काफी उत्साहवर्धक है।

दास, एस (1992)[3] ने सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के स्तर प्रथम और स्तर द्वितीय की उपलब्धि पर घर के वातावरण, जाति तथा आयु के प्रभावों का अध्ययन किया।

1- KAMBLE, P.R. (1992) 'A critical study of the effect of facilities given by the government to the backward classes pupils in primary schools, in Devgad Taluka, Maharastra'. M.Phil, Education Adarsha Comprehensive College of Education and Research, Pune.
Volume I, 1992 page 584

2- THANVI, Daulat Raj (1992) Change in Weaker Section : 'A study of the Changing Social, Economic, Cultural and Political situation of seaker sections in Indian society due to the welfare programmes by the grovenment'. Independent study', New Delhi Indian Council of Social Science Research.

3- Das, S. (1992) 'Level I Level II abilities of socially disadvantaged children. Effects of home environment, caste and age.' Ph.D. Utkal Univ.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities.
Volume I, 1992 Page - 579.

शोधकर्ता ने सामाजिक रूप से वचिंत तथा सामान्य बालकों की योग्यता के सम्बन्ध में अध्ययन करते हुये दो प्रकार की योग्यता स्तर प्रथम और स्तर द्वितीय का जैनसन मॉडल के आधार पर निमार्ण किया और पाया कि स्तर प्रथम तथा स्तर द्वितीय दोनों पर ही सामान्य बच्चों की उपलब्धि वंचित बालकों से बेहतर थी।

सक्सेना, स्वाति (1993)[1] ने बाल श्रमिकों के शैक्षिक विकास का अध्ययन किया। शोध ाकर्ता ने अपने अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि बाल श्रमिकों को बाल श्रमिक बनाने के लियें कौन–कौन से उत्तरदायी कारण है। तथा बाल श्रमिकों की स्थिति, शैक्षिक रूचि,शैक्षिक स्थिति और दृष्टिकोण का पता लगाना है। इस अध ययन में काममजी बच्चों के शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में सामाजिक स्थिति आर्थिक, आकांक्षा स्थिति व विभिन्न स्तरों पर प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर पाया गया कि कामकाजी बच्चों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति निम्न है, लेकिन शैक्षिक पृष्ठभूमि के सुधार के प्रयास जारी है। फिर भी न्यादर्श में लिये गये भारत के 9 प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राष्ट्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि आभावग्रस्त है, इसलिये सम्पूर्ण भारत के कामकाजी बच्चों की शैक्षिक स्थिति के उन्नयन व सुधार के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।

एमबेस्ट एन0 के0 तथा रथ के0 वी0 (1995)[2] ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन,रिटेंश्न तथा उपलब्धि पर परिवार,समाज तथा विद्यालय से सम्बन्धित घटकों के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होन पाया कि ये तीनों घटक विद्यार्थी के नामांकन, रिटेंशन तथा उपलब्धि को प्रभावित करते है।

1- सक्सेना, ख्याति (1993) पी–एच० डी० कानपुर, विश्वविद्यालय, कानपुर।

2- Ambast, N.K. and Rath, K.B. (1995) 'Effect of household community and school factors on the enrolement, retention and achievement of scheduled tribes children at primary level. School effectiveness and learning achievement at primary stage. International prospective, New Delhi National COuncil of Educational Research and Training.'

Fifth Survey of Educational Research.

Education of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities.

Volume I, 1992.

रेड्डी वी. ईश्वर (1995)[1] ने अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा पर निर्धनता के प्रभाव का अध्ययन किया,साथ ही प्राथमिक स्तर पर विद्यालय प्रभवशीलता, अधिगम तथा उपलब्धि का भी अध्ययन किया। शोधकर्ता ने ''खासी'' जनजाति के 432 बच्चों पर अध्ययन किया,इसमें से 216 बच्चों की मातायें बाहर कार्य करती थी और बाकी बच्चों की मातायें बाहर कार्य नही करती थी। शोधकर्ता ने इन दोनों समूहों के बच्चों के व्यक्तित्व के ढ़ाचे में कोई सार्थक अन्तर प्राप्त नही किया,विशेष बात यह देखी गई कि कार्यरत माताओं के बच्चों में समूहों के प्रति उत्तरदायत्वि और आत्म निर्भरता की प्रवृत्ति अधिक देखी गई।

श्रीवास्तव, गीता – (1999)[2] मालिन वस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति एवं अवरोधों का अध्ययन किया। अध्ययन में प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि द्वारा प्रदत्तो का संकलन किया गया एवं पाया कि सरकारी प्रयासों के वावजूद प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नही है। भवन, फर्नीचर, शिक्षक, शिक्षिका आदि सभी दृष्टि से स्थिति शोचनीय है इसका मुख्य कारण सरकारी योजनाओं को सही ढ़ग से क्रियान्वयन न होना। मलिन वस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुचारू रूप से प्रदान नहीं की जा पा रही है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे सबसे बड़ा अवरोध निर्धनता पाया गया। बच्चों में प्रेरणा का भी अभाव है। तथा छोटी से उम्र से ही धनार्जन के कार्यो में माता/पिता द्वारा कार्य में लगा देना भी शिक्षा अवरोध का मुख्य कारण है।

1- REDDY., V. Eswara (1995) 'Primary Education in the web of povery. in school effectiveness and learning achievement of promary stage' : International perspective. New Delhi. National COuncil of Education Research and Training.
Fifth Survey of Educational Research.
Education of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities.
Volume I, 1992 Page - 571.

2– श्रीवास्तव, गीता, ''मालिन बस्तियों में प्रा. शिक्षा की स्थिति एवं अवरोधों का अध्ययन'', पी–एच. डी., श्री छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर–1999.

तृतीय अध्याय

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता का कार्य वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष समस्या, विशेष वर्ग ''अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर वालिका शिक्षा की स्थिति एक अध्ययन'' से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित करना है ऐसे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न चरों के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन की अपेक्षा अधिकांशतः वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण अनुसंधान के आधार पर आकड़ों का संकलन करना है। शैक्षिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण अनुसंधान–शोध का एक अभिन्न अंग रहा है अनुसंधान में जब अत्याधिक व्यापक, विस्तृत तथा विषम अध्ययनों की आवश्यकता होती है तब सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र कम समय में आँकड़ों को संकलित करने के लिये सम्बन्धित जनसख्या में कुछ न्यादर्श का चुनाव करते है जो सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते है। एवं अध्ययन में मानकर चलते है कि न्यादर्श से प्राप्त परिणाम सम्पूर्ण जनसंख्या के विचारों को प्रतिबिम्बित करते है।

न्यादर्श

शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ता के लिये न्यादर्श का विशेष महत्व है न्यादर्श के बिना शोधकर्ता को शोधकार्य शीघ्रता एवं सरलता से पूरा करना बहुत कठिन है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र यदि एक विशाल समूह हो तो धन एवं समय आदि अधिक मात्रा में व्यय होता है। तथा प्रत्येक इकाई का अध्ययन भी शुद्ध नही हो सकता। इसके विपरीत यदि समस्त इकाईयों का अध्ययन न करके उतनी ही इकाईयों का अध्ययन किया जाये जो प्रतिनिधित्व करने वाली इकाईयाँ हो व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न्यादर्श के द्वारा अध्ययन करना शुद्ध एवं सरल, अल्पव्ययी तथा सुगम होता हैं। सम्पूर्ण जनसंख्या में कुछ चुनी हुई इकाइयों को लेते हैं जो सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं न्यादर्श के प्रयोग से अध्ययन कार्य व्यवाहारिक एवं समय, श्रम साधन व धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी हो जाता हैं। न्यादर्श के प्रयोग से परिणाम अधिक शुद्ध एवं सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।

प्रस्तुत शोधकर्ता में समय के ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने अभिभावकों एवं वालिकाओं का चुनाव असम्भावतः न्यादर्शन के उद्देश्य न्यादर्शन विधि से किया है।

न्यादर्शन विधि

शिक्षा से सम्बन्धित सभी अनुसंधानों में मानव की सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करते हैं यदि हमारे शोधकार्य का अध्ययन करने वाला समूह छोटा हैं तो जनसंख्या की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके आसानी से परिणाम को पता लगा सकते हैं लेकिन समस्या का क्षेत्र विस्तृत होने के दशा में प्रत्येक इकाई का अध्ययन अत्यन्त ही कठिन हो जाता है एसे में शोधकर्ता को एक लम्बे समय तक अध्ययन करके परिणामों को इन्तजार करना पड़ता हैं इसलिये अध्ययनकर्ता ने आसानी से शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिये समस्त अभिभावकों में से कुछ अभिभावकों एवं प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 में अध्ययनरत) समस्त बालिकाओं में कुछ बालिकाओं का अध्ययन किया है जो समस्त अभिभावकों एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करते है। अर्थात शोधकर्ता ने उद्देशीय न्यादर्शन विधि को चुना है इस न्यादर्शन विधि में शोधकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी इन्छानुसार जनसंख्या में से एक वर्ग चुन लेता है उसी वर्ग से प्राप्त होने वाल सूचनाओं के आधार पर सामन्यीकरण कर लिया जाता है। और निष्कर्ष प्राप्त कर लेते है। अध्ययनकर्ता की समस्या एक विशेष वर्ग अनुसूचित जाति के लोगों पर है। सर्वेक्षणकर्ता यह मानता है कि अमुखगांव के व्यक्ति अभिभावक एंव बालिकायें ही जनसंख्या के प्रतिनिधि है तो वह उन्ही अभिभावकों पर एवं बालिकाओं पर अध्ययन करेगा उनसे ही प्राप्त परिणामों के आधार पर सामान्यीकरण करके समस्त अनुसूचित जाति के अभिभावकों एंव बालिकाओं का "अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थितिः एक अध्ययन" में अभिभावकों एवं बालिकाओं का बालिकाओं का बालिका शिक्षा कें प्रति दृष्टिकोण एंव अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति समस्याये तथा बालिका शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन के सम्बन्ध में प्राप्त निष्कर्षो को समाज में विकसित करता है।

प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन ने उद्देश्यीय न्यादर्शन विधि का चुनाव अभिभावकों एवं बालिकाओं को चुनने के लिए किया है ग्रामीण एंव नगरीय क्षेत्रों से 100 अभिभावकों एवं 500 बालिकाओं का चुनाव अध्ययनकर्ता नेइसी विधि से किया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध क़ार्य में शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावलियों को उपकरणों के रूप में प्रयोग किया गया है प्रश्नावली से समस्या के अनुरूप सूचनाएं आसानी से कम समय में प्राप्त हो जाती है प्रश्नावली साक्षात्कार प्रविधि का लिखित रूप होता है प्रश्नावली का निर्माण साक्षात्कार विधि के ही समान है इसे व्यक्तिगत रूप से भरने के लिए दिया जाता है शिक्षा अनुसंधान में प्रश्नावली मापनी का प्रयोग आकड़ों के संकलन मे सबसे अधिक किया जाता है शोधकर्ता के उद्देश्यो के अनुसार प्रश्नों की कई श्रंखलाएं तैयार की है शोधकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति एक अध्ययन में अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एवं समस्याओं एवं बालिकाओं का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिये क्रमशः 30 प्रश्नों, 10 प्रश्नों एवं 30 प्रश्नों की प्रश्नावली शोधकर्ता ने स्वयं अपने द्वारा निर्देशिका के निर्देशक में तैयार की गई है। जिसमें वालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक एंव नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रश्नों को और समस्यायुक्त प्रश्नों को लिया गया हैं

शोधकर्ता ने प्रश्नावली का निर्माण बालिका शिक्षा सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात् प्रश्नावलियों का निर्माण किया प्रश्नावली के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों से प्रश्नो का चुनाव किया गया। जिसमें सामान्य शिक्षा, गृह सम्बन्धी शिक्षा, समाज शिक्षा, व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा एवं विद्यालय सम्बन्धी शिक्षा, तथा पारवारिक सदस्यता से सम्बन्धी, मेदभाव सम्बन्धी, पठनपाठन में समस्याओं से सम्बन्धित एवं बालिका शिक्षा सम्बन्धी समस्याओ से सम्बन्धित प्रश्नो को प्रश्नावली में उचित स्थान दिया गया है।

अभिभावको के दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने तीन उत्तर दिये गये है। सहमत, अनिश्चित एवं असहमत। आपको किसी एक उत्तर में दिये हुए प्रश्नके सम्मुख सही (√) का निशान लगाना है अर्थात तीन विकल्पो में से किसी एक का चुनाव करना है। बालिकाओ के दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार उत्तर दिये है। इनमे से जो आप सही समझे उन पर निशान (√) का लगाये इन बहुविकल्पो प्रश्नो में एक से अधिक उत्तर पर भी अपना मत व्यक्त कर सकती है। तथा समस्याओं सम्बन्धी अभिभवको द्वारा अवलोकन प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने दो उत्तर' (हॉ / नहीं)

में है। जो आप सही समझे इसमे सही का निशान लगाये। सभी प्रश्नावलियों के प्रारम्भ में आवश्यक निर्देश दिये गये है। प्रश्नावली की जॉच के उपरांत प्रश्नो को प्रश्नावली में स्थान दिया गया एवं अच्छे कागज पर समुचित रूप से प्रश्नावली को छपवाया गया।

प्रश्नावली की जाँच

प्रश्नावली की रचना शोधकार्य का महत्वपूर्ण सोपान है। सभी प्रश्नावलियों में प्रश्नो को तैयार करने के पश्चात् जॉच के लिए प्रत्येक प्रश्नावली की दस दस प्रतिलिपियों को हाथ से लिखकर दस अभिभावको और दस दस कक्षा – 5 में अध्ययनरत छात्राओं को दी तथा आलोचना प्रस्तुत करने को कहा गया । द्विअर्थी एवं अस्पृष्ट प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया एवं सम्बन्धित सुधार टिप्पणियों के आधार पर करने के उपरान्त प्रश्नावलियों में क्रमशः 30, 30 और 10 प्रश्न रखे गये।

प्रशासन

प्रश्नावली भरवाने के लिए शोधकर्ता ने अभिभावको एवं बालिकाओं का चुनाव उद्देश्य न्यादर्शन विधि से किया। प्रश्नावली भरवाने के लिए शोधकर्ता कानपुर जिले के प्रत्येक ब्लाक के कुछ गांवो में एवं प्राथमिक विद्यालयों में गया एवं जानकारी की कि इन गांवों में एवं प्राथमिक विधालयों में अनुसूचित जाति के अभिभवकों एवं बालिकाए है या नहीं यह जानकारी हो जाने पर अभिभावको के चुनाव के बाद उनके आवास पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके विनम्रता पूर्वक उन्हे समझाया कि इस प्रश्नावली को स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपने सही विचारो को व्यक्त करेगे तो सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा पर जो बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उसका सबसे पहले आपके क्षेत्र को लाभ मिलेगा उनसे कहा कि आपके विचार गोपनीय होगे। केवल अनुसंधान कार्य के लिए प्रयुक्त किये जायेंगे इस प्रकार उनसे अलग–अलग विचार विमर्श करके प्रश्नावली की पूर्ति को कहा गया। अभिभावको की सुविधानुसार प्रश्नावली की पूर्ति करके वापिस करने का समय ले लिया जो इतने पढे लिखे नही थे कि सभी प्रश्नों का अर्थ समझ जाये उनसे भरवाने के लिए गांव से एक शिक्षित व्यक्ति को लेकर इसके द्वारा प्रश्नो को पढ़वाया गया और उनके विचार के अनुसार उनसे एक एक प्रश्न को भरवाया गया इस प्रकार

कानपुर (देहात) जिले के प्रत्येक ब्लाक में से कुल 100 अभिभावकों से प्रश्नावली को भरवाया गया ।

इसी प्रकार शोधकर्ता ने (कक्षा 5) में अध्ययनरत बालिकाओं से प्रश्नावली भरवाने के जिए विभिन्न विद्यालयों में गया और कुछ बालिकाओं को बुलाकर उन्हे प्रश्नावली दी और किसी अध्यापक के द्वारा उनसे प्रश्न का उत्तर पूँछकर प्रश्नावली की पूर्ति करवायी उनके विचारो को सुरक्षित शोधकर्ता ने शोधकार्य के लिए रखा। इस प्रकार 500 छात्राओं से प्रश्नावली को भरवाया गया। प्रश्नावली भरवाते समय अग्रलिखित बातो का ध्यान रखा गया ।

1, प्रश्नावली भरवाते समय अभिभावको को विषय वस्तु समझाने के लिए पूरा समय दिया गया।

2, अभिभावकों को इसकी महत्ता के बारे में बतलाया ।

3, बालिकाओं के विचार जानने के लिए शोधकर्ता ने प्रश्नावली के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी, फिर उनसे उत्तर प्राप्त किये।

आकडों का व्यवस्थापन व वर्गीकरण

शोधकर्ता से अपने शोधग्रन्थ में अभिभावको द्वारा पूर्ति की गयी प्रश्नावलियों को एक से 100 तक सूचीवद्ध किया प्रत्येक प्रश्न पर 100 अभिभावको के एक साथ विचार जानने के लिए टेली चिन्हों का प्रयोग करके सभी विकल्पों सहमत, अनिश्चित एवं असहमत पर विचारों को ज्ञात किया इस प्रकार दृष्टिकोण सम्बन्धी 30 प्रश्नो पर सभी अभिभावको के विचार मिल जाते है। इसके बाद प्रश्नावली के सकारात्मक और नकारात्मक प्रश्नों की अलग–2 सारणी रूप प्रदान किया गया इसके बाद दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रश्नावली को पाँच भागो में बाटा गया।

(1) सामान्य शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोण।

(2) गृह शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोण।

(3) समाज शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोण।

(4) व्यवसाय शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोण।

(5) विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोण।

उपर्युक्त सभी क्षेत्रो से सम्बन्धित दृष्टिकोण रखने वाले प्रश्नो की एक सारणी तैयार की गयी है।

शोधकर्ता ने बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावको द्वारा समस्या अवलोकन सम्बन्धी प्रश्नावलियों को एक से 100 तक सूचीबद्ध किया प्रत्येक प्रश्न पर 100 अभिभावको के विचार एक साथ जानने के लिए टेली चिन्हो का प्रयोग करके विकल्पों (हाँ/नही) पर विचारों को ज्ञात किया। समस्या अवलोकन सम्बन्धी सभी 10 प्रश्नों पर 100 अभिभावको के विचार मिल जाते है इसके बाद प्रश्नावली में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्नों की अलग–अलग सारणी रूप प्रदान किया।

शोधकर्ता ने बालिकाओ द्वारा पूर्ति की गयी प्रश्नावलियों को एक से पाँच सौ तक सूचीवद्ध किया प्रश्नावली में अधिकाशतः एक प्रश्न के चार उत्तर है जो उत्तर सही समझा उन सभी में सही का निशान लगवाया इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न से कई उत्तर प्राप्त हुए बालिकाओं के एक साथ विचार जानने के लिए टेलीचिन्हो का प्रयोग करके सभी विकल्पों पर विचारो को ज्ञात किया इस प्रकार दृष्टिकोण सम्बन्धी 30 प्रश्नो पर सकारात्मक विचार मिले जिन प्रश्नो में प्रश्न के किसी भी भाग का उत्तर किसी बालिका ने नही दिये उस प्रश्न के उस उत्तर का सारणी में प्रयोग नहीं किया और बालिका दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रश्नावली को सात भागो में बाँटा गया।

(1) प्राथमिक स्तर पर विद्यालय।
(2) प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति एवं अनुसाशन।
(3) प्राथमिक स्तर पर परीक्षा, अध्ययन एवं व्यवसाय।
(4) प्राथमिक स्तर पर अध्ययन।
(5) प्राथमिक स्तर पर स्वाध्याय।
(6) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बाधक तत्व।
(7) प्राथमिक स्तर पर जातिगत एवं लिगंभेद।

शोधकर्ता ने अनुसूचित जाति की बालिकाओं में अपव्यय अवरोधन सम्बन्धी आँकड़ो को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कानपुर (देहात) से एकत्रित किये।

चतुर्थ अध्याय

आँकड़ो का विश्लेषण

शोधकर्ता ने आँकड़ो के व्यवस्थापन एवं वर्गीकरण के उपरान्त सभी प्रश्नों पर अभिभावको का दृष्टिकोण जानने के लिए प्रत्येक प्रश्न का सहमत एवं असहमत प्रतिशत ज्ञात किया सभी अभिभावको के प्रत्येक प्रश्न में विचार जानने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में लिए गये प्रश्नों का योग करके निम्नलिखित क्षेत्रो का प्रतिशत ज्ञात किया।

(1) सामान्य शिक्षा के प्रति टृष्टिकोण।
(2) गृह सम्बन्धी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।
(3) समाज शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।
(4) व्यवसाय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।
(5) विद्यालय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

समूह में बाँटने के वाद समूह में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्नों के अलग–अलग अंकों का योगफल निकाला। प्रतिशत निकालने के लिए सकारात्मक प्रश्न के सहमत पर एक अंक और असहमत पर शून्य, एंव नकारात्मक प्रश्न के असहमत पर एक और सहमत पर शून्य, और सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्नों में अनिश्चतता व्यक्त करने पर उस प्रश्न को कोई महत्व नही दिया गया अर्थात उन प्रश्नों को कुल प्रश्नों में से घटा कर ही विभिन्न क्षेत्रों में आये अलग–अलग प्रश्नों एवं अलग–अलग क्षेत्रो का प्रतिशत ज्ञात करते है। सकारात्मक प्रश्नों में समूह को सहमत योगफल और नकारात्मक प्रश्नों में समूह का असहमत योगफल जोड़कर कुल योगफल ज्ञात किया। इस योगफल से उत्तर दिये गये प्रश्नों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिशत ज्ञात किया जो सम्बंधित समूह का सहमत प्रतिशत होगा अर्थात अभिभावकों का वालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिशत होगा।

शोधकर्ता ने बालिका शिक्षा के प्रति समस्या अवलोकन हेतु अभिभावकों का दृष्टिकोण जानने के लिए दी गई प्रश्नावली के नकारात्मक एंव सकारात्मक प्रश्नों के अलग–अलग अंकों का योगफल निकालकर प्रतिशत निकालने के लिए सकारात्मक प्रश्न के 'हाँ' पर एक अकं और 'नही' पर शून्य और नकारात्मक प्रश्न के 'हाँ' पर शून्य और 'नही' पर

एक अंक और यदि दोनों प्रकार के किसी प्रश्न पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर उस प्रश्न का कोई महत्व नही दिया गया अर्थात उन प्रश्नों को कुल प्रश्नों में से घटाकर ही सकारात्मक प्रश्नों के समूह के 'हाँ' के अंकों का योगफल और नकारात्मक प्रश्नों के समूह के 'नही' के अंकों का योगफल जोड़कर कुल योगफल ज्ञात किया।

शोधकर्ता ने वालिका शिक्षा के प्रति बालिकाओं के दृष्टिकोण सम्वन्धी आकड़ों के व्यवस्थापन एंव वर्गीकरण के उपरान्त सभी प्रश्नों पर वालिकाओं का दृष्टिकोण जान लेने के बाद एंव प्रत्येक प्रश्न में विचार जान लेने के बाद सम्मिलित रूप से विचार जानने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में लिए प्रश्नों का योग करके निम्नलिखित भागों का प्रतिशत ज्ञात किया।

(1) प्राथमिक स्तर पर विद्यालय।

(2) प्राथमिक स्तर पर उपस्थित एंव अनुशासन।

(3) प्राथमिक स्तर पर परीक्षा, अध्ययन एवं व्यवसाय।

(4) प्राथमिक स्तर पर अध्ययन।

(5) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बाधक तत्व।

(6) प्राथमिक स्तर पर जातिवाद एंव लिगंभेद।

समूहों में बाँटने के बाद प्रत्येक प्रश्न एंव उसके सभी उत्तरों को लिखकर जिन उत्तरो पर वालिकाओं ने सही के निशान लगवाए उनमें से पहले भाग के सभी प्रश्नों के सभी उत्तर लिखकर एक सारणी वनाई एवं सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर एक अंक और नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर शून्य अंक दिये जिस प्रश्न के किसी भी उत्तर पद किसी भी वालिका के विचार प्राप्त नही हुए उस भाग के अर्न्तगत कुछ नही लिखा गया। वालिकाओं के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के अनुसार सभी अंकों का योगफल ज्ञात किया एंव उनकी कुल संख्या से अकों का प्रतिशत ज्ञात किया इसी प्रकार सभी भागों के सभी प्रश्नों के अधिकाशतः उत्तरों का अलग–अलग प्रतिशत निकाला और सभी भागों की अलग–अलग प्रतिशत सारणियाँ तैयार की।

सारणी 4.1

कक्षा–1 में प्रवेश लेने वाले (अनुसूचित जाति) के विद्यार्थियों का सत्रवार कक्षा 5 तक का नामांकन सम्वन्धी विवरण

कक्षा	वर्ष	लड़के	लड़किया	कुल विद्यार्थी
1	1994–95	6,253	5035	11,288
2	1995–96	6,235	5030	11,265
3	1996–97	6,272	4940	11,202
4	1997–98	5,655	4355	10010
5	1998–99	4,887	3,583	8470

Source-B.S.A. K.D.1998 Page 17

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि कक्षा– एक में 1994–95 में अनुसूचित जाति की वालिकाओं की नामांकन संख्या– 5035 थी। सत्र 1995–96 में कक्षा–दो में नामाकित हुई वालिकाओं की संख्या 5030 थी अर्थात 5 वालिकाओं ने पढ़ाई वन्द कर दी। सत्र 1996–97 में कक्षा–3(तीन) में बालिकाओं की नामांकन संख्या 4940 थी अर्थात 90 वालिकाओं ने पढ़ना बन्द कर दिया। एंव कक्षा–4 में सत्र 1997–98 मे बालिकाओं की नामांकन संख्या – 4355 थी अर्थात कक्षा–3 के बाद 585 बालिकाओं ने पढ़ाई बन्द कर दी और सत्र 1998–99 में कक्षा –5 (पाँच) में पहुँची बालिकाओं की संख्या मात्र–3583 थी अर्थात इस सत्र में 772 बालिकाओं ने पढ़ाई बन्द कर दी इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक सत्र वार शिक्षा अवरोधन की संख्या में वृद्धि हुई हैं। और कक्षा 1 से 5 तक बालिकाओं की नामांकन संख्या में 1452 की कमी आई। अतः कक्षा 1 से 5 तक बालिकाओं की नामांकन संख्या में कमी 29 प्रतिशत ज्ञात हुई।

सारणी नं. 4.1

अनुसूचित जाति के अभिभावकों का वालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

बालिका शिक्षा के क्षेत्र	अभिभावकों का दृष्टिकोण (प्रतिशत में)
1. सामान्य शिक्षा	93.5
2. गृह सम्बन्धी शिक्षा	97
3. समाज शिक्षा	78
4. व्यवसाय शिक्षा	54
5. विद्यालयी शिक्षा	90

कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले (अनुसूचित जाति) के विद्यार्थियों का सत्रवार कक्षा पांच तक का नामांकन सम्बन्धी विवरण

ग्राफ –बी

उपर्युक्त आकड़ों के अनुसार वालिकाओं को सामान्य शिक्षा दिलाये जाने के प्रति दृष्टिकोण 93.5 प्रतिशत अभिभावकों का है। अर्थात अधिकांश अभिभावक बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक अवश्य पढ़ाना चाहाते है। एंव 97 प्रतिशत अभिभावक बालिकाओं को गृह सम्बन्धी शिक्षा, जिससे वह गृह सम्बन्धी कार्य,सुचारू रूप से कर सके, दिलाने के पक्ष में है। गृह समाज शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण उपयुक्त सामान्य एंव गृह सम्बन्धी शिक्षा से कुछ कम केवल 78 प्रतिशत ही है। जबकि सबसे कम व्यवसाय शिक्षा (नौकरी) के प्रति मात्र 54 प्रतिशत ही अभिभावक सहमत है। क्योकि वह केवल गृह कार्य को प्राथमिकता देते है। और विद्यालयी शिक्षा के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण 90 प्रतिशत है।

सारणी संख्या 4.3

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावको द्वारा अवलोकन

क्रसं	समस्याएं	अभिभावको के विचार
1.	धन का अभाव	92%
2.	घर से विद्यालय दूर होना	45%
3.	महिला शिक्षकाओं का अभाव	60%
4.	शिक्षित लड़कियों के लिये वर की सम्स्या	80%
5.	लड़कियों की सामाजिक उपेक्षा	58%
6.	छात्रवृत्ति का अभाव	25%
7.	घरेलू कार्यों में माता पिता का सहयोग देना	90%
8.	विद्यालयों में समुचित पढ़ाई न होना	84%
9.	विद्यालय में जाति सम्बन्धी भेदभाव	71%
10.	विद्यालय में समुचित सुविधाओं का अभाव	68%

उपरोक्त आकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर वालिका शिक्षा की समस्याओं 92 प्रतिशत धन अभाव की समस्या एवं मात्र 45 प्रतिशत घर से विद्यालय दूर होने की समस्या है।

अभिभावकों के दृष्टिकोण से 60 प्रतिशत महिला शिक्षकाओं का अभाव है एंव 80 प्रतिशत वालिकाओं को शिक्षित होने के बाद वर की समस्या आती है 58 प्रतिशत अभिभावक लड़कियों की सामाजिक उपेक्षा के पक्ष में है। छात्रवृत्ति के अभाव के पक्ष में अभिभावक मात्र 25 प्रतिशत ही है। अधिकाशं वालिकाओं का विद्यालय न आने का कारण घरेलू कार्यो में माता पिता का सहयोग करने के पक्ष में 90 प्रतिशत अभिभावक है 84 प्रतिशत अभिभावकों का

माननना है कि विद्यालय में समुचित पढ़ाई नही होती। विद्यालय में जाति समबन्धी भेदभाव होने के पक्ष में 71 प्रतिशत अभिभावक है। और 68 प्रतिशत अभिभावक वालिकाओं के लिए विद्यालय में समुचित सुविधाओं का अभाव मानते है।

सारणी-4.4

प्राथमिक स्तर पर विद्यालय

प्र.क्र.सं.	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	बालिकाओं का दृष्टिकोण
1.	भवन	कच्चा	20%
		पक्का	76%
		टीन सेड़	04%
2.	भवन की इकाई	प्रतिदिन	62%
		सप्ताहिक	32%
		मासिक	06%
3.	उपकरण	श्यामपट	96%
		मेज कुर्सी	100%
		टाट पट्टी	10%
4.	सुविधाएं	पानी	90%
		प्रशाधन	20%
		खेल का मैदान	52%
5.	बैठने की व्यवस्था	सभी साथ–साथ	10%
		अलग–अलग मैदान में	52%
16.	मध्यध्यान भोजन	फल	00%
		विस्कुट	00%
		अनाज	20%
		कुछ भी नही	80%
29.	छात्र वृत्ति	हाँ	82%
		नही	18%

उपरोक्त आँकड़ो के आधार पर प्राथमिक स्तर पर भवन 20 प्रतिशत कच्चे, 76 प्रतिशत पक्के एंव टीन सेड 4 प्रतिशत है 62 प्रतिशत विद्यालयों में भवन की सफाई प्रतिदिन होती है। जबकि सप्ताहिक एंव मासिक सफाई का प्रतिशत क्रमशः 32 एंव 6 हैं। विधालय में उपलब्ध उपकरणो में 96 प्रतिशत श्यामपट, 100प्रतिशत मेज कुर्सी है। परन्तु विद्यार्थियों

के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था मात्र 10 प्रतिशत छात्रों के बेठने के लिये ही व्यवस्था है। विद्यालय परिसर में सुविधाओं में पानी की सुविधा का प्रतिशत 90 है। चूंकि अधिकांश विद्यालयों में हैण्डपम्प की व्यवस्था है। खेल का मैदान एवं प्रशाधन प्रतिशत क्रमशः 52 एवं 20 प्रतिशत है। बैठने की व्यवस्था में 10 प्रतिशत एक साथ, 38 प्रतिशत अलग–अलग एवं 52 प्रतिशत विद्यालयो में छात्रो की अलग– अलग कमरे में बैठने की व्यवस्था है। मध्यान्ह भोजन में फल एवं विस्कुट मिलने का प्रतिशत शून्य है। जबकि अनाज एवं कुछ भी न मिलने का प्रतिशत क्रमाशः 20 एवं 80 है। छात्रवृत्ति मिलने के पक्ष में 82 प्रतिशत एवं विपक्ष में 18 प्रतिशत बालिकाओ का दृष्टिकोण है।

सारणी–4.5

प्राथमिक स्तर पर उपस्थित एंव अनुशासन

प्र.क्र.सं.	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	बालिकाओं का दृष्टिकोण
6.	प्रतिदिन विद्यालय जाने का समय	समय से	70%
		देर से	10%
		आधे समय वाद	20%
7.	प्रतिदिन ने जाने पर डॉट	थोडी सी	18%
		वहुत सी	18%
		विल्कुल नही	64%
23	अनुशासन हीनता पर दण्ड	डॉटकर	38%
		पिटाई करके	62%
		फाइन करके	00%
15	शिक्षको की संख्या	एक	38%
		दो	16%
		तीन	22%
		तीन से अधिक	28%

उपरोक्त आँकड़ो के आधार पर 70 प्रतिशत समय से, 10 प्रतिशत देर से एवं 20 प्रतिशत आधे समय बाद बालिकाएं विद्यालय जाती है। प्रतिदिन विद्यालय न जाने पर 18

प्रतिशत थोड़ी सी एवं बहुत अधिक घर पर ६४% डांट नही पडती है। अनुशासन हीनता करने पर 38 प्रतिशत बालिकाओ को डाँट कर 62 प्रतिशत पिटाई करके एवं फाइन का प्रतिशत शून्य है। प्राथमिक विद्यालयो में 38 प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापक 16 द्विअध यापक, 22 प्रतिशत तीन अध्यापक एवं 28 प्रतिशत ऐसे भी विद्यालय है जिसमें आवश्यकतानुसार अध्यापको की संख्या पर्याप्त है।

सारणी - 4.6

प्राथमिक स्तर परीक्षा अध्ययन एवं व्यवसाय

प्र.क्र.सं.	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	बालिका दृष्टिकोण
22.	परीक्षा में नकल	नही	68%
		थोडी	16%
		पूर्णतः	12%
24.	किस कक्षा तक पढेगी	पांचवी	12%
		आठवी	6%
		दसवी	20%
		और अधिक	62%
25.	शिक्षित होकर क्या बनेगी	अध्यापक	8%
		मम्मी पर आधारित	72%
		समाज सेविका	12%
		नेता	8%
30.	माता–पिता इच्छानुसार पढ़ायेगे	हाँ	70%
		नहीं	30%

उपरोक्त आँकड़ो के आधार पर प्राथमिक स्तर पर 68 प्रतिशत विल्कुल नही, 16 प्रतिशत थोड़ी सी एवं 12 वालिकाओं के दृष्टिकोण से पूर्णतः नकल करने दी जाती है। 12 प्रतिशत पांचवी, 6 प्रतिशत आठवी, 20 प्रतिशत दसंवी एंव अधिक शिक्षा प्राप्ति करने का प्रतिशत 62 है। शिक्षित होकर बनने पर अधिकांशता 72 प्रतिशत वालिकायें मम्मी पर आधारित है। 8 प्रतिशत शिक्षक, 12 प्रतिशत समाज सेविका एंव मात्र 8 प्रतिशत नेता बनने के प्रति उत्साहित है। और वालिकाओं का इच्छानुसार शिक्षा दिलाने के प्रति 70 प्रतिशत माता–पिता पक्ष में एंव 30 प्रतिशत विपक्ष में है।

सारणी - 4.7

प्राथमिक स्तर पर अध्ययन

प्र.क्र.सं.	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	बालिका दृष्टिकोण
9.	पढ़ाये गये विषयों को समझना	थोड़ा	24%
		पूरा–पूरा	10%
		आधा	22%
		बिल्कुल नही	44%
11.	अभिभावक द्वारा घर पर पढ़ने को कहना	एक बार	26%
		बार–बार	42%
		कभी नही	32%
17.	विद्यालयी विषय के अतरिक्त क्रियाएं	गायन	8%
		अन्ताक्षरी	12%
		खेलकुद	40%
		कुछ नही	40%
28.	घर पर पढ़ाई की अपेक्षा गृह कार्य अधिक करवाना	हाँ	92%
		नही	8%

उपरोक्त आँकड़ो के आधार पर घर पर अध्ययन हेतु 26 प्रतिशत अभिभावक एक बार 42 प्रतिशत बार–बार एंव 32 प्रतिशत अभिभावक ऐसे है जो अपने बच्चों से कभी पढ़ने के लिए कहते ही नही है। विषय के अतरिक्त विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में 8 प्रतिशत गायन,12 प्रतिशत अन्ताक्षरी, 40 प्रतिशत खेलकुद एंव 40 प्रतिशत विद्यालयों में किताबी शिक्षा के अलावा कोई पाठ्य सहगामी कार्यक्रम नही कराये जाते है। विद्यालयी विषयों को समझने में 24 प्रतिशत थोडा, 10 प्रतिशत पूरा–पूरा, 22 प्रतिशत आधा एंव 44 प्रतिशत वालिकाओं को विल्कुल समझ में नही आता है और घर पर वालिकाओं से पढ़ाई की अपेक्षा गृह कार्य कराने का प्रतिशत 92 है। शेष प्रतिशत कार्य का है।

सारणी - 4.8

प्राथमिक स्तर पर स्वाध्याय

प्र.क्र.सं	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	वालिका दृष्टिकोण
10.	स्वाध्ययन	एक घण्टे	26%
		एक घण्टे से अधिक	14%
		विल्कुल नही	60%
11.	गृह कार्य	प्रतिदिन	4%
		सप्ताह में	10%
		कभी–कभी	68%
		कभी नही	18%
13.	गृह कार्य का मूल्यांकन	प्रतिदिन	12%
		कभी–कभी	60%
		कभी नही	28%

उपरोक्त आँकड़ो के आधार पर प्राथमिक स्तर पर स्वाध्ययन 26 प्रतिशत वालिकाएं एक घण्टे, 14 प्रतिशत एक घण्टे से अधिक एंव 60 प्रतिशत वालिकाएं घर पर अपना वस्ता ही नही खोलती है। गृह कार्य 4 प्रतिशत विद्यालयों में प्रतिदिन 10 प्रतिशत सप्ताह में, 68 प्रतिशत कभी–कभी एंवं 18 प्रतिशत वालिकाओं के दृष्टिकोण से कभी नही दिया जाता है। और गृह कार्य का मूल्याकंन 12 प्रतिशत प्रतिदिन, 60 प्रतिशत कभी–कभी 28 प्रतिशत विद्यालयों में कभी नही किया जाता है।

सारणी संख्या - 4.9

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बाधक तत्व

प्र.क्र.सं.	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	बालिका दृष्टिकोण
7.	विद्यालय न आने के कारण	छोटे बच्चों को खिलाना	68%
		माता–पिता के साथ काम पर जाना	8%
		गृह कार्य करना	38%
		माता–पिता का शिक्षित न होना	32%

21.	शिक्षा में बाधक	गरीवी	68%
	तत्व	अकेले विद्यालय भेजना	10%
		माता–पिता का शिक्षित न होना	42%
14	गृह कार्य पूरा न	धर पर बच्चों को खिलाना	80%
	करने के कारण	विद्यालय में समझ में न आना	16%
		दिन भर खेलते रहना	68%

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर प्रतिदिन वालिकाओं को विद्यालय न आना 68 प्रतिशत बच्चों को खिलाना, 8 प्रतिशत माता –पिता के साथ काम पर जाना, 38 प्रतिशत घर के कार्य करना एवं 32 प्रतिशत माता–पिता की अशिक्षा है। 68 प्रतिशत गरीबी, 10 प्रतिशत अकेले भेजने की एवं 42 प्रतिशत माता–पिता का शिक्षित न होना शिक्षकों में बाधक तत्व है। गृह कार्य पूरा न कर पाना 80 प्रतिशत बच्चों को खिलाना, 16 प्रतिशत विद्यालय में समझ न पाना, एंव 68 प्रतिशत बिना किसी चिन्ता के दिन भर खेलते रहना हैं।

सारणी - 4.10

प्राथमिक स्तर पर जातिगत एंव लिंगभेद

प्र.क्र.सं.	प्रश्न बिन्दु	उत्तर	बालिका दृष्टिकोण
18.	लड़की के समान	कुछ–कुछ	34%
	लड़कों को	हमारी तरह	00%
	घर पर काम	बिल्कुल नही	66%
19.	अनुसूचित जाति	थोड़ा सा	28%
	होने के कारण	बहुत अधिक	62%
	भेदभाव	बिल्कुल नही	10%
26.	माता पिता केवल	हाँ	68%
	लडको को ही	नही	32%
	विद्यालय		
	भेजना चाहते है।		

उपरोक्त आँकड़ो के आधार पर प्राथमिक स्तर पर जातिगत एवं भेद के अनुसार 34

प्रतिशत लडको को लड़की के समान घर पर कार्य कुछ–कुछ करने पड़ते है। दोनों का समान कार्य करने का प्रतिशत शून्य है। एंव घर पर बिल्कुल कार्य न करने का प्रतिशत 66 है। थोड़ा सा भेदभाव अनुसूचित जाति के कारण का प्रतिशत 28 हैं। 62 प्रतिशत बहुत अधिक एंव 10 प्रतिशत न होने के दृष्टिकोण बालिकाओं का है। और माता पिता केवल बालकों को ही विद्यालय भेजने का प्रतिशत बालिकाओं के अनुसार 68 है। जबकि दोनों को विद्यालय भेजने का प्रतिशत 32 ही है।

पंचम अध्याय

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त आकड़ो के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का अवलोकन करने पर अभिभावको एवं बालिकाओं का बालिका शिक्षा के प्रति निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1. बालिका शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अवरोधन (29 प्रतिशत) ज्ञात हुआ।

2. बालिका शिक्षा के सभी क्षेत्रो में सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया। सामान्य शिक्षा के प्रति (93.5 प्रतिशत), गृह सम्बन्धी शिक्षा के प्रति – (97 प्रतिशत), समाज शिक्षा के प्रति (74 प्रतिशत) व्यवसायिक शिक्षा के प्रति (54 प्रतिशत) और विद्यालयी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (90 प्रतिशत) ज्ञात हुआ। अतः सभी क्षेत्रो में दृष्टिकोण उच्च स्तर पर सकारात्मक है।

3. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा में निम्न समस्याओं को स्वीकार किया जैसे –निर्धनता (92 प्रतिशत), शिक्षित लड़कियों के लिए वर की समस्या (80 प्रतिशत), घरेलू कार्यो में माता/पिता का सहयोग देना (90 प्रतिशत) विद्यालय में समुचित पढ़ाई न होना (84 प्रतिशत) विद्यालय में जाति सम्बन्धी भेदभाव (71 प्रतिशत) समुचित सुविधाओं का अभााव (64 प्रतिशत) और महिला शिक्षकाओं का अभाव (60 प्रतिशत) ज्ञात हुआ। अतः प्राथमिक स्तर पर समस्याओं का स्तर उच्च पाया गया।

4. अधिकांश (62 प्रतिशत) छात्राए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं।

5. अधिकांश बालिकाओं (92 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि घर के कार्यो के कारण उनकी पढाई वाधित होती हैं साथ ही गरीबी, प्रेरणा का अभाव , माता पिता का शिक्षित न होना, भी बाधक तत्वों के रूप में सामने आया है। एवं अधिकांश (68 प्रतिशत) बालिकाओं का मत है। कि अधिकांश माता/पिता केवल लड़को को ही विद्यालय भेजना चाहते है।

6. प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बालिकाओं के समय से आने अनुशासन कायम रखने एवं गृह कार्य की जाँच तथा मध्याहन भोजन के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया पाया गया।

7. अधिकांश विद्यालयों में (38 प्रतिशत) केवल एक ही शिक्षक है।

व्याख्या :– बालिका शिक्षा के प्रति अधिकांश माता पिता का दृष्टिकोण सकारात्मक होते हुये भी अनेक समस्यायें हैं! उनमें से कुछ प्रत्यक्ष रूप में जैसे किताबें, स्कूल ड्रेस इत्यादि! और कुछ अप्रत्यक्ष रूप में जब लड़की दस साल के लगभग हो जाती हैं तो वह घर पर

बच्चो के खिलाने के अलावा उनके गरीबीपन को दूर करने में माता पिता के साथ बड़े लोगों के यहाँ काम पर जाती है। शिक्षा निशुल्क होने के बाबजूद भी बालिकायें घर में रोजी रोटी को अवश्यकताये पूर्ति करने में सहयोंग करने के कारण जिस अनुपात में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की प्रगति होनी चाहिये, नहीं हो सकी।

'दृष्टिकोण सकारात्मक होने के कारण आज अधिकाँशतः अभिभावक लड़कियों को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखने के खिलाफ हैं। एवं लड़कियो का अधिक नियंत्रिण उनके स्वयं के विकाश, परिवार के विकाश, समाज, एवं राष्ट्र के विकास में बाधक है!

सरकार द्वारा चलाई गयी योजनायें मात्र कागजों पर चल रही हैं बालिका शिक्षा की प्रगति हेतु यह कार्य रूप में पर्णित नही हो पा रही है! मास्टर अपनी जिम्मेदारी नही समझ रहें हैं मात्र बच्चो को घेर कर रखते हैं जैसे कि जानवरों को बन्दी ग्रहों में घेर कर रखा जाता हैं! उनमें शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत नही की जाती, उनमें प्रेरणा का अभाव हैं इसलिए बच्चे पूरे समय विद्यालय में नही रहते, विद्यालय समय पर न पहुँच कर पूरे दिन आते जाते रहते है। विद्यालय में अन्य जाति के छात्रों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के साथ जाति सम्बन्धी भेदभाव भी किया जाता हैं! यह समस्या ग्रामीण स्तर पर अधिक है। बालकों की अपेक्षा घर पर बालिकाओं से अधिक कार्य कराने की परम्परा अभी भी चली आ रही हैं बालिकाओं पर बालकों की अपेक्षा पाबन्दियाँ अधिक है इसलिए बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के प्रति अभिभावको का सकारात्मक दृष्टिकोण होते हुये भी गीत धीमी है।

प्राथमिक स्तर पर मध्याहन पोषाहार के नाम पर प्रति माह प्रति छात्र 3 किग्रा, गेहुँ देने से नामांकन संख्या में वृद्धि तो हुयी है लेकिन उनमें गुणात्मक सुधार नाम मात्र भी नहीं आ रहा है क्योंकि छात्रों के नामांकन में वृद्धि हो रही हैं परन्तु अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नही हो रही है कई स्थानों पर एकल विद्यालय अर्थात एक अध्यापक ही विद्यालय चला रहा हैं यदि किसी दिन उस अध्यापक को किसी कार्यवश विद्यालय उपस्थित न हो सका तो उस दिन विद्यालय बंद रहता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक होना अति आवश्यक है! प्राथमिक स्तर पर बालिकाए गृह कार्य जो विद्यालय में दिया जाता है। समय न मिल पाने के कारण या फिर समझ में न आ पाने के कारण नियमित रूप से नही कर पाती है। जिस कारण उन्हे विद्यालयों में सहपाठियों के सम्मुख अध्यापक द्वारा दण्डित किया जाता हैं। कुछ विद्यालयों में अध्यापक भी गृह कार्य नही देते हैं यदि

दे भी देते हैं, तो नियमित रूप से इसकी जांच नहीं करते हैं जिससे इस जाति व्रिशेष के बच्चों का अध्यापको के साथ समायोजन नही हो जाता हैं और अनायास ही वे अध्यापक/अध्यापिका के प्रति अनेक आशंकाओं से ग्रसित हो जाती हैं।

अनुसूचित जाति के लोग जीवन यापन के लिए अपने कार्य के साथ साथ दूसरों का भी कार्य करते हैं जिसमें घर के सभी सदस्य सहयोग करते हैं। अतः अध्ययन काल में इनका अध्ययन सुचारू रूप से नही चल पाता। समाज में आज भी अनुसूचित जातियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यो को हमे दृष्टि से देखा जाता है। समाज की इसी धारणा के तहत सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राएं इनको अपने से अलग और भिन्न समझते हैं जिससे वे भावात्मक रूप से टूअ जाते हैं। और समायोजन कठिन हो जाता है।

अनुसूचित जाति के अधिकांश परिवार अपनी दैनिक आवश्यक अवश्यकताएं ही पूर्ण नही कर पाते। अतः शिक्षा की ओर उनका ध्यान दे पाना लगभग असम्भव ही है। येन के प्रकारेण यदि बालको की शिक्षा पर ध्यान देते भी है। लेकिन बालिकाए तो निश्चित ही शिक्षा से उपेक्षित रह जाती हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता भी उन्हे समुचित लाभ नही प्रदान कर पा रही है। इस जाति के शत प्रतिशत छात्रो को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो नगद राशि के रूप में प्रदान की जाती हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण धन का उपयोग घर के कार्यो में हो जाता है। जिससे इसका लाभ छात्राओं को नही मिल पाता हैं चूकि बालिकाओं की पढ़ाई की अपेक्षा विवाह पर अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक माता पिता अपनी जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते है। इसलिए वह जो धन होता है। उसे विवाह के लिए भी जोड़ते रहते है। और उनकी शैक्षिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। शिक्षण सामग्री जो भी इन्हे उपलब्ध कराई जाती हैं वह उन तक नही पहुँच पाती हैं।

अनुसूचित जाति के बच्चो की शिक्षा के बाधक तत्वों में मुख्य कारक माता पिता का अशिक्षित होना है।ऐसी स्थिति में अभिभावकों बच्चो से धन पर पढ़ने के लिए भी जोर नही देते है। घर पर बालिकाओं को पढ़ाई की अपेक्षा गृह कार्य करवाने पर अधिक घ्यान दिया जाता हैं। परीक्षा में अधिकांश विद्यालयों में नकल कराने का प्रतिशत बहुत कम हैं। लेकिन नकल होने या न होने से कोई अन्तर नही आता क्योकि प्राथमिक स्तर पर सरकार की यह

नीति है। कि किसी भी बालक/बालिका को अनुत्तीर्ण न किया जाये सरकार को इस नीति में बदलाव लाने की आवश्यकता हैं इसी कारण अध्यापक विद्यालय में शिक्षण कार्य पर ध्यान नही देते है।

अभिभावको (माता व पिता) का विचार बालिकाओं को उनकी इच्छानुसान शिक्षा दिलाने के प्रति सकारात्मक है। एवं शिक्षित होकर वह क्या बनना पसन्द करती हैं इस पर पूर्णतया वह मम्मी पर आधारित है वर्तमान में विश्व बैंक परियोजना प्राथमिक शिक्षा पर काफी पैसा खर्च कर रही है। अधिकांश विद्यालयों के पक्के भवन बन रहे हैं। एवं नये विद्यालय भी बनाये जा रहे हैं फिर भी अनेक स्थानों पर विद्यालय मैदान में चलाये जा रहे है, श्याम पट कुर्सी अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध है।सुविधा की दृष्टि से अधिकांश विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाये गये है। लेकिन शौचालय की व्यवस्था नगण्य है। छात्रो को बैठने की व्यवस्था की समस्या का प्रतिशत सबसे अधिक हैं सभी छात्रो को बैठने की व्यवस्था स्वयं करके आना होता हैं।

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चो के लिए छात्रवृत्ति अनिवार्य कर देने से अभिभावक घर के सभी बच्चो को विद्यालय में दाखिला करा देते हैं परन्तु उन्हे प्रतिदिन विद्यालय भेजने घर पर पढ़ने, घर के वातावरण को पढ़ाई के लिए ठीक रखना इन सब कर्तव्यों के प्रति इस जाति विशेष के व्यक्ति उदासीन रहते हैं और जुलाई में प्रवेश दिलाने के बाद उन्हें अगस्त में छात्रवृत्ति पूरे वर्ष की एक बार में मिल जाने से पूरे अभिभावक बच्चो को विद्यालय भेजने पर ध्यान नही देते हैं इससे अगस्त माह के अन्त में ही लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक कर दिया जाता हैं जिससे अपव्यय व अवरोधन में प्रगति होती है।

<u>अग्रिम शोध के सुझाव</u> :– सीमित समय को देखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य विस्तृत रूप से नही किया जा सका, भविष्य मे शोधकर्ताओं के लिए निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत है।

(1) माध्यमिक एवं उच्च स्तर के अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा के प्रति अभिभावको के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता है।

(2) प्रस्तुत अध्ययन में केवल अनुसूचित जाति को लिया गया है। इसी प्रकार का अध्ययन सभी जातियों के सम्मिलित अभिभावको पर किया जा सकता है।

(3) प्रस्तुत अध्ययन में अभिभावको ओर कक्षा–5 में अध्ययनरत बालिकाओं के दृष्टिकोण का पता लगाया गया हैं इस प्रकार का अध्ययन अध्यापको एवं अध्यापिकाओं एवं बालिकाओं के दृष्टिकोण का तुलनातमक अध्ययन किया जा सकता है।

(4) प्रस्तुत अध्ययन जनपद स्तर पर किया गया अतः राज्य स्तर एवं सम्पूर्ण भारत की बालिकाओं एवं अभिभावको पर किया जा सकता है।

(5) प्राथमिक , माध्यमिक एवं उच्च स्तर के अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है।

(6) अनुसूचित जन जाति के अभिभावको एवं बालिकाओं का प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता हैं

(7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावको का दृष्टिकोण एक अध्ययन किया जा सकता हैं।

(8) अभिभावको के दृष्टिकोण के अतरिक्त अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है।

(9) अनुसूचित जाति की पारवारिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता हैं

(10) आर्थिक रूप से पिछडे सभी जातियों के बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावको का दृष्टिकोण ज्ञात किया जा सकता हैं।

(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो की बालिकाओं एवं उनके अभिभावको के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अभिभावको का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विचारो की जानकारी प्रस्तुत करता हैं अनुसूचित जाति की शिक्षा समस्याओं का पार्दुभाव तो सभ्यता के प्रथम चरण में ही हो गया था इक्का दुक्का प्रयास भी किये गये परन्तु उनका कोई ठोस हल नही निकला। वर्तमान समय में, विशेष कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे संविधान में शिक्षा की उपयोगिता को समझते हुए सभी के लिए शिक्षा का प्राविधान किया गया। लेकिन स्वतन्त्रता के 53 वर्षो बाद भी भारत की आधी आवादी शिक्षा से वंचित हैं जिनमें अधिकांश महिलाये है– इस प्रकार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत काफी कम है। समान अधिकार होने के बाबजूद भी बालिकाओं का साक्षरता वेग धीमी गति से वढ़ रहा है। आज भी बहुत से अभिभावकों बालको की अपेक्षा बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर कम महत्व देते हैं यद्यपि अनेक योजनाएं बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनायी गयी लेकिन ठीक से क्रियान्वयन न होने के वजह से बालिका शिक्षा की प्रगति धीमी हैं इस अध्ययन का विशेष शैक्षिक महत्व है क्याकि यदि हमारी अगली पीढ़ी शिक्षा से वंचित रहेगी तो हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नही चल पायेगे। इसके निवारण के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाये, तो भविष्य मे परिवार समाज एवं राष्ट्र के शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को लाभ होगा।

1— शिक्षा सम्बन्धी विचारको को इस अध्ययन से बहुत सहायता मिलेगी वह राष्ट्र की आवश्यकताओं अभिभावको के विचारों को ध्यान में रखकर सुधार के उपाय सुझायेगे।

2— योजना आयोग द्वारा भविष्य में बनने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देकर अलग से शिक्षा की व्यवस्था का प्राविधान कर सकेगें।

3— शिक्षा से जुडे प्रबन्धक, शिक्षक, अभिभावको के विचारों को ध्यान में रखकर बालिका शिक्षा की व्यवस्था कर सकेगे।

4— बालिका शिक्षा से जुड़े शोधकर्ताओं को भी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा वे अपने शोध के आधार पर आगे निर्धारित कर सकेगी कि बालिका शिक्षा में किस प्रकार की उन्नति की जा सकें।

परिशिष्ट

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. **अग्रवाल डा. वी. पी.** ''राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन'' अनु बुक्स शिवाजी रोड, मेरठ

2. **ओड़ लक्ष्मीलाल के.** ''शिक्षा के नूतन आयाम'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

3. **इन्द्रा** ''स्टेटस आफ वूमेन इन एनसियेन्ट इण्डिया'' मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, बनारस

4. **कौर राजकुमारी अमृत** ''द वूमेन'' नवजीवन पब्लिशर्स हाऊस, अहमदाबाद

5. **कपिल एच. के.(1992)** ''अनुसंधान विधियां'' हरप्रसाद भार्गव, आगरा

6. **करलिंगर फ्रेड एन.** ''फाउन्डेशन ऑफ विहेवियर रिसर्च'' सुरजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली

7. **कोवन मीना जी.(1912)** ''एजुकेशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया'' ओलीफेन्ट एनर्सन एण्ड फेरियर लन्दन

8. **गैरेट एच. ई. एण्ड बुडवर्थ आर. एस.** ''शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यकीय'' कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली

9. **चौबे झारखण्ड एण्ड श्रीवास्तव कन्हैयालाल** ''मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति'' उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

10. **तिवारी आदित्य नारायण** ''शैक्षिक मापन और शिक्षा में सांख्यिकी'' रामनारायण लाल बेनी माधव, इलाहाबाद

11. **दास गुप्ता, ज्योति प्रोवा(1938)** ''गर्ल्स एजूकेशन इन इण्डिया'' कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

12. **पाण्डेय राम सकल (1987)** ''राष्ट्रीय शिक्षा'' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

13. **मजूमदार आर. सी.** ''ग्रेट वूमेन ऑफ इण्डिया'' अदवेता आश्रम, अल्मोडा

14. **माथुर डा. एस. एस.** ''समाज मनोविज्ञान'' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

15. **मिश्र, कु. माधवी** — ''उत्तर प्रदेश मे शिक्षा (1848–1900)''

16. **राज हंस (1981)** — ''थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस इन सोसल रिसर्च''
सुरजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली

17. **बुच एम. बी. (1983–88)** — ''फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन''
पब्लिशड बाई नेशनल काउन्सिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग

18. **विलिंगटन मेरी फ्रांसिस (1894)** — ''वूमेन्स ऑफ इण्डिया''
चैपमेन हाल, लन्दन

19. **शर्मा आर. ए. (1994)** — ''शिक्षा अनुसंधान''
सूर्या पब्लिकेशन मेरठ

20. **शर्मा वीरेन्द्र (1984)** — ''भारत के पुर्ननिर्माण में गाँधी जी का योगदान''
महेश जैन पब्लिशंग हाऊस, नई दिल्ली

21. **शास्त्री शंकुतला राव (1942)** — ''वूमेन इन वैदिक ऐज''
भारतीय विद्या भवन, बम्बई

22. **सेन, गुप्ता पदमिनी** — ''पायनियर वूमेन ऑफ इण्डिया''
ठक्कर एण्ड को. लि., बम्बई

23. **सेन, गुप्ता पदमिनी (1960)** — ''वूमेन एजूकेशन इन इण्डिया''
पब्लिक शिक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली

24. **सेन, एन. बी. (1969)** — ''प्रोग्रेस ऑफ वूमेन एजूकेशन इन फ्री इण्डिया''
न्यू बुक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली

25. **हेट सी. ए.** — ''चेंजिग स्टेटस ऑफ वूमेन''
एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली

27. **अग्रवाल जे. सी. एवं अग्रवाल एस. पी.** — वोमेन एजूकेशन इन इण्डिया
कान्सेप्ट पब्लिसिंग, नई दिल्ली

28. **एनेन चार्लस एम०** — ''कावेटिंग द ड्राप आऊट प्राब्लम्स'' शिकागों साइंस रिसर्च एसोसिएट्स 1956

29. **बिलिंगटन मेरी फ्रांसिस** — ''वीमेन्स आफ इण्डिया''
चैपमैन हाल, लन्दन (1895)

30. **बुच, एम. बी. (1988–1992)** — ''फिफ्थ सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च''

31. **डिपार्टमेण्ट ऑफ एजेकेशन मिनिस्टी आफ ह्यूमेन रिसोर्स डिवेलपमेण्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया विद सपोर्ट फाम यूनीसेफ** "एजूकेशन फार ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन, मिनिष्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवेलपमेन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (1993)

32. **जनरल ऑफ इण्डिया एसोसियेशन फॉर एजूकेशन रिसर्च** "वोल्यूम 3, सितम्बर 1991, बैल्यूम 4, जून 1992.

33. **कोवन मीना जी** "एजेकेशन ऑफ वोमेन ऑफ इण्डिया" ऑलीफेट एनर्सन एण्ड फेरियर लन्दन (1912)

34. **मदन मोहन** भारतीय शिक्षा का विकास और समस्याएं, कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद, 1993–94

35. **नेशनल पॉलसी ऑफ एजूकेशन** "मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमेन रिसोर्स डेवेलपमेन्ट, गवर्नमेट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली. 1996

36. **एन0सी0ई0आर0टी0 (1994)** "नेशनल सेमिनार ऑन डी.पी.ई.पी. स्टडीज़ पब्लिकेशन डिपार्टमेन्ट, नेशनल काउन्सिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग नई दिल्ली.

37. **सेन, गुप्ता, पद्मिनी** "वोमेन एजूकेशन इन इण्डिया" शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली (1960)

38. **सुखलाल, धनश्याम** "राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1986 के सन्दर्भ में राजस्थान में शिक्षा" अंकुर प्रकाशन उदयपुर (1991)

39. **डब्ल्यू. डब्ल्यू. नारटन एण्ड दि. कम्पनी न्यूयार्क** "साइको एनालिसिस एण्ड द एजूकेशन ऑफ द चाइल्ड", न्यूयार्क

40. **यूनिवर्सल प्राइमरी एजूकेशन ऑफ रूरल गर्ल्सइन इण्डिया, 1991** डिपार्टमेण्ट ऑफ वोमेन स्टडीज़–एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली.

41. **युनेस्को के सौजन्य से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रगामी परियोजना 1992.** महिला शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् श्री अरविन्द्र मार्ग, नई दिल्ली–110016

पत्रिकायें, समाचार पत्र एवं योजनाएं

1. इन्डिया ए रिफरेन्श एनुवल,नई दिल्ली,योजना आयोग (1968)पेज 61–62
2. एजूकेशन इन रिस्टीस्पेक्ट, ए रिव्यू ऑफ दि स्पोटर्स एण्ड रिकमेन्डेशन्स ऑफ दी कमीशन्स / कमेटीज नई दिल्ली, शिक्षा मन्त्रालय (1967) पे–88
3. कान्स्टीटयूशनल एसेम्बली डिवेटस खण्ड 7, 19 नवम्बर (1948) न्यू देहली, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया।
4. थर्ड आल इण्डिया एजूकेशनल सर्वे ऑफ हायर एजूकेशन (1973–74) पेज–4
5. द इण्डियन ईयर बुक ऑफ एजूकेशन (1961) नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, 1965, पेज–226.
6. दैनिक भास्कर (11 जनवरी मधुरिमा) स्त्री की यात्रा झाँसी संस्करण
7. प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर (1987) उपकार प्रकाशन, आगरा
8. प्रतियोगिता दर्पण अगस्त (1990) उपकार प्रकाशन, आगरा
9. प्रतियोगित किरण जनवरी (1994) किरण प्रकाशन पटना
10. फोर्थ फाइव इयर प्लान–ए ड्राफ्ट आउट लाइन 169–74 नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशंन, 1969 पेज–315
11 फस्ट फाइव ईयर प्लान, प्रोगेस रिपोर्ट 1954–55 नई दिल्ली योजना आयोग पेज–182
12. भारत वर्ष में महिलाओं के स्तर पर राज्य सभा में दिनांक 18 मई 1975 में बहस के अंश
13. यू.जी.सी. बिल मई 11, 1954 में संसद में हुई बहस के अंश
14. यूनिवर्सिटी डेवलपमेन्ट इन इण्डिया 1963–64, नई दिल्ली, यू.जी.सी. 1963
15. रीसेन्ट केसेज रिपोर्ट ऑफ ईयर 1991 रिवीटेड रिवीटेड दैट दी कन्डीसन्स ऑफ वूमन्स एजूकेशन अनपरुवड् वेरी मच इन रीसेन्ट ईयरस्।
16. राष्ट्रीय सहारा 17 दिसम्बर (1994) कानपुर संस्करण
17. दैनिक जागरण 13 नवम्बर (1999) कानपुर संस्करण
18. रिपोर्ट ऑफ द ईयर 1985–86, पेज–199
19. रिपोर्ट ऑफ द ईयर 1987–88, पेज–4
20. लोक सभा में यू.जी.सी. रिपोर्ट पर बहस के अंश 6 अगस्त 1975
21. लक्ष्मी मिश्रा : एजूकेशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया, पूर्वेक्ति, पेज–186–187
22. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पृष्ठ–152–153
23. स्वतन्त्र भारत 27 नवम्बर (1994) कानपुर संस्करण
24. सिकस्थ फाईव ईयर प्लान 1980–85 नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन 1981 पृष्ठ 425
25. आज 11 नवम्बर, 1997 कानपुर संस्करण

अनुसूचित जाति के अभिभावको का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

निर्देशिका	*शोधकर्ता*
डा0 (श्रीमती) अन्जना राठौर	**नरेन्द्र कुमार सिहं यादव**

<u>निर्देश –</u> प्रस्तुत प्रश्नावली में बालिका शिक्षा से सम्बन्धित बहुत सी सूचनाएं पूँछी गयी है सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं।

बालिका शिक्षा के प्रति आपके बहुमूल्य विचार जानने के लिए एक प्रश्न तालिका आपको दे रहा हूँ अतः कृपया आप निसंकोच होकर प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्नो का उत्तर उस स्थान और उस रूप में दे, जिस स्थान और जिसमें उत्तर माँगे गये है। प्रश्नावली में सहमत, अनिश्चित एवं असहमत तीन रूपों में उत्तर दिये गये है। अपने दृष्किोण से आप सही उत्तर में सही का निशान (√) लगाये। सहयोग के लिये धन्यवाद!

कृपया निम्न सूचनाएं भरे :–

नाम	–	आयु	–
योग्यता	–	ग्रामीण/शहरी	–
परिवार का स्वरूप	–	व्यवसाय	–

		सहमत	अनिश्चित	असहमत
(1)	लड़कियों को पढ़ाना चाहते है?			
(2)	लडकियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना ही पर्याप्त है?			
(3)	लडकियों को केवल इतना पढ़ना ही पर्याप्त है। कि वह चिट्ठी पत्री पढ़ लिख सके?			
(4)	लडकियों को गृह उपयोगी शिक्षा, सिलाई, खाना पकाना, नाचने गाने की शिक्षा देना ही पर्याप्त है?			
(5)	लडकियां अपने परिवार की सदस्य नही है?			
(6)	शिक्षित लडकियां परिवार में अच्छा समायोजन करती है?			
(7)	शिक्षित लड़कियां अपने परिवार की मर्यादा भूल जाती हैं?			
(8)	शिक्षित लड़कियां परिवार में अनपढ़ सदस्यो को हीन दृष्टि से देखने लगती है?			
(9)	शिक्षित लड़कियां परिवार में अपने विचारों को चलाना चाहती है?			

	सहमत	अनिश्चित	असहमत
(10) लड़कियों को घर के कार्यो के लिए शिक्षा आवश्यक है?			
(11) लडकियों को पढ़ाने की अपेक्षा उन्हे गृह कार्य में ही दक्ष किया जाना चाहिए?			
(12) लड़कियों को पढ़ाने में घर के कार्यो में बाधा पहुचती है?			
(13) लड़की को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है?			
(14) लड़को एवं लडकियों को शिक्षा दिलाने में अन्तर नही होना चाहिए?			
(15) शिक्षित लड़कियां वैवाहिक जीवन में अच्छा समायोजन करती है?			
(16) लड़किया शिक्षा गृहण करके समाज का विकास करती है?			
(17) शिक्षित लड़कियां समाज में अपनी मर्यादा स्वयं समझती है?			
(18) दहेज के दुष्परिणामों को देखते हुए शिक्षित करना उचित है?			
(19) शिक्षित लडकियां, लड़को के समान अधिकार की भावना रखती है?			
(20) बालिकाओं के लिए ऐसा पाठ्यक्रम हो जो समाज में समान स्थान दिला सके?			
(21) लड़कियां शिक्षित होकर अपने जीवन यापन का रास्ता स्वयं डूढ़ लेती है?			
(22) बालिका शिक्षा हेतु केवल अध्यापिकाओं की नियुक्त की जाये?			
(23) लडकिया पढ़ लिख कर यदि नौकरी करना चाहे तो करने देना चाहिए?			
(24) शिक्षित लड़कियो की रोजगार की व्यवस्था की जाए?			
(25) लड़कियों के लिए सभी स्कूलो में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए?			
(26) बालिका विद्यालय घर के पास होना चाहिए?			
(27) लड़कियों का पाठ्यक्रम लड़को से भिन्न होना चाहिए?			
(28) लड़कियो को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देनी चाहिए?			
(29) लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार को छात्रवृत्ति देनी चाहिए?			
(30) लड़कियों के पाठ्यक्रम में सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए?			

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों द्वारा अवलोकन

निर्देशिका	*शोधकर्ता*
डा0 (श्रीमती) अन्जना राठौर	**नरेन्द्र कुमार सिहंयादव**

निर्देश – बालिका शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के प्रति अभिभावको के विचार जानने के लिए एक अध्ययन कर रहा हूँ, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है आपके बहुमूल्य विचार जानने के लिए एक प्रश्न तालिका आपको दे रहा हूँ प्रश्नों के सामने (हाँ/नही) में उत्तर दिये है। जो आप सही समझे उसमे सही का निशान (√) लगाये।

नाम – श्री/श्रीमती   व्यवसाय –

आयु –   ग्रामीण/शहरी –

प्रश्न	उत्तर
(1) धन के अभाव की समस्या?	हाँ/नही
(2) घर से विद्यालय दूर होने की समस्या?	हाँ/नही
(3) महिला शिक्षिकाओं का अभाव?	हाँ/नही
(4) शिक्षित लड़कियों के लिए वर की समस्या?	हाँ/नही
(5) लड़कियों की सामाजिक उपेक्षा?	हाँ/नही
(6) छात्रवृत्ति का अभाव?	हाँ/नही
(7) घरेलू कार्यो में माता पिता का सहयोग देना?	हाँ/नही
(8) विद्यालय में समुचित पढ़ाई न होना ?	हाँ/नही
(9) विद्यालय में भेदभाव (जाति सम्बन्धी) कियां जाना?	हाँ/नही
(10) विद्यालय में समुचित सुविधाओं का अभाव?	हाँ/नही

अनुसूचित जाति की बालिकाओं का बालिका शिक्षा के प्रतिदृष्टिकोण

निर्देशिका — **डा0 (श्रीमती) अन्जना राठौर**

शोधकर्ता — **नरेन्द्र कुमार सिहंयादव**

<u>निर्देश –</u> कक्षा 5 में अध्ययन रत अनुसूचित जाति की बालिकाओं से सम्बन्धित निम्न प्रश्नावली को पूंछकर शोधकर्ता प्रश्नावली स्वयं भरेगा।

नाम – ....विद्यालय का नाम ....माता/पिता का व्यवसास............

1– तुम्हारा विद्यालय भवन किस प्रकार का है?

(1) कच्चा (2) पक्का

(3) टीन सैट (4) किसी का नहीं

2– विद्यालय भवन की सफ़ाई कब होती है?

(1) प्रतिदिन (2) सप्ताह में

(3) महीने में (4) कभी नहीं

3– विद्यालय में क्या – क्या व्यवस्थायें है?

(1) श्याम पट (2) शिक्षको को बैठने के लिए मेज कुर्सी

(3) विद्यार्थियों के लिए टाटपट्टी (4) इनमें से कोई नहीं

4– विद्यालय में कौन – कौन सी सुविधायें है?

(1) पीने के लिए पानी (2) शौचालय

(3) खेलकुद का मैदान (4) इनमें से कोई नहीं

5– विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने की क्या व्यवस्थायें है?

(1) अलग–अलग (2) सभी एक साथ

(3) अलग–अलग कमरे में (4) एक साथ कमरे में

6– तुम प्रतिदिन विद्यालय कब जाती हो?

(1) समय से (2) देर से

(3) आधे समय बाद (4) कभी – कभी

7– प्रतिदिन विद्यालय न आने के क्या कारण हैं?

(1) छोटे बच्चो को खिलाना (2) माता पिता के साथ काम पर जाना

(3) गृह कार्य (4) माता पिता को शिक्षित न होना

8– विद्यालय न जाने पर कितनी डॉट पड़ती हैं?

(1) थोड़ी सी (2) अधिक

(3) बहुत अधिक (4) बिल्कुल नहीं

9– जो कुछ विद्यालय में पढ़या जाता हैं उसमें से तुम्हे कितना समझ में आता है?

(1) थोड़ा सा (2) पूरा –पूरा

(3) आधा (4) बिल्कुल नही

10– तुम घर पर कितने घण्टे पढ़ती हो?

(1) 1 घण्टे (2) 2 घण्टे

(3) 2 घण्टे से अधिक (4) बिल्कुल नहीं

11– तुम्हारे माता/पिता तुमसे घर पर पढ़ने के लिए कितनी बार कहते हैं?

(1) एक बार (2) दो बार

(3) बार–बार (4) कभी नहीं

12– क्या शिक्षक तुम्हें गृह कार्य देते है?

(1) प्रतिदिन (2) सप्ताह में

(3) कभी–कभी (4) कभी नहीं

13– क्या गृह कार्य शिक्षक द्वारा देखा जाता है?

(1) प्रतिदिन (2) सप्ताह में

(3) कभी–कभी (4) कभी नहीं

14– गृह कार्य पूरा न कर पाने के क्या कारण है?

(1) घर पर बच्चों को खिलाना (2) विद्यालय में समझ में न आना

(3) दिन भर खेलते रहना (4) पढ़ाई में रूचि न होना

15– शिक्षकों की संख्या कितनी है?

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) तीन से अधिक

16– विद्यालय में मध्यान्ह भोजन में क्या मिलता है?

(1) फल (2) बिस्कुट

(3) अनाज (4) कुछ नहीं

17– विद्यालय में विषय के अतिरिक्त और क्या सिखाया जाता है?

(1) गायन (2) अन्ताक्षणी

(3) खेलकुद (4) कुछ नहीं

18– क्या आपके भाइयों को भी घर के काम काज करने पड़ते है?

(1) कुछ–कुछ (2) हमारी तरह

(3) हम से अधिक (4) बिल्कुल नहीं

19– अनुसूचित जाति की होने के कारण क्या आपके साथ भेदभाव किया जाता है?

(1) थोड़ा सा (2) अधिक

(3) बहुत अधिक (4) नहीं

20– विद्यालय में भेदभाव कौन करता है?

(1) साथ पढ़ने वाले (2) शिक्षक

(3) बड़ी/छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी (4) कोई नहीं

21– तुम लोगों की शिक्षा में बाधक तत्व कौन–कौन से हैं?

(1) गरीबी (2) अकेले विद्यालय भेजने की

(3) विद्यालय अधिक दूर होना (4) माता पिता का शिक्षित न होना

22– क्या परीक्षा में नकल करने दी जाती है?

(1) नहीं (2) थोड़ी

(3) पूर्णतः (4) कभी–कभी

23– अनुशासन हीनता करने पर तुम्हे किस प्रकार का दण्ड दिया जाता है?

(1) डाँट कर (2) पिटाई करके

(3) फाइन करके (4) कुछ नहीं

24– आप लोग किस कक्षा तक पढ़ना चाहती है?

(1) पाँचवी तक (2) दसवीं तक

(3) आठवीं तक (4) और अधिक

25– शिक्षित होकर क्या बनना चाहती है?

(1) अध्यापक (2) किलर्क

(3) समाज सेविका (4) मम्मी पर आधरित

26– क्या माता/पिता केवल आपके भाइयों को ही विद्यालय भेजना चाहते हैं? हाँ/नहीं

27– क्या तुम्हारे गाँव के बच्चे तुम्हे स्कूल साथ लाने में कतराते है? हाँ/नहीं

28– क्या तुम्हारे माता/पिता पढ़ाई की अपेक्षा घर के कामकाज अधिक करवाते हैं? हाँ/नहीं

29– क्या तुम्हें छात्रवृत्ति मिलती हैं? हाँ/नहीं

30– क्या आपके माता/पिता आपकी इच्छानुसार पढ़ायेगे? हाँ/नहीं